हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 अक्तूबर, 1977

खंड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 17 अक्तूबर, 1977

पृश्ठ संख्या

	तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)1
	निमय 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)23
	अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)36
	अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं–	
(i)	सभापतियों की तालिका	(1)42
(ii)	याचिका समिति	(1)42
	सचिव द्वारा घोशणा	(1)42
	ध्यानाकर्शण प्रस्ताव	(1)43
	शोक प्रस्ताव	(1)43
	सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(1)47
	सदन की मेज पर पुनः रखे गए कागज–पत्र	(1)48
	अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) 1977–78 पेश करना	(1)50

	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का गठन	(1)50
	सरकारी संकल्प –	
	भारतीय पशु चिकित्सा परिशद की स्थापना करने के सम्बन्ध में	(1)53
	दी पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977	(1)55
	दि प्रोविशियल स्माल काज कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977	(1)76
	दी पंजाब एन्टरटेनमैंटस डियूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977	(1)81
	बहिर्गमन	(1)90
	दी पंजाब एन्टरटेनमैंट्स डियूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977 (पुनरारम्भ)	(1)91
	बैठक का समय बढ़ाना	(1)93
	दी पंजाब एन्टरटेनमैंट्स डियूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)	(1)94–96

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 17 अक्तूबर, 1977

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहिबान अब सवाल होंगें।

Sutleg Yamuna Link

***56. Rao Dalip Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact that Land has been acquired in Punjab Territory for the construction of Sutlej Yamuna Link Canal;

(b) if so, the steps taken by the State Government for the construction of Sutlej Yamuna Link Canal in the territory of Punjab; and

(c) if the reply to part (a) above is in the negative then the reasons thereof?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verendar Singh):

(a) No, Sir.

(b) & (c) The matter has been taken up with the Punjab Government.

राव दलीप सिंह: क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि सतलुज रावी के पानी का जो शेयर हरियाणा को मिला था इसका फैसला कब हुआ था और इसको इम्पलीमैंट करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं?

Sh. Verendar Singh: It is a separate question. It does not arise out of the main question.

राव वीरेन्द्र सिंह: क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि जितना हिस्सा सतलुज, ब्यास, रावी के पानी में हरियाणा का है और ब्यास, रावी के पानी का जो फैसला हो चुका है उसके मुताबिक हरियाणा को जो पानी मिलना है उस पानी को यह लिंक कैनाल बनने से पहले इस्तेमाल करने के लिए सरकार कोई कोशिश रक रही है ताकि इस साल भी वह पानी हरियाणा को मिले?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह लिंक कैनाल बनाए बिना इस पानी का इस्तेमाल मौजूद कैनाल से नहीं हो सकता।

राव दलीप सिंह: क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि सतलुज यमुना लिंक कैनाल जो बनाई जानी है वह कहां से कहां तक बनेगी, इसके बारे में क्या प्रपोजल है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सतलुज यमुना कैनाल शाहपुर बैरेज से शुरू होगी और सतलुज बैरेज पर बनाई जाएगी। नंगल हाइडल चैनल और भाखड़ा मेन लाईन जो है इसके साथ और नरवाणा ब्रांच के साथ से होती हुई यह कैनाल बनाई जाएगी।

राव दलीप सिंह: क्या मंत्री महोदय फरमायेंगे कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: वैसे यह भी अलग क्वैश्चन है और इसको एक और क्वैश्चन में कवर किया गया है जो कल के लिए फिक्सड है लेकिन फिर भी इसकी कपेसिटी 7500 क्यूसिक्स हमने रखी है।

चौ. हरस्परूप बूरा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इसकी लाइनिंग होगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: जी हां, लाइनिंग होगी।

राव दलीप सिंह: क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि पंजाब में जमीन अक्वायर करने के लिए अपने कोई कदम उठाए हैं या पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कोई बात की है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैंने जवाब ऐसा ही दिया था कि we have taken up the matter with the Punjab Government.

Alewa Minor

***85. Sh. Gulzar Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether any scheme of Alewa Mompt extension in District Jind was sent to the outgoing Government for approval; and

(b) if so, whether the said scheme has been approved?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verendar Singh):

(a) Yes.

(b) No.

श्री गुलजार सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उसका जो पार्ट ऐप्रूव हो गया है वह कब तक मुकम्मल होगा ाअेर उसमें कितना टाईम लगेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न का पहला पार्ट जो है वह यह है कि क्या कोई स्कीम सरकार की ऐप्रूवल के लिए अलेवा माइनर की ऐक्सटैन्शन हेतु भेजी गई थी या नहीं, उसके लिए मैंने कहा, 'भेजी गई थी।' दूसरा पार्ट जो है वह यह है कि उस स्कीम का क्या बन रहा है, ऐक्सटैन्शन होगी या नहीं होगी? उसके लिए मैंने जवाब दिया, 'नहीं होगी।'

कंवर राम पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पार्ट 'बी' का जवाब 'नो' में दिया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस स्कीम को ऐप्रूव न करने का क्या कारण है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह स्कीम गांव वालों की मांग पर सरकार को भेजी गई थी। जब इस स्कीम पर गौर किया जा रहा था तो पता लगा कि गावं के लोग 29000 आर.डी. से 36500 आर. डी. तक की ऐक्सटैन्शन चाहते हैं। बाद में यह भी पता चला कि अलेवा माइनर की ऐक्सटैन्शन 1969 में 23000 बुर्जी से 29000 बुर्जी तक हो चुकी थी। अगर 29000 बुर्जी से आगे इसको बढ़ाया जाए तो पश्चिमी यमुना कैनाल का रकबा भाखड़ा को शिफ्ट करना पड़ता था जो कि गवर्नमैंट की पालिसी के विरूद्ध है।

चौ. हरस्वरूप बूरा: क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि गवर्नमैंट की पालिसी के मुताबिक ऐक्सटैन्शन का प्रोविजन है या नहीं?

श्री वीनेन्द्र: वैसे यह प्रश्न इस सवाल में तो कवर नहीं होता लेकिन ऐक्सटैंशन तो होती ही रहती हैं।

कंवर राम पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि 29000 बुर्जी से आगे ऐक्सटैंशन नहीं की जा रही हैं क्योंकि वह गवर्नमैंट की पालिसी के विरूद्ध हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस ऐक्सटैंशन के अन्डर जो

रकबा सैराब होना था उस रकबे को सैराब करने के लिए क्या कर रहे है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: वह सैराब अब भी हो रहा है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह जो उन्होंने 'नो' कहा है यह उन्होंने लिखा है या पहली गवर्नमैंट ने लिखा था?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह मेरा लिखा हुआ है।

Expenditure incurred on a Bus for Body building of Haryana Roadways.

***89. Ch. Birinder Singh**:Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the amount at present being paid on the preparation of a steel and wooden body of a bus separately by the Haryana Roadways; and

(b) the approximate period after which these two types of newly built buses require heavy repairs together with the difference on the cost of repair and durability thereof, separately?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल):

(क) सितम्बर, 1974 के पश्चात् कोई भी लकड़ी की बस बाडीज नहीं बनवाई गई। जिस आखरी दर

पर इस टाईप की गाड़ियां बनवाई गई थीं, वह इस प्रकार हैं –

(i) टाटा 205'' डब्ल्यू.वी.–52 सीटर 26900 रूपये

(ii) लेलैन्ड कोमैट डब्ल्यू.वी. 210''–54 सीटर 28500 रूपये

सितम्बर 1974 के पश्चात् आल स्टील टाईप बस बाडीज बनवाई जा रही हैं जिनकी दर निम्न प्रकार से है:–

टाटा 205'' डब्ल्यू.वी.–52 सीटर 42000 रूपये

लेलैण्ड वाईकिग 210'' डब्ल्यू.वी.–59 सीटर 28500 रूपये

(ख) अनुभव के आधार पर पता चला है कि लकड़ी की बस बाडीज पर चार वर्श के पश्चात् भारी मुरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक आल स्टील बस बाडीज का सम्बन्ध है, इस विशय में इस समय कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह गाड़ियां मार्गो पर प्रथम बार फरवरी, 1975 में डाली गई हैं।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब यह बताएंगे कि स्टील बाडी की जो बसिज है उनकी रिपेयर के लिए किसी खास किस्म की मशीन की जरूरत पड़ती है?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ): जैसे पहले कहा कि अभी तक उनकी रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये सन् 1975 में ही सड़कों पर लाई गई हैं। उनके लिए जो मशीनरी आएगी उसका हमने अपनी सूचना के लिए दूसरी स्टेट्स से पता किया है जैसे आंध्र प्रदेश, महाराश्ट्र, कर्नाटक, यू.पी. आदि। काफी स्टेटस में इस प्रकार की बसें चल रही हैं और इस प्रश्न का उस टाईम पूरा जवाब देंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी।

राव दलीप सिंह: क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब बताएंगे कि बाडी बिल्डिंग का काम हरियाणा रोडवेज करती हैं या प्राईवेट फर्मज से कराया जाता है?

श्री जगन नाथ: अब से पहले प्राईवेटली अर्थात् प्राईवेट फर्मों से बनवायी जाती रही हैं लेकिन अब हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आनेवाले समय में सरकार खुद बाडीज को बनायेगी।

चौ. पीर चन्द: क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब यह बताने का कश्ट करेंगे कि नयी बसों की बाडीज बनायी जा रही हैं या पुरानी बसों की जो खराब हो चुकी हैं, उनकी बाडीज को बनाया जा रहा है?

श्री जगन नाथ: पुरानी बसें तो खराब होने पर ही भेजी जाती हैं। जिस तरह से पुराने लोगों को यहां से भेज दिया गया।

चौ. पीर चन्द: क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब यह बताने का कश्ट करेंगे कि लोहे की बाडी होने के कारण से खड़खड़ की आवाज ज्यादा होती है और मुसाफिरों को दिक्कत होती हैं, इसलिए क्या लोहे की बाडीज की अपेक्षा काठ की बाडीज ठीक नहीं हैं?

श्री जगन नाथ: इसी खड़खड़ को मिटाने के लिए तो यह स्कीम है। आम लोगों की यह शिकायत होती है कि लकड़ी की बाडी कुछ समय के पश्चात् ढीली हो जाती है जिसके कारण वह आवाज करती है लेकिन इस आल स्टील बाडी से अब आवाज कम आयेगी।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि इन बाडीज से डीजल की कन्जम्पशन कम होती है या ज्यादा होती है?

श्री जगन नाथ: डीजल कम लगता है।

चौ. पीर चन्द: जैसा कि चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब ने अपने जवाब में बताया है कि डीजल कम लगता है। क्या सरकार ने मुआना करवाया है कि कितना डीजल स्टील की बाडी में लगता है और कितना दूसरी बाडी में लगता है?

श्री जगन नाथ: इस प्रश्न का जवाब काफी डिटेल में होगा। इसलिए इसका अलग से नोटिस दें।

Enforcement of Prohibition in the State

***97. Sathi Ayodhya Parshad**: Will the Minister for Finance be pleased to state –

(a) the effective steps taken by the Government so far to enforce prohibition in the State; and

(b) the total number of liquor vends and liqour shops in the State at present together with the proporational percentage thereof as compared to the total population of the State?

वित्त मंत्री (चौ. सतबीर सिंह मलिक): (क) 30–7–1977 को दिल्ली के अन्दर सैन्ट्रल प्रोहिबिशन कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि देश में चार साल के अन्दर अन्दर नशाबन्दी की जायेगी। उसके आधार पर हरियाणा सरकार ने तीन पग उठाये हैं। उनका पहला काम 2 अक्तूबर से शुरू हुआ। हरियाणा के अन्दर नशाबन्दी चुटाला गांव से आरम्भ की जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जन्मभूमि है। (तालियां) उसके आठ मील के अन्दर जो एरिया है यानी आठ मील का जो रेडियस है उसको ड्राई बैल्ट घोशित किया गया है। दूसरे ताउडू जो आज धर्म स्थान हो गया है, जहा पर हमारे आदरणीय प्रधानमंजी जी कांग्रेस के शासनकाल में नजरबन्द रखे गये थे, हमने उस एरिया के अन्दर आठ मील के रेडियस को ड्राई बैल्ट बना दिया है। इस तरह से ये 144 विलेजिज आठ मील के ताउडू वाले रेडियल में

आते हैं और नौ विलेजिज जो हैं वे चुटाला वाले रेडियस के अन्दर आते हैं।

(ख) इसका जवाब यह है कि टोटल नम्बर आफ लीकर शाप्स जो हैं वे हरियाणा के अन्दर 1020 हैं। 1971की सैंसिज के हिसाब से एक शाप जो है वह 9830 की पापुलेशन पर आती है। यानी जीरो माईनस 01.2/– यह हमारी रेशो बनती हैं यह जो पुरानी लानत थी इसके बारे में हरियाणा के अन्दर फैसला कर चुके है कि चार साल के अन्दर हरियाणा में नशाबन्दी लागू कर देंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैंने मिनिस्टर साहब से आपके थ्रू एक दरखास्त करनी है कि आनरेबल मिनिस्टर ने आनरेबल मैम्बर के सवाल का जवाब ठीक नहीं दिया। उनका खाली जवाब यह है कि सरकार ने चुटाला के अन्दर प्रोहिबिशन लागू कर दी क्योंकि वह देवी लाल जी का ब्लाक है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आपने जो स्टैप्स उठाये हैं क्या उसमें सारे स्टैप्स आ गये हैं। सरकार की ओर से जो मुकम्मल जवाब होना चाहिए था वह नहीं आया। जवाब के अन्दर सारी स्टेट के अन्दर कया स्टैप्स उठाये जा रहे है, वह आना चाहिए खाली चुटाला और ताउडू का नहीं।

दूसरी चीज मैं यह दरियाफत करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब को अपना वायदा याद होगा जो उन्होंने इस

हाउस मैं किया था कि जो पंचचायत यह चाहेगी कि हमारे गांव से शराब का ठेका खत्म हो जाये वह रैजोल्यूशन पास करके सरकार को भेज दे, हम उस ठेके को समाप्त कर देंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस पंचायतों ने रैजोल्यूशन पास करके भेजे हैं उन गांवों से ठेके उइा दिये गये हैं या ये अगले मार्च में उठाये जायेंगे?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): राव साहब, मेरे उस कहने को गलत समझ गये। मैंने कहा था कि अगले साल में जो ठेके दिये जायेंगे, अगर उस गांव की पंचायत रैजोल्यूशन पास करके भेज देगी तो वहां पर आइन्दा से ठेके नहीं दिये जायेगे।

श्री मूल चन्द जैन: क्या वित्त मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिस रफतार से सरकार ने इस साल से शराब बन्दी का काम शुरू किया है, उसके अनुसार हरियाणा में चार साल के अन्दर नशाबन्दी मुकम्मल हो जायेगी?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हाउस में बताया है कि अगले साल से जो ग्राम पंचायते रैजोल्यूशन पास करके भेज देंगी उन गांवों में ठेके नहीं होंगे, उन गावों में लाइसैंस नहीं दिये जायेंगे। दूसरे स्टैप यह होगा कि पिछली सरकार ने जितने लाइसैंस जारी किये हैं उनमें एडिशनल लाईसैंस नहीं दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: राव बीरेन्द्र सिंह जी ने एक और सवाल भी पूछा था।

राव बीरेन्द्र सिंह: मैंने स्पीकर साहब यह कहा था कि इस सवाल का जवाब पूरा आना चाहिए। आनरेबल मैम्बर ने यह पूछा है कि मुकम्मल प्रोहिबिशन करने के लिए क्या स्टैप्स उठाये जा रहे हैं?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: पहला स्टैप तो मैंने यह बताया कि हमने प्रोहिबिशन की शुरूआत की है। दूसरा मैंने पंचायतों के रैजोल्यूशन के बारे में बताया कि जो पंचायत रैजोल्यूशन पास करेगी, उस गपांव में लाईसैंस नहीं दिया जायेगा। तीसरा स्टैप यह है कि नये वैन्डज के लाइसैंस नहीं दिये जायेंगे। चौथा स्टैप यह है कि प्रोहिबिशन की पालिसी को हरियाणा सरकार अकेली नहीं बना सकती। जब तक दूसरी साथ वाली स्टेट्स तय नहीं कर लेती तब तक हम मुकम्मल शराबबन्दी की पालिसी तय नहीं कर सकते। हमने अपनी पालिसी बनायी है उसके आधार पर हमने ये स्टैप्स लिए हैं।

स्वामी अग्निवेश: जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जिन पंचायतों की ओर से यह प्रस्ताव आ जायेगा कि हमारे गांव मैं ठेका न दिया जाय वहां पर 31 मार्च के बाद ठेके समाप्त कर दिये जायेंगे लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन मैहखानों का क्या बनेगा, उन सरकारी

टूरिस्ट सैन्टरों का, होटल–मोटल का क्या बनेगा जो पुरानी सरकार ने खोले हुए हैं। पुरानी सरकार ने जो शराब के बार मिनिस्टरों के आमोद–प्रमोद के लिए खोले हुए थे, क्या उनको बन्द करने पर भी सरकार विचार कर रही है?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: यह सरकार के अभी विचाराधीन है।

चौ. शिव राम वर्मा: जैसे कि मंत्री महोदय ने अभी कहा कि चार साल में पूण रूप से शराबबन्दी लागू कर देंगे। क्या मंत्री महोदय इस साल सप्ताह में कम से कम दो दिन ड्राई एलान करेंगे ताकि इसी हिसारे से तीन साल में सप्ताह के 6 दिन ड्राई हो जायें और चौथे साल पूर्ण रूप से शराब बन्दी हो जाये और जो शराब बन्दी की पालिसी बनी है वह भी कम्पलीट हो जाये?

चौ. सतवीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जवाब दिया है और यह कहा है कि दिल्ली सरकार जो पालिसी बनाती है, हम उसे अपनाते हैं। दिल्ली की सरकार ने अभी 100 डेज ड्राई डिक्लेयर करने की पालिसी बनायी है। सरकार अभी पड़ौसी राज्यों की स्थिति इस सम्बन्ध में जानना चाहेगा। फिर उस आधार पर कार्यवाही करेगी।

चौ. हरस्वरूप बूरा: जैसे कि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि जहां पंचायतों से रैजोल्यूशन आयेंगे, वहां पर शराब के

ठेके बन्द कर देंगे, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनी पंचायतों से ऐसे रैजोल्यूशन आ चुके है?

चौ. सतवीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, अब तक 60 लगभग सरकार के पास रैजोल्यूशन आ चुके हैं।

श्री शमशेर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे, जैसे कि उन्होंने यह बताया है कि देहातों के लिए पंचायतें रैजोल्यूशन पास करके भेज दें क्या शहरों में म्युनिसिपल कमेटियों के शराब बन्दी के लिये रैजोल्यूशन पास करके भेजने पर शहरों में शराब के ठेके बन्द कर देंगे?

चौ. सतवीर सिंह मलिक: गांवों में पंचायतें हैं अगर पंचायतें रैजोल्यूशन पास करके भेजेंगी तो हम शराब के ठेके बन्द कर देंगे और शहरों में म्युनिसिपल कमेटियों अगर हमें ऐसे रैजोल्यूशन पास करके भेजेंगी तो हम शहरों में भी बन्द कर देंगे।

स्वामी आदित्यवेश: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में शराब बन्दी की है तो बाकीके क्षेत्रों में शराबबन्दी करने में क्या कठिनाई हो रही है?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इसके लिये स्थिति ऐसी है कि जो बोली सरकार ले चुकी है, अगर सरकार तमाम के तमाम ठेके बन्द कर दे तो तमाम ठेकेदारों को कम्पनसेट करना पड़ेगा। आपको पता ही है जैसी वित्तीय स्थिति हमारे ये

भाई छोड़ गये हैं। इसलिये हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि सारे क्षेखें में शराब बन्दी लागू कर सकें क्योंकि उन ठेकेछारों को हमें कम्पनसेट करना पड़ेगा।

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कया सरकार इस बात का पूरी तरह से फैसला कर चुकी है कि हम चार साल में पूरी तरह से यानी मुकम्मल तौर पर प्रोहिबिशन लागू करेंगे?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: यह सैंटर की प्रोहिबिशन कमेटी ने फैसला किया है कि सारे देश के अन्दर चार साल के अन्दर प्रोहिबिशन लागू होगी। हरियाणा सरकार जैसे मैंने पहले बताया है, इसमें पहल कर चुकी है।

चौ. पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया है कि चार साल के अन्दर टोटल शराबबन्दी लागू हो जायेगी और मुख्यमंत्री जी ने अपने जिले हिसार में शराबबन्दी लागू भी की है, क्या 1967–68 मे यह पूरी तरह से लागू हो जायेगी?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: अब तो 1977–78 चल रहा है और आनरेबल मैम्बर साहब 1967–68 की बात कर रहे हैं।

चौ. संत कंवर: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के इलाके में शराबबन्दी लागू की गयी, वह तो ठीक है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जेल में

रहे, वहां पर शराबबन्दी की गयी, वह भी ठीक है लेकिन रोहतक में जहां पर एमरजैंसी के दौरान आज के 5–6 सैंटर के मंत्री और इस हाउस के मेरे जैसे बहुत से सदस्य ऐसे हैं जोकि वहां की पवित्र जेल में रह कर आए हैं इसलिए रोहतक जिला के अन्दर जोकि तीर्थ स्थान जैसा बना गया है नशाबन्दी लागू की जाए। वहां पर शराब बन्दी लागू क्यों नहीं की गयी? मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले वहां पर शराबबन्दी लागू की जानी चाहिए थी?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि हमें कम्पनसेशन देना पड़ता है। अगर सरकार हर डिस्ट्रिक्ट मे इस पालिसी को लागू करना चाहे तो नहीं कर सकती क्योंकि हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं हैं।

चौ. लाल सिंह: क्या मंत्री, महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, जैसे कि उन्होंने फरमाया है कि जहां पर पंचायतें हैं, वहां पर पंचायतें और शहरों में म्युनिसिपल कमेटीयां रैजोल्यूशन पास करके भेज दें तो शराब की दुकानें वहां पर बन्द हो सकती हैं, लेकिन जहां पर नोटिफाइड एरिया कमेटियां हैं, क्या वहां पर उन्हें रैजोल्यूशन पास करके भेजना पड़ेगा ताकि शराबबन्दी हो सके?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री दीप चन्द भाटिया: क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि फरीदाबाद के अन्दर दो अक्तूबर जो हमारे

राश्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, को शराब की दुकानें खोली गयीं, अगर उनके नोटिस में यह बात है कि दुकानें खोली गयीं तो उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मेरे पास इस किस्म की कोई कम्पलेंट नहीं आयी कि दो अक्तूबर को वहां पर शराब की दुकानें खोली गयीं। अगर कोई शिकायत इस किस्म की आयेगी तो उस पर जरूर कार्यवाही की जायेगी।

मास्टर शिव प्रसाद: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे कि उन्होंने अभी फरमाया कि जिन पंचायतों से रैजोल्यूशन आयेंगे, वहां पर हम शराब की दुकानें बन्द कर देंगे लेकिन जो रैस्ट हाउसिज हैं, उनके बारे में अभी यहां पर यह कहा है कि उनके बारे में सोचेंगे, आखिर वह भी किसी पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी के अन्दर आते होंगे, फिर उनको बन्द करने के लिये सोचने की जरूरत क्यों पड़ेगी?

चौ. देवी लाल: अध्यक्ष महोदय, इनकी मुराद शायद टूरिस्ट काम्पलैक्स से है जहां पर फारनर्ज आकर ठहरते हैं। उनका नम्बर सबसे आखिर मे आयेगा।

श्री मूल चन्द मंगला: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर छोटे–छोटे बच्चे शराब की दुकानों से शराब लेकर जाते हैं, छोटी–छोटी लड़कियां शराब लेकर जाती है, वहां पर दुकानदारों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जाता है?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास इस किस्म की कोई कम्पलेन्ट नहीं आयी। अगर मेरे साथी को किसी ऐसी जगह का पता हो तो वे लिख कर दें। तब उस पर विचार किया जायेगा।

ठाकुर बीर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने स्टेट में टोटल प्रोहिबिशन के लिये तो डेट मुकर्रर कर दी है, लेकिन विधान सभा के सदस्यों के लिये भी कोई ऐसी तवज्जोह है कि प्रत्येक मैम्बर शराब पीना छोड़ दे?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से उन्हें रिक्वैस्ट ही कर सकात हूं कि वे भी पीना छोड़ दें।

श्री भाले राम: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे कि उन्होंने बताया कि जिन पंचायतों से रैजोल्यूशन आ जायेंगे वहां पर तो शराब एकदम बन्द कर देंगे लेकिन जहां से नहीं आयेंगे, उनके लिये कैसे करोगें?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, यह सैपरेट क्वैश्चन है। इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये।

श्रीमती शान्ति देवी: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, जैसे कि आजकल आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि लगभग हर सरकारी अधिकारी/कर्मचारी शराब पीये रहता है, इसके लिये सरकार क्या सोच रही है?

चौ. सतवीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, यह क्वैश्चन तो दूसरा है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूं। जिस वक्त हम पूरी तरह से शराबबन्दी कर देंगे तब तो हालत दूसरी होगी लेकिन अब हालत ऐसी है कि अगर वह यानी कि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी दफ्तर में शराब पीकर बैठता है फिर तो उसके खिलाफ ऐक्शन हो सकता है लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने घर में बैठकर पीता है तो उसको किसी को पता भी नहीं चलता और न ही उसके खिलाफ कोई ऐक्शन ही हो सकता है। वह तो उसकी प्राईवेट लाईफ है। पुलिस के कुछ सिपाही अभी पिछले दिनों सरकार के द्वारा शराब पीये हुए पकड़े गये और उन्हें सस्पैंड किया गया है।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब तो पहले आ चुका है।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, पिछली दफा हाउस में यह यकीन दिलाया गया था कि अगर पंचायतें रैजोल्यूशन पास करके भेजेंगी तो फौरन ही शराब बन्दी लागू की जायेगी लेकिन अब मुख्यमंत्री महोदय ने वह बात बदल दी है। क्या उस बात को स्पश्ट किया जायेगा?

चौ. देवी लाल: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा मतलब गलत समझ लिया गया है। स्टेट को 25 करोड़ रूपये एक्साइज डियूटी से आमदनी है। इसे एकदम बन्द करने का

सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अगर हम इसको एकदम बन्द कर दें तो रिटें भी हो सकती हैं।

श्री लछमल सिंह: मंत्री महोदय ने यह बताया है कि जहां–जहां से पंचायतों के रैजोल्यूशन आयेंगे, वहां–वहां पर हम शराब के ठेके बन्द कर देंगे। मैं उनके नोटिस में यह चीज लाना चाहता हूं कि इस तरह करने से बाकी के जो ठेके नीलाम होंगे उनकी बोली बहुत बढ जायेगी। सरकार इस बारें में क्या पब्लिक को इत्तलाह करेगी?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, इनका यह बहुत अच्छा सुजैशन है, हम इस सुझाव को स्वीकार करते हैं। हम ठेकों की बोली करने से पहले बी.डी.ओज की मारफत बाकायदा मुनियादी करवा देंगे।

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में यह अश्योरेंस दी थी कि शराबबन्दी फौरन ही बन्द कर दी जाएगी। मैं समझता हूं कि आप उस जवाब को खुद पढ़ लें और इसका फैसला आप कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ चुका है।

चौ. गंगा राम: किसी गांव के लोग शराब बन्द करवाना चाहते हैं लेकिन वहां की पंचायत के जो पंच तथा सरपंच हैं वे शराब पीते हैं और वे रैजोल्यूशन नहीं भेजते लेकिन गांव वाले

चाहते हैं कि रैजोल्यूशन भेजा जाए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करने का विचार है?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, 31 मार्च तक तो हम बन्द नहीं कर सकते क्योंकि काफी कम्पनसेशन सरकार को देना पड़ेगा। जिस जगह के बारे में मैम्बर साहब ने जिक्र किया है वह जगह सैकिंड स्टेज में जा सकती है।

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब से जनता सरकार आई है उसने अपने पीरियड में शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसैन्स दिया है?

चौ. सतवीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार बनने के बाद कोई लाइसैन्स शराब की दुकान खोलने का नहीं दिया गया है।

श्री लहरी सिंह महरा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कुरूक्षेत्र की शराबबन्दी के लिए सबसे पहले क्यों नहीं चुना गया जबकि कुरूक्षेत्र देश का एक पवित्र स्थान है?

चौ. सतवीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र को मैं एक धार्मिक स्थान मानता हूं। हमने पहले दो जगह पर शुरू किया है। इसके बाद दूसरी स्टेज पर कुरूक्षेत्र में शराबन्दी लागू कर दी जाएगी।

चौ. गया लाल: कुछ जगहें ऐसी हैं जो पंचायत में भी नहीं आती और न ही म्युनिसिपल कमेटी में आती हैं और वहां पर शराब के ठेके खुले हुए हैं जैसे हरियाणा ओर यू.पी. का बार्डर। वहां पर पुलिस भी शराब पीती है और दूसरे लोग भी शराब पीते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर शराब कैसे बन्द होगी और ऐसी जगह के कौन रैजोल्यूशन पास करेगा?

चौ. सतवीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है। पहले पंचायतस और म्युनिस्पिल कमेटीज के जो रैजोल्यूशन आएंगे वहां पर शराब बन्द होगी उसके बाद सैकिण्ड स्टेज आएगी।

श्री जय नारायण वर्मा: जिस प्रकार से आम दुकानों के बन्द करने और खोलने के लिए टाईम की पाबन्दी है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसी प्रकार शराब की दुकानें खोलने और बनद करने के टाईम के बारे में सरकार विचार करेगी और शराब के बारे में जो विज्ञापन आदि आम दिए जाते हैं उनके बारे में भी सरकार विचार करेगी?

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, यह चीज सरकार के विचारधीन है और हम जल्दी ही विज्ञापनों को जो आम जगहों पर लगे रहते हैं, बन्द करेंगे।

Teachers Working on Six Months Basis

***104. Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether it is a fact that many teachers are working on six months basis for the last many years in the Education Department;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to regularise the teachers mentioned in part (a) above;

(c) whether the Govt. propose to confirm the teachers mentioned in part (a) above; and

(d) whether it is a fact that the is much shortages of Mathematics Masters and Science Masters in most of the schools in the State together with the steps taken by the Govt. to meet this shortage?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh):

(a) Yes.

(b) The matter is under examination.

(c) the question does not arise at this stage.

(d) Yes.

(1) 50% seats in Colleges of Education have been reserved for graduates in Science and Mathematics.

(2) Social Studies Maters who are being, at present, deputed for teaching these subjects will be given special orientation courses to equip them for this job.

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, साईस मास्टर्ज की काफी जगहें खाली हैं, और जैसा कि जवाब में मंत्री महोदय ने बताया है कि सोशल स्टीडीज टीचर्ज को कोर्स की ट्रेनिंग देकर उनसे फिर मैथ और साइंस पढ़वाएंगे तो इससे कितना नुक्सान होगा। जब साइंस टीचर्ज और मैथ टीचर्ज खाली फिर रहे हैं और छः महीने के बेसिज पर उनको लगाया गया है और वे अभी कच्चे हैं, उनकी आयु भी निकल जाएगी। आप उनको रैगुलर कर दें इससे शिक्षा का काम भी अच्छा चलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा करने में क्या कठिनाई है?

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, पिछली सरकार जाते–जाते अठारह सौ मास्टर्ज को सैकशंड ऐस्टेबलिशमेंट के अलावा ऐम्पलाए कर गई। ऐजूकेशन डिपार्टमैंट जितनी ऐस्टबेलिश सेंकशंड होती है सिर्फ उतने ही टीचर्ज एम्पलाए कर सकता है। बजट में जितना प्रोविजन होात है उसके हिसााब से ही टीचर्ज एम्पलाए किए जाते हैं। जिस वक्त जगह होगी उस वक्त साइंस और मैथ के मास्टर्ज रखे जाएंगे। इस वक्त साइंस तथा मैथ के ग्रैजुएटस के लिए 50 परसेन्ट सीट्स कालिजिज आफ ऐजूकेशन में रिजर्व कर दी गई हैं और इस वक्त जो आर्टस मास्टर्ज मैथ पढ़ा

रहे हैं उनका स्पैशल ओरियनटेशन कोर्स हो रहा है। उनको मैथ और साइंस पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ओर मैं समझता हूं कि वे अपना काम अच्छा कर सकेंगे।

श्रीमती शान्ति देवी: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो 1637 एस.एस. मास्टर्ज अवैध भर्ती किए थे उन तमाम को हटाने के बारे में अथवा उनको रेगुलर करने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है क्योंकि हरियाणा के अन्दर पिछले दस साल से एक भी जे.बी.टी. अध्यापक की रेगूलर अप्वांयटमैंट नहीं हुई है। क्या ऐसा विशय सरकार के विचाराधीन है?

कर्नल राव राम सिंह: आपने एक सवाल के अन्दर दो–तीन सववाल कर दिए हैं। आपने जे.बी.टी. टीचर्ज के बारे में बताया है कि 1970 से लेकर आजतक जे.बी.टी. टीचर्ज की कोई सिलैक्शन एस.एस.एस. बोर्ड के थ्रू नहीं हुई है। इसकी वजह पुरानी सरकार को पता होगी। लेकिन एक बात यह थी कि एक दफा 1970 से 1637 जे.बी.टी. टीचर्ज की जगह खाली हुई जिसके लिए करीब 20 हजार उम्मीदवारों ने बोर्ड में सिलैक्शन के लिए ऐप्लाई किया। बीस हजार ऐप्लीकेशंज देखकर बोर्ड ने टीचर्ज के सिलेक्शन में बदली कर दी। बीस हजार का इंटरव्यू नहीं कर सकते थे और इसलिए बोर्ड ने 1637 सिलैक्ट कर लिए। जो लोग रिजैक्ट हुए थे उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दी और हाई कोर्ट ने बोर्ड का फैसला क्वैश कर दिया और उसके बाद जब तक उसका फैसला नहीं हुआ तब तक कोई ऐप्लीकेशन एस.एस.एस.

बोर्ड के सामने नहीं आई। इससे पुरानी सरकार को शायद स्वाद आ गया एडहाक टीचर्ज रखने का। इस वक्त यह विचार किया जा रहा है कि जिन बीस हजार लोगों ने ऐप्लाई किया था उनका मामला सुलझाने के लिए गवर्नमैंट सोच रही है कि जे.बी.टी. टीचर्ज को एस.एस.एस. बोर्ड रेगुलर अप्वाएटमैंट के लिए रखे।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, बहुत से लड़के पांच साल से भी ज्यादा हो गए, ट्रेनिंग करके घर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में बैठे है कि आने वाले समय में उनको नौकरी मिल जाएगी। वे लड़के ओवर–एज भी हो रहे हैं। जिन लड़कों ने ट्रेनिंग ली है उनको नौकरी शीघ्र दी जानी चाहिए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है उनको नौकरी देने और उनकी उम्र में रिलेक्सेशन देने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष: सवाल छोटा किया कीजिए।

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, जब भी किसी चीज के लिए ट्रेनिंग शुरू की जाती है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि इतनी मांग है और उसी के हिसाब से ट्रेंड करना चाहिएं अनफारचूनेटली पिछली सरकार ने मांग की तरफ बिल्कुल गौर नहीं किया और धड़ाधड़ बी.एड. कालिज खोल दिए। उसका नतीजा यह हुआ कि कई हजार लड़के जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, फालतू ुरि रहे हैं और डिपार्टमैंट में सन् 1980 तक मैथ और

साइंस मास्टर्ज का छोड़कर कोई जगह नहीं है। इस साल साढ़े तीन हजार एडीशनल बी.एड. लड़के और मार्किट में आ गए हैं। इनकी ऐम्पलायमैंट की स्थिति खराब है और जैसे–जैसे जगह निकलती जाएंगी उनको ऐम्पलाए करेंगे।

श्री रण सिंह मान: क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि राज्य के स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उसमें वैज्ञानिक दृश्टिकोण को दृश्टि में रखते हुए सरकार कोई नया कदम उठाने पर विचार कर रही हैं?

कर्नल राव राम सिंह: अध्यक्ष महोदय, 10+2+3 के नीचे जो प्रोग्राम सरकार बनाने जा रही हैं उसके तहत यह पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

चौ. ईश्वर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 670 जे.बी.टी. टीचर्ज हैं उनको कब तक रेगुलर कर दिया जाएगा और जिनका नाम एम्पलाएमैंट एक्सचेजिज में दर्ज है क्या उनको उसी डेट से ही ठीक माना जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह: जैसे मैंने पहले कहा था कि 20 हजार जे.बी.टी. टीचर्ज ने अप्लाई किया था जिसमें 1637 को लगाया था और हाई कोर्ट ने वह आर्डर क्वैश कर दिये थे। अब सरकार यह सोच रही है कि कोई सकीरीनिग कमेटी बनाई जाए और वह उन बीस हमार टीचर्ज जिनमें 1637 भी शामिल हैं उनको उस सकरीनिंग कमेटी के सामने बुलाकर उनकी सिलैक्शन करके

फिर वापिस बोर्ड को उनके नाम भेज दिये जाएं। जहां तक ऐज का ताल्लुक है जितनी एक आदमी की एडहाक के नाते सर्विस होगी उसको उतनी रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। जैसे किसी की पांच साल की सर्विस है तो उसको पांच साल की रिलैक्शन दे दी जाएगी।

चौ. हर स्वरूप बूरा: मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि जो सर्विस में थे उनको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी पर जो उस वक्त सर्विस में नहीं थे क्या उनको भी ऐज रिलैक्सेशन देने का सरकार के सामने कोई प्रश्न विचाराधीन है?

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, उस वक्त जो सर्विस में नहीं थी उनको ऐज की रिलैक्सेशन देने के बारे में सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री रण सिंह मान: मैं मिनिस्टर महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो बी.एड. और जे.बी.टी. टीचर्ज ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपने अपने घरों में बैठे हुये हैं और उसको अभी तक नौकरी भी नहीं मिली है, क्या ऐसी ट्रेनिग को सरकार आगे के लिये बन्द करने का विचार रखती है ताकि पहले उन बेरोजगारों को एडजस्ट किया जा सके जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ले रखी है?

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, जे.बी.टी. टीचर्ज की ट्रेनिंग जो है वह तो पहले ही बन्द हो चुकी है। इस समय

ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही है। जिन्होंने एक साल पहले कर लिया है उनके लिये ही पार्ट सैकिड चलाया जाएगा। पार्ट वन की नई क्लास नहीं चलायी जाएगी। जहां तक बी.एड. का ताल्लुक है, हम कोशिश करेंगे कि सीटस कम से कम हों।

श्री लछमन सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जैसे हरियाणा के अन्दर नशाबन्दी के लिये पग उठाये जा रहे हैं उसी तरह से हरियाणा में स्कूलों को अपग्रेड भी किया जाएगाउ ताकि लोगों में अनपढ़ता को दूर किया जा सके और जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरियों में एबजार्ब किया जा सकेंद्य

कर्नल राव राम सिंह: स्कूलों को अप–ग्रेड करने को हमारी सरकार सोच रही है। पिछली सरकार 240 स्कूलों को अप–ग्रेड कर गई थी और उनके लिये 71 लाख रूपये की मंजूरी भी कर गई थी परन्तु वह मंजूरी केवल कागजों पर ही थी। बजट में उसकी कोई प्रोवीजन नहीं रखी गई थी, कोई पैसा अलाट नहीं किया गया था और गवर्नर साहब के रूल में यह आर्डर स्टे कर दिये गये थे। ऐजुकेशन डिपार्टमैंट तो यह चाहता है कि स्कूल–अप–ग्रेड किए जाएं लेकिन जब तक हमारी फायनैंनशियल पोजीशन साउंड नहीं होती तब तक स्कूल अप–ग्रेड नहीं हो सकते।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, रूल्ज के तहत जिन एडहाक टीचर्ज की सर्विस 9 महीने से ऊपर हो जाती है

उनको वैकेशन्ज की पे मिलती है पर 680 जे.बी.टी. टीचर्ज का वैकेशनज की पे नहीं मिल रही है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचारधीन है जिससे कि एडहाक पर काम कर रहे टीचर्ज को वैकेशन्ज की पे मिल सके।

Col. Rao Ram Singh : This is a different question. If notice is given, the answer will be provided.

चौ. गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया था कि जितने अध्यापकों की आवश्यकता थी उससे ज्यादा ट्रेनिंग दी गई ओर ट्रेनिंग सैन्टर खोले गये इसी लिये आज अन–एम्पलायमैंट ज्यादा है। जैसे पिछले साभ जहां 11 ट्रेनिंग सैन्टर्ज थे आज वहां 33 हैं, जहां पहले तीन थे आज वहां पर 10 सैन्टर्ज खोले गये हैं बल्कि यहां तक हुआ है कि स्कूल का नाम चार दिन पहले रजिस्टर करवाया गया कोई उस स्कूल की बिल्डिंग नहीं, कोई कागज नहीं, और कुछ नहीं, ऐसे ऐसे स्कूलों में भी ट्रेनिंग दी गई है तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन लोगों को इस तरह ट्रेनिंगदी जाएगी उनको नौकरी कैसे मिलेगी?

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, इसका जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं। मुझे नहीं पता कि ये किस पर्टीकुलर सैन्टर की बात कर रहे हैं, इन्होंने यह स्पश्ट नहीं किया।

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में मुख्यमंत्री महोदय ने हाउस को अश्योर किया था कि हरियाणा के अन्दर लड़कियों के लिये स्कूल खोले जाएंगे पर अब शिक्षा मन्त्री

महोदय ने यह कह दिया कि फाईनैशियल पोजीशन को मदेनजर रखते हुए ही ऐसे कदम उठाये जा सकते हैं?

Col. Rao Ram Singh : This is a separate question.

चौ. पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने 250 हैड–मास्टर्ज को रिवर्ट करके मास्टर बना दिया था हालांकि वे सब प्रोमोशन के आधार पर हैड–मास्टर्ज बनाये गये थे। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सरकार उनको फिर से हैड–मास्टर्ज बनाने का विचार रखती है?

Col. Rao Ram Singh : It is a separate question.

Property statement of I.P.S. Officers

***139. Lala Balwant Rai Tayal** : Will the Chief Minister be pleased to state the number of I.P.S. Officers who have submitted their property statement for the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 together-with the names of those who have not submitted the statement together-with the reasons therefor ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal) :

		1974	1975	1976
		29	35	39
(a)	No. of officers who have submitted their property			

	statements.			
(b)	Names of officers who have not submitted their property statements.			Sh. R.S. Dalal, IPS Asstt: Supdt. of Police, Jind.
(c)	Reasons for non-submission of property statement.		The officer concerned has been reminded and has also been asked to explain the reason for non-submission of the statement.	

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सामने जो सवाल का उत्तर है वह हिन्दी में छपा हुआ है ओर सवाल पूछने वाले ने भी हिन्दी में ही पूछा है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार के अधिकारी हमारे मन्त्रियों को जो उत्तर तैयार करके देते हैं वह अंग्रेजी में क्यो देते हैं?

चौ. देवी लाल: स्वामी जी की तसल्ली के लिये मैं हिन्दी में उत्तर दे देता हूं। वैसे हिन्दी की बजाए उर्दू में जवाब देना मेरे लिये ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि मैं हिन्दी भी मुल्तान जेल का पढ़ा हुआ हूं–

		1974	1975	1976
		29	35	39
(क)	सम्पति विवरण देने वाले आई.पी.एस. अधिकारियों की संख्या			श्री आर.एस. दलाल आई. पी.एस. सहायक पुलिस अधीक्षक, जींद
(ख)	सम्पति विवरण न देने वाले आई.पी.एस. अधिकारियों के नाम			श्री आर.एस. दलाल आई. पी.एस. सहायक पुलिस अधीक्षक, जींद
(ग)	सम्पति विवरण न दिये जाने के कारण			संबंधित अधिकारी को स्मरण कराया गया है और उन्हें कहा गया है कि सम्पति विवरण न भेजने के कारण बताएं।

चौ. सुरेन्द्र सिंहः क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि यह जो आई.पी.एस. आफिसर्ज से प्रापर्टी स्टेटमैंट ली जा रही है इनमें से एक श्री डी.डी. कश्यप, डी.आई.जी. हैं उनकी हरियाणा प्रान्त में और हरियाणा प्रान्त के बारे इम्प्रूवेबल प्रापर्टी कितनी है?

चौ. देवी लाल: इसके लिये अगल से नोटिस दें फिर जबवा मिलेगा।

ठाकुर वीर सिंह: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रापर्टी स्टेटमैंट आने के बाद साल के साल उनकी जांच की जाए?

चौ. देवी लाल: ऐसी कोई जांच नहीं की गई है। अभी तक तो जो ऐसे पालिटिशीयंज थे उनकी जांच की जा रही है। इनकी जांच बाद में करेंगे। (थम्पिंग)।

श्री लहरी सिंह महरा: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि जैसे आई.पी.एस. अधिकारियों की प्रापर्टी का विवरण मांगा जा रहा है तो उनके नीचे और भी अधिकारी हैं जैसे डी.एस.पी. है और एस.एच.ओ. वगैरह हैं जिन्होंने करोड़ो रूपये जमाकर रखे हैं क्या इनकी भी जांच होगी?

चौ. देवी लाल: अगर कही पर ऐसा शक हुआ तो जांच की जाएगी।

चौ. पीर चन्द: जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पालिटिशीयंज की इन्क्वायरी हो रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह इन्क्वायरी कब तक कम्पलीट हो जाएगी और कब तक उनको सजा दी जाएगी?

चौ. देवी लाल: यह वक्त के साथ–साथ पता लगता रहेगा।

श्रीमती शान्ति देवी: क्या मुख्यमंत्री महोदय हमारे जिले की तरफ भी ध्यान देंगे क्योंकि अभी तक वहां किसी पालिटिशयन को छेड़ा नहीं गया है।

चौ. देवी लाल: इसके लिये आप अलग से नोटिस दीजिये फिर जवाब दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: यह सवाल तो आई.पी.एस. आफिसर्ज के बारे में है।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि यह जो आई.पी.एस. आफिसर्ज का सम्पति विवरण ले रहे हैं इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि उसकी नौकरी में आने से पहले कितनी सम्पति थी और नौकरी में आने के बाद कितनी बनी? क्या इसकी जांच की जाएगी?

चौ. देवी लाल: इस सुझाव पर गौर किया जाएगा।

श्री मूल चन्द जैन: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि ये जा विवरण लिये जा रहे हैं क्या इनको सदन की मेज पर रखा जाएगा?

चौ. देवी लाल: ये विवरण्ण सीक्रेट होते हैं। किसी आदमी की सम्पति का विवरण सदन की मेज पर नहीं रखा जा सकता, यह प्राइवेट मामला होता है।

चौ. रिजक राम: क्या मुख्यमंत्री महोयद बताएंगे कि जो प्रापर्टी स्टेटमैंट आई.पी.एस. आफिसर्ज ने दी है क्या सरकार ने उनकी पड़ताल की है कि उनकी आमदनी से उनकी प्रापर्टी ज्यादा है और अगर कोई ऐसा केस है तो उस पर क्या ऐक्शन लिया है?

चौ. देवी लाल: इस बारे में हम सोच रहे हैं अभी तो पहली सरकार के कागजात देखे जा रहे हैं।

चौ. पीर चन्द: क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि जेसे चौ. सुरेन्द्र सिंह जी की पहले कम से कम दस हजार फीस थी क्या अब भी उतनी ही फीस लेते हैं या कम हो गई है?

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

चौ. गंगा राम: क्या मुख्यमत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौ. बंसी लाल ने जो अपने रिश्तेदारो को किसी बोडै में या और जगहों पर लगवाया था और वे आज भी लगे हुए हैं तथा लाखों रूपये रिश्वत के लेने लग रहे हैं और उनके खानदानों को आज भी पैसे भेजे जा रहे है क्या उनको ..... (शोर) निकाला जाएगा?

चौ. देवी लाल: यह आप अपने पड़ौसी (चौ. सुरेन्द्र सिंह की तरफ इशारा) से पूछें।

(इस समय चौ. सुरेन्द्र सिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठ जाइये।

Ch. Surrender Singh: Since that has been raised on the floor of the House .....

Mr. Speaker: I have over ruled the question.

Ch. Surrender Singh: It should be stopped for all times to come otherwise I should be given time to reply .....

Mr. Speaker: I have stopped him.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ): आप तो भ्रश्टाचार के पुतले हो। (शोर)

Haryana High School Sonepat.

***96. Smt. Shanti Devi**: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether it is a fact that Haryana High School Sonepat was started in 1941-42;

(b) whether it is a fact that complaints were lodged with Chief Minister and Education Minister in connection with the misappropriation of funds and the

irregularities committed in collection of unauthorized funds for both school and home Science Classes; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by the Government in the matter?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):

(क) रिकार्ड की अनुपस्थिति में इस बात की पुश्टि करना कि हरियाणा हाई स्कूल सोनीपत वर्श 1941–42 में चलाया गया था, संभव नहीं है। फिर भी, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा उपलब्ध की गई सूचना अनुसार इस स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने 1944 की मैट्रिक की परीक्षा प्राईवेट परीक्षार्थियों के तौर पर दी थी। उस समय यह स्कूल अमान्य था।

(ख) जी हां। मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री महोदय को शिकायतें की गई थी।

(ग) शिकायतों पर अन्तिम निर्णय लिये जाने तक इस स्कूल की सरकारी ग्रान्ट रोक दी गई है।

Appointment of Naib-Tehsildars

***126. Sh. Mange Ram Gupta**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of persons appointed as Naib-Tehsildars Class B after the formation of Haryana State together with the dates of their appointment;

(b) the total number of posts reserved on which appointment of Naib-Tehsildars was to be made by promotion and the date on which such orders was issued; and

(c) the period for which the case remained pending with the Subordinate Services Selection Board, Haryana after the recommendations made by the Commissioner/Commissioners for the post of Naib-Tehsildars (B-Grade)?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल):

(ए) आयुक्त, अम्बाला मण्डल द्वारा 20 व्यक्तियों को 1 अगस्त, 1977 को बी. श्रेणी नायब तहसीलदार उम्मीदवार स्वीकृत किया गया है।

(बी) कोई ऐसे पद सुरक्षित नहीं रखे गए थे जिन पर नायब तहसीलदारों की नियुक्तियां पदोन्नति द्वारा की जानी थी, क्योंकि नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

(सी) अम्बाला मण्डल का मामला अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल के पास साढे छः मास तक लम्बित रहा।

जहां तक हिसार मण्डल के केस का सम्बन्ध है, आयुक्त द्वारा दिनांक 10–2–1977 को भेजी गई सिफारिशें अभी अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल के पास लम्बित ही हैं।

ठाकुर बीर सिंह: क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि जो नायब तहसीलदार लगाए गए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन की जांच करवायेंगे? इन तहसीलदारों में से बहुत से ऐसे हैं, जैसे नफेसिंह हैं, इन्होंने झूठे सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, क्या इनकी जांच की जाएगी?

चौ. देवी लाल: ऐसी शिकायतें पहले आती तो जांच पड़ताल भी कर ली जाती।

ठाकुर बीर सिंह: क्या आयंदा जांच की जाने की सम्भावना है?

चौ. देवी लाल: अगर शिकायत भेजेंगे तो की जाएगी।

चौ. राम किशन: कया मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि नायब तहसीलदार किस किस जिले के किस–किस गांव से सम्बन्ध रखते हैं?

चौ. देवी लाल: अगर आप अलग सवाल भेजेंगे तो आपको जवाब दे दिया जाएगा।

कंवर राम पाल सिंह: मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब में बताया कि कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके तहत नायब तहसीलदारों की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जाए। क्या मुख्यमंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि इनकी एप्वायंटमैंट में रिजर्वेशन हो?

चौ. देवी लाल: ऐसा अभी कोई विचार नहीं है।

लाला बलवन्त राय तायल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं यह समझता हूं कि समाज के अन्दर अंग्रेजी भी एक भाशा है। हाउस के मैम्बरो को या किसी को भी इसके बोलने पर आब्जैक्शन नहीं करना चाहिए जिसके कारण हाउस की प्रोसीडिगज भी न हा सके।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात ठीक है।

चौ. देवी लाल: मैं स्वामी जी से दर्खास्त करूंगा कि जो पार्लियामैंट में रवायत है, उसी के मुताबिक बोलें।

15.00 बजे

श्री अध्यक्ष: तायल साहब, मुझे याद नहीं था कि आपका प्वायंट आफ आर्डर है। वैसे आप क्वैश्चन आवर में प्वायंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Inspectors & Sub-Inspectors in the Cooperative Department

***57 Rao Dalip Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the total number of Inspector and Sub-Inspectors of the Cooperative department who were suspended during the year 1974-75, 1975-76 and 1976-77, respectively, in the State;

(b) the total number of Inspectors and Sub-Inspectors out of those referred to in part (a) above who have been re-instated in the State to-date ; and

(c) the total number of Inspectors and Sub-Inspectors mentioned in part (a) above who have been suspended for more than one year and two years, separately and have not been re-instated so far in the State?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)

		निरीक्षक				उप–निरीक्षक			
		74–75	75–76	76–77	जोड	74–75	75–76	76–77	जोड
(ए)	वर्श 74–75 से 76–77 तक सहकारिता विभाग के निलम्बित किए गए निरीक्षकों तथा उप निरीक्षकों की कुल संख्या	2	20	6	31	6	19	10	35
(बी)	आजतक उपरोक्त (ए) में से बहाल किए गए निरीक्षकों तथा उपनिरीक्षकों की संख्या	निरीक्षक				उप–निरीक्षक			
		26				23			
		निरीक्षक				उप–निरीक्षक			
(सी)	उपर्युक्त (ए) में से जो अभी तक बहाल नहीं किए गए, उन में से एक	एक वर्श से अधिक		दो वर्श से अधिक	जोड	एक वर्श से अधिक		दो वर्श से	जोड

	वर्श तथा दो वर्श से अधिक समय से निलम्बित चलते जा रहे हैं, उन निरीक्षकों तथा उप निरीक्षकों की संख्या					अधिक	
		3	2	5	9	3	12

86. Shri Gulzar Singh: will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) whether any scheme for the construction of Pegan Minor extension in district Jind was apporved by the out-going Government; and

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)

(ए) जी नहीं।

(बी) प्रश्न नहीं उठता।

Communication from a Member of Parliament in connection with getting due share of Ravi Beas waters.

90. **Chaudhri Birinder Singh**: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Govt. receibed any communication in connection with 3.22 million acre feet water as due share of Haryana State during the current year from the Ravi Beas surplus water, from a Member of Parliament representing Haryana;

(b) if so, a copy thereof be laid on the Table of the House, and

(c) the steps, so far taken by the Govt. to get due share of Ravi Beas water for Haryana during the current year?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh):

(a)& (b) Acopy of letter dated 25th August, 1977 from Sh. Ranbir Singh, M.P. is placed on the Table at annexure 'A'.

(c) The matter has been taken up with the Government of India and the Punjab Government.

Annexure A

"Haryana Pradesh Congress Committee

140, Sector 9-B, Chandigarh-160009

Ch. Ranbir Singh, M.P. Ref. No. 1915/77

Convener, Dated 25th August, 1977

My dear Chaudhari Sahib,

In continuation of my previous correspondence regarding obtaining due share, i.e. 3.5 million acre feet of

irrigation supply of Ravi Beas to Haryana through the existing Bhakra Canal System and link channels to Western Jamna Canal system.

1700 cusecs capacity of Bhakra Canal System, originally reserved for Rajasthan area, have become surplus as the Rajasthan areas supplies are now made through the Sirhind Feeder and not through the Bhakra Canal. According to my calculations, it will be able to supply 1.24 million acre feet of water. As regards the supply of 2.3 million acre feet of water, major portion of that also can be put through the existing system as the Bhakra Main Canal runs full supplies only for a few months. Three to four thousand and may be five thousand cusecs capacity will be available for the rest of the year for running our supplies. Not only that, Rajasthan canal surplus capacity can be made available to use though Rajasthan Canal and as fully spply in Rajasthan Canal also will be run for a few months, we can have a channel from Rajasthan Canal if an agreement is arrived at between the two States and that too for high level lands, which can be irrigated through flow irrigation.

I would, therefore, request you to get this issue examined and take early steps to come to a an agreement with the Rajasthan Government, so that full due share of Ravi-Beas waters can be made available to Haryana State even during this year.

With best regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(Rajbir Singh)

Ch. Virender Singh,

Irrigation & Power Minister,

Haryana, Chandigarh."

Marble factory at Narnaul

***98 Sathi Ayodhya Parshad**: will the Minister for Industries be pleased to state –

(a) the total capital outlay of the marble factory, being run in the public sector at Narnaul to-date together-with the total profit accured or the loss suffered so far;

(b) the details of the total number of permanent/temporary employees working in the said factory, separately;

(c) whether any strike has taken place in the said factory so far; if so, the total number of days for which strike was held;

(d) the quality of the stone being used as raw material in the said factory at present together-with the place from where the same is being acquired alongwith the market value of the material manufactured by the said factory so far; and

(e) whether it is a fact that the factory is running in loss; if so, the reasons therefor?

Interim Reply

51B(I)-77/

मंगल सैन अ.स.प. क्रमांक 58 (वि.स.प्र.)–77/

मंत्री

उद्योग विभाग, हरियाणा

चण्डीगढ़।

अक्तूबर 14,1977

विशयः– तारांकित विधान सभा प्रश्न क्रमांक 98 के उत्तर देने की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में:

प्रिय श्री रणसिंह,

श्री अयोध्या प्रसाद, विधायक द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न क्रमांक 98 जोकि सचिवालय में, उद्योग विभाग से सम्बन्धित 4–10–77 को प्राप्त हुआ है। वह प्रश्न उत्तर के लिए 17–10–77 को निश्चित है। इस तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित हो रही है। सूचना लम्बी होने के कारण एकत्रित करने में समय

लगेगा। अतः मैं आभारी हूंगा यदि इस प्रश्न के लिए आप 15 दिन की अवधि गढ़ा दें।

सदर सहित

आपका

हस्ता0

(मंगल सैन)

ब्रिगेडियर रणसिंह

अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा,

चण्डीगढ़।

Posts of Social Education and Panchayat Officers

***105. Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Minister for Development and Panchayat be pleased to state –

(a) the number of posts of Social Education and Panchayat Officers filled by promotion since 1972 to-date;

(b) the number of employees promoted from amongst the Gram Sewak and Panchayat Secretaries separately during the period a

referred to in part (a) above on the posts filled by promotion; and

(c) whether the procedure of 2:1 was adopted in case of Gram Sewaks and Panchayat Secretaries in accordance with the recommendation made by Ch. Sarup Singh Committee of the Development Department for making the above referred promotions and accepted by the Government?

विकास तथा पंचायत मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) 70 (सत्तर)

(ख) 1972 से लेकर अब तक ग्राम सेवकों तथा पंचायत सचिवों में से पदोन्नत हुए समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है:–

	वर्ग जिसमें समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारी पदोन्नत किए गए	पदोन्नत हुओं की संख्या
(1)	ग्राम सेवक	70
(2)	पंचायत सचित	
	कुल जोड	70

(ग) जी हां, परन्तु कुछ प्रशासकीय उलझनों के कारण प्रान्तीयकरण तथा वरिश्ठता का फैसला न होने की वजह से पंचायत सचिवों में से समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारियों के पद पर पदोन्नति न हो सकी।

Selection of Junior Auditors and Industries Inspectors

***140. Lala Balwant Rai Tayal**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the date on which the selection of Junior Auditors and Industries Inspectors was made by the S.S.S. Board, Haryana, after March, 1977;

(b) to lay on the table a statement showing the number of applications received for the posts referred to in part (a) above separately, alongwith the qualifications of the applicants;

(c) to lay on the table a statement showing the full addresses and qualifications of the persons selected for the posts as referred to in part (a0 above; and

(d) whether the merit was kept in view while making the said selection?

Ch. Minister (Ch. Devi Lal):

(a) Selection for the posts of Junior Auditor and Industries Inspectors was made by the SSS Board, Haryana on the 14th July, 77 and the 29th June, 77 respectively;

(b) For the posts of Junior Auditors 2635 applications and for the posts of Industries Inspectors 3224 applications were received, Compilation of requisite information in regard to such a large number of candidates will involve time and labour number of candidates will involve time and labour which will not be commensurate with any possible benefit desired to be obtained.

(c) Statements showing the full addresses and qualifications of he persons selected for the posts of Junior Auditors and Industries Inspectors are laid on the Table of the House as Annexure 'A' and 'B'.

(d) The Government has no reason to believe that the selections were not made on merit.

ANNEXURE A

Statement showing the full address and qualifications of the candidates selected for the posts of Junior Auditors.

Sr. No.	Name and Address of candidates	Roll No.	Qualifications.	
1	2	3	4	
1	Sh. Bhalle Ram S/o Sh. Bir Singh, The Black Partridge Haryana Emporium, Baba Kharg Singh Marg, New Delhi	2553	Matric II B.A. III	
2	Sh. Surjit Singh Dakha, House No. 1,Type 9 Sector 35, Chandigarh	2493	Matric II B.A. III	
3	Shri Ramphal Dahiya s/o Shri Arjun Singh V&P.O. Sisana, Distt. Sonepat.	2069	Matric II B.A. III	
4	Shri Madan Lal son of Shri Puran Singh, V. Fransi, P.O. Kalirawan, Distt. Hisar.	1153	Matric II B.A. III	
5	Shri Sukhpal Singh son of Shri	1314	Matric II	

	Ram Dhari, V&P.O. Gorakpura, Teh. Fatehabad (Hisar)		B.A. III	
6	Shri Hari Singh Kooth, son of ShriManphool Singh V&P.O. Raniawali Teh. & Distt. Sirsa.	800	Hr. se. Part I (III) B.A. III	
7	Shri Baldev Singh son of Shri Sheo Chand V&P.O. Bhatu kalan Distt. Hissar.	1031	Matric III B.A. III	
8	Shri Atma Ram son of Shri Lal Chand V&P.O. Bajekan, Teh. & Distt. Sirsa.	788	Matric III B.A. III	
9	Shri Inderjit Singh son of Shri Gulab Singh V&P.O. Bishan via Beri Distt. Rothak.	388	Matric III B.A. III B.Ed. III M.A. Part (I) III	
10	Shri Balwan Singh	1023	Matric II	

	son of Shri Phulu RamV&P.O. Kirori, via Pabra, Teh & Distt. Hissar.		B.A. III	
11	Shri Mehtab Singh son of Shri Giani Ram, V&P.O. Garnawari, Distt. Rothak.	431	Matric II B.A. III	
12	Shri Darbara Singh kohar, V&P.O. jandali Kalan, Distt. Hissar.	1075	Hr. se. Part I (III) B.A. III	
13	Shri Parbhakar c/o Challu Ram, Ram Datt Gali,	168	Matric II B.A. III	
14	Sh. Ram Kumar Bhayan C/o Mange Ram Computor, Department of Economics, HAU, Hisar	1219	Matric II B.A. III	
15	Sh. Sukbir Singh S/o Sh. Parma Nand, VPO. Gaghpur, Distt.	603	Hr. se. Part I (III) B.A. III	

	Rohtak			
16	Sh. Kitab Singh, VPO. Kirori, distt. Hissar	1141	Matric II B.A. III	
17	Sh. Ram Kumar S/o Sh. Chandu Lal V. Kharkara, P.O. Bhatol Jattan, Teh. Hansi, Distt. Hissar.	1211	Matric II B.A. III	
18	Sh. Kitab Singh Kuhar S/o Sh. Maya Chand Kuhar. V. Bakhlana, P.O. Uglan, Teh. Hansi Distt. Hissar	1135	Matric II B.A. III	
19	Dharam Pal Chahar VPO. Silani Teh. Jhajjar, Distt. Rohtak	364	Matric II B.A. III	
20	Sh. Neki Ram Sadhu S/o Ch. Haryal, V. Dhabi Khurd, P.O. Bhatu Kalan, Distt. Hissar	1175	Matric II B.A. III	

21	sh. Ishwar singh S/o Ram Saroop VPO. Narnaund (Thela) Distt. Hissar	1106	Matric II B.A. III	
22	Sh. Sunil Kumar Jain C/o Late Sh. Krishan Lal Jain, Moti Bazar, Hissar	1296	Matric II B.Com II	
23	Sh. Jagdish Kumar S/o Hari Chand V. Sulikhera, P.O. Bhatu Kalan, Teh. Fatehabad, Distt. Hissar	1119	Matric II B.A. III	
24	Sh. Ashok Thukral, House No. 2446/19-c, Chandigarh	2393	Hr. Sec. II B.A. III	
25	Sh. Amir Singh S/o Sh. Man Singh VPO. Rajthal, Teh. Hansi, Distt. Hissar	1006	Matric III B.A.	
26	Mahabir Singh s/o Ram Karan, V. Sulikhera, P.O.	1169	Matric II B.A. III	

	Bhatu Kalan, Distt. Hissar			
27	Sh. Chabil Dass S/o Sh. Mool Chand, VPO. Bangaon, Teh. Fatehabad, Distt. Hissar	1060	Matric III B.A. II	
28	Sh. Dasrath Singh S/o Sh. Hardayal Singh, VPO. Ban Mandori Teh. Fatehabad (Hissar)	1069	Matric II B.A. III	
29	Azad Singh Dhull S/o Sh. Murari Lal Dhull, VPO. Mandhal Khurd, Distt Bhiwani	11	Matric III B.A. III	
30	Sh. Naurang Ram S/o sh. Lekh Ram, VPO. Dhand, Teh. Fatehabad (Hissar)	1177	Matric I B.Com II	
31	Sh. Ram Niwas S/o Sh. Jai Lal, VPO. Kolipur, P.O. Khetawas, Distt. Rohtak	546	Matric II B.A. III	

32	Sh. Raghbir Singh Jakhar S/o Sh. Dharam Singh VPO. Gangan Kheri, Teh. Hansi (Hissar)	1225	Matric II B.A. III	
33	Mrs. Satya Bala C/o Ch. Sobha Singh, Secretary, Housing board, Haryana, Chandigarh	2507	Matric III B.A. III	
34	Sh. Mahabir Parshad S/o Sh. Ram Singh, VPO. Bhatol Jattan, Teh. Hansi (Hissar)	1151	Matric II B.A. III	
35	Sh. Umed Singh Pannu S/o Sh. Bitcha Ram, VPO. Thurana, Distt. Hissar	1330	Matric II B.A. III	
36	Hava Singh Shivrain S/o Sh. Udai Ram, V. Ahmadwas (Khera) P.O. Bisalwas,	63	Matric III B.A. III	

	Distt. Bhiwani			
37	Sh. Niwas care of Puran Chand Atma Ram, Iron Merchants, Narwana Mandi (Jind)	1924	Hr. Sec. Part I (I) B.Com. III	
38	Sh. Raghbir singh S/o Sh. Chandan Singh V. Bakhlana, P.O. Uglana, Distt. Hissar	1227	Matric I B.A. III	
39	Sh. Dhan Sar Jain S/o Sh. Shanti Parshad Jain, Near Dhoula Kuan, Moh. Rampura, Hansi (Hissar)	1068	Hr. Sec. II B.A. III	
40	Sh. Ranbir Singh, Kothi NO. 61, Adarash Nagar, Bhiwani	215	Matric II B.A. III M.A. III	
41	Sh. Laxmi Narain, VPO. Lohari Jattan, Teh. Banani Khera,	117	Hr. Sec. III B.A. III M.A. III	

	Distt. Bhiwani			
42	Sh. Raghbir Singh S/o Sh. Jhuthar Singh VPO. Budhhaper, Teh. Hansi, Distt. Hissar	1228	Matric III B.A. III	
43	Sh. Ishwar Singh Phogat VPO. Makrana, Distt. Bhiwani	77	Matric II B.A. III M.A. III	
44	Sh. Satrvir Singh Duban S/o Sh. Net Ram, V. Nangal, P.O. Manheru, Distt. Bhiwani	259	Matric II B.A. III	
45	Sh. Narain Singh Duhan, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh	2455	Matric II B.A. III	
46	Sh. Balwan Singh Dalal, VPO. Kumbha, Teh. Hansi, Distt. Hissar	1030	Matric II B.A. III M.A. Part I M.A. (I)	

47	Sh. Jagvir Singh S/o Sh. Bale Singh, VPO. Juana, Distt. Sonepat	2017	Matric III B.A. III	
48	Sh. Santu Ram Kharuli, V. Bhaklana, P.O. Uklana, Distt. Hissar	1307	Matric II B.A. III	
49	Sh. Satpal Singh Yadav C/o Sh. Bhoj Ram Yadav, Mandi Khan Chand, Shahabad Markanda, Distt. Kurukshetra.	967	Matric II B.A. III M.A. (I)-III	
50	Sh. Jai Pal Singh Parnar, VPO. Gharawathi, Distt. Rohtak	393	Matric II B.A. III B.Ed. III	
51	Mohd. Usmar, V. Jalapur, P.O. Firojpur, P.O. Mandi Khera, Distt. Gurgaon.	708	Hr. Sec. III B.A.	

52	Ganga Ram V. Katwal, P.O. Alewa Distt. Jind	1808	Hr. Sec. III B.A. III	
53	Sh. Baru Singh S/o Sh. Ismail VPO. Dhigaha, Distt. Jind	1773	Hr. Sec. (I)-II B.A. III	
54	Sh. Ram Chander Zhinger S/o Sh. Harphul Singh, V. Talu, Teh. Bhiwani Khera, Distt. Bhiwani	192	Matric III B.A. III	
55	Sh. Satvir Singh S/o Sh. Bijawa, P.O. Shahpur, Teh. Panipat, Distt. Karnal.	1553	Hr. Sec. II B.A. II M.A. II	
56	Sh. Hukam Chand S/o Sh. Bhagat Ram VPO. Alewa, Distt. Jind	1818	Matric II B.A. III	
57	Sh. Ved Parkash S/o Sh. Ram Kumar Singh, Halu Bazar, Bhiwani	297	Hr. Sec. (I)-III B.A. III	

58	Sh. Rattan Singh S/o Sh. Risal Singh, VPO. Badesra, Distt. Bhiwani	206	Matric I B.A. III	
59	Dharam Pal S/o Sh. Munshi Singh, VPO. Rewari Khera, Distt. Bhiwani	49	Matric II B.A. III	
60	Sh. Nafe Singh Khera C/o Sh. Inder Singh, Accountant, The Central Co-operative Bank, Jind	1869	Matric II B.A. III	
61	Sh. Mohinder Singh Ghangas, VPO. Mandi, Teh. Panipat, Distt. Karnal.	1474	Hr. Sec. II B.A. III	
62	Sh. Atam Parkash S/o Sh. Kirpa Ram VPO. Ban Mandori, Distt. Hissar	1000	Matric III B.A. III	Recommended on 22-7-1977
EX-SERVICEMEN				

1	Sh. Ram Kumar, V. Sulikhera, P.O. Bhatu Kalan, Teh. Fatehabad, Distt. Hissar	1213	Matric II B.A. III	
2	Sh. Jaivir Singh Gehlaut S/o Sh. Raghbir singh VPO. Jondhi Distt. Rohtak	391	Matric II B.A. III	
3	Shri Maha Singh Singathiya V. Budhseli, P.O. Ganghola Distt. Bhiwani.	122	Matric II B.A. III M.A. II	
4	Shri Ram Phal Hooda, Clerk care of Headmaster, Govt, High School, Jasia, Distt, Rohtak	493	Matric II B.A. III	
5	Shri Mam Chand Yadav, V. Barali Khurd, P.O. Musepur, (Mohindergarh).	1660	Hr. Sec. II B.A. III	
6	Shri Charan Singh	1777	Matric II	

	son of Shri Bhagat Singh, V.& P.O. Dorar, Teh. & Distt, Jind.		B.A. III	
7	Shri Sukhdev Kumar Chouhan V.&P.O. Badhouli, via Naraingarh (Ambala).	2369	Matric II B.A. III	
8	Shri Ramphal Arya son of Shri Jag Ram V. Ruriawas, P.O. Matanhail (Rohtak)	497	Matric I B.A. III	
9	Shri Ram Kanwar V.&P.O. Hathwala, Distt. Jind.	1894	Matric III B.A. III	
10	Shri Risal Singh son of Mangtu Ram V.&P.O. Kawali, Distt, Mohindergarh	1705	Matric II B.A. III	
11	Shri Surinder Pal Singh son of Shri Shangara Singh V.&P.O. Kharwan, Teh. Jagadhari	2353	Hr. Sec. II B.Sc. III	

	(Ambala).			
12	Banarsi Dass Sharma V.Dhigtana P.O. Bahbalpur, Distt, Hissar.	1038	Matric II B.A. III	
13	Shri Payre Lal Chincholia V.&P.O. Mandaula, via Khol, Teh. Rewari Distt, Mohindergarh.	1689	Matric II B.A. III	
SCHEDULED CASTES				
1	Shri Shanti Saroop son of Shri Jage Ram V.&P.O. Kalanaur Distt. Rohtak.	585	Matric II B.A. III	
2	Shri Chander Bhan Solanki son of Shri Parbhu Dayal, V.&P.O. Khanda Kheri, Teh. Hansi (Hissar).	1054	Matric III B.A. III M.A. III	
3	Shri Zile Singh Ninania son of Shri Ram Sarup,	2150	Matric II	

	V.&P.O. Benwasa Teh. Gohana(Sonepat)		B.A. III	
4	Shri Pahlad Singh, V.&P.O. Bhadani via Nehru College Jhajjar (Rohtak)	488	Matric III B.A. III	
5	Shri Hans Kumar Hooria son of Shri Ram V.&P.O. Raia, Teh. Jhajjar (Rohtak)	378	Matric III B.Com. III	
6	Shri Zile Singh son of Shri Lehri Singh V. Kheri Daulatpur P.O. Kunger Teh. Bawani Khera.	300	Matric III B.A. III	
7	Shri Jai Pal c/o Mohan Mekin Brewaries Ashoka Colony, Karnal.	1427	Hr. Sec. II B.A. III	
8	Shri Mohinder Kumar care of General Assistant to Deputy Commissioner, Bhiwani.	133	Matric II B.A. III	

9	Shri Pala Ram son of Shri Amar Singh V.&P.O. Hajampur Teh. Bawani Kheri, Distt. Bhiwani.	176	Matric II B.A. III	
10	Shri Abbey Singh Dahinawal, V.&P.O. Dahina, Teh. Rewari (Mohindergarh)	1591	Matric II B.A. III	
11	Shri Ram Lal, Manouli House Kothi No. 2, Ambala City.	2328	Matric II B.A. III	
12	Shri Som Nath son of Shri Matu Ram Tailor Master, V. Bageoli P.O-Kakarmajra Distt. Ambala.	2357	Matric II B.A. III	

ANNEXURE 'B'

Statement showing the full addresses and qualifications of the candidates selected for the posts of Industries Inspectors.

Sr. No.	Name and full address of the candidate	Roll No.	Qualification	
1	2	3	4	
1	Bhup Singh S/O Purkha Ram, V.P.O. Chuli Bagarian, Distt. Hissar.	898	(i) Matric 1st (ii) B.A. III	Class
2	Hoshiar Singh S/O Chhalu Ram, V.P.O. Gawar, Teh. & Distt, Hissar	961	(i) Matric II (ii) B.A. III	Class
3	Ram Parkash S/O Ram Singh, V. Jagan. P.O. Chikanwas, Teh. And Distt. Hissar.	1182	(i) Matric II (ii) B.A. II	Class
4	Chatar Singh Beniwal S/O Bhagwana Ram, V. Dhabi Kalan, P.O. Bhattu Kalan, Distt. Hissar.	903	(i) Matric 1st (ii) B.Sc. III	Class
5	Kishori Lal S/O Turti Ram, V. Chandpur, P.O. Dadenpur, Teh. Jhajjar, Distt. Rohtak.	580	(i) Hr. Sec. III (ii) B.A. III	Class
6	Surjeet Singh S/O Makhan Singh, V.P.O.	1288	(i) Matric 1st	Class

	Agroha, Distt. Hissar.		(ii) B.A. III	
7	Kanshi Ram Taneja C/O M/s Hari Chand Kanshi Ram Taneja, Main Bazar, Jhajjar, Distt. Rohtak.	578	(i) Hr. Sec. III (ii) B.Com. III	Class
8	Surender Kumar S/O Telu Ram, Jain, V.P.O. Tosham, Distt. Bhiwani.	365	(i) Matric II (ii) B.Com. II	Class
9	Mahi Pal Singh Sheorain S/O Sheo Chand Ram, V.P.O. Chahar Kalan, Teh. Loharu, Distt, Bhiwani.	199	(i) Matric II (ii) B.A. III	Class
1	Jeet Singh Nirwal, Kothi No. 1289, Sector 15-B, Chandigarh.	3149	(i) Matric II (ii) B.A. III	Class
2	Raghubir Parshad Bumbra S/O Mai Lal, Near Vaish Hr. Sec. School, Bhiwani.	289	(i) Hr. Sec. III (ii) B.A. III	Class
3	Karam Singh Langayai na, s/o Ratti Ram, V.P.O. Pithal Distt.	2167	(i) Matric III (ii) B.A. III	Class

	Sonepat.			
1	Narinder Kumar, 702, Prem Nagar, Yamuna Nagar (Ambala).	2486	(i) Hr. Sec.(I) III (ii) B.A. III (iii) LLB. II	Class
2	Baljit Singh Nasir s/o Sis Ram, V.P.O. Bhainswan Khurd, Distt. Sonepat.	2113	(i) Matric 1st (ii) B.A. II	Class
3	Ishwar Singh s/o Gaje Singh, V.P.O. Karora, Distt. Kurukshetra.	2887	(i) Matric II (ii) B.A. – (iii) C.P.Ed. II	Class
4	Satya Bhan Yadav, o/o Registrar, Cooperative Socities, Haryana, Chandigarh.	3282	(i) Matric III (ii) B.A. III (iii) M.A. III	Class
1	Samay Singh s/o Rajpal Singh, V.P.O. Ujina, Teh Nuh, Distt. Gurgoan.	2049	(i) Matric II (ii) B.A. III	Class
2	Balwan Singh s/o Giani Ram, V.P.O. Bidhal, Teh. Gohana	2105	(i) Matric II (ii) B.A. III	Class

	(Sonepat).			
3	Nafe Singh s/o Chattar Singh, V.P.O, Kharak Punia, Teh. Hansi, Distt. Hissar.	1077	(i) Matric II (ii) B.A. III	Class
4	Shri Bhagwan Bindal s/o Bhim Singh Bindal, V.P.O. Nonond, Distt. Rohtak.	775	(i) Matric II (ii) B.A. III (iii) M.A. III	Class
5	Randhir Singh Malik, o/o The Chief Conservator of Forests, Haryana, 30-Bays Building Sector-17, Chandigarh.	3269	(i) Matric III (ii) B.A. III	Class
6	Kedar Singh c/o Ch. Sultan Singh, advocate, Diwan Street, Jhajjar, (Rohtak)	585	(i) Hr. Sec. II (ii) B.A. III (iii) M.Sc. II	Class
7	Tri Bhuvan Nath Bhargava c/o Shiam Pustak Bhandar, Sabzi Mandi, Rewari, Distt, Mohindergarh.	1892	(i) Matric II (ii) B.A. III	Class
8	Yogesh Kumar,	2635	(i) Matric III	Class

	4253/1, Kali Bari Road, Ambala Cantt.		(ii) B.A. III	
9	(S.C.) Raj Kumar Ranga, H. No. 670 W. No. 12, Bandhel Mohalla, Gohana Raod, Rohtak.	716	(i) Matric II (ii) B.A. III	Class

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mathematics and Science Masters in the Education Department

11. Rao Dalip Singh : Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total number of Mathematics and Science Masters in the Education Department in the State as on 1-4-1977, separately ;

(b) the total number of Mathematics and Science Masters out of those referred to in part (a) above who have been confirmed, separately; to-date ; and

(c) the total number of Mathematics and Science Masters out of those referred to in part (a) above who have not been confirmed for more than two years, three years and five years, separately ?

INTERIM REPLY

विशय: अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 11 राव दलीप सिंह एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया।

क्या सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ कृपया उपरोक्त विशय की ओर ध्यान देने का कश्ट करेंगे?

2. अतारांकित प्रश्नों की 17.10.77 की सूची में राव दलीप सिंह विधान सभा सदस्य के नाम दज्र अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तार अभी तैयार नहीं हुआ है क्योंकि हिसाब तथा साईस मास्टरों की स्थायीकरण प्रथक तौर पर नहीं किया जाता। बल्कि सभी प्रकार के मास्टरों की इकट्ठी वरिश्ठता सूची हैं जिसके आधार पर वरिश्ठता अनुसार स्थायीकरण किए जाते हैं। अतः इस प्रश्न के लिए अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना मांगी हुई है जिसके एकत्र करने में काफी समय लगने की सम्भावना है। जैसे ही सम्बंधित सूचना एकत्रित हो जाएगी अपेक्षित उत्तर भेज दिया जाएगा।

हस्ता0

शिक्षा मंत्री, हरियाणा

सेवा में,

सचिव,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़ ।

अशा0 क्रः 13874—शि—111(7 शि)—77 दिनांक

Social-Studies Masters

12. Rao Dalip Singh : Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total number of Social-Studies Masters serving in the Education Department in the State as on 1-4-1977;

(b) the total number of Social-Studies Masters out of those as referred to in part (a) above who have been confirmed ; and

(c) the total number of Social-Studies Masters out of those as referred to in part (a) above who have not been confirmed and have service for more than two years, three years and five years respectively at their credit ?

Interim Reply

विशयः— तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 12 राव दलीप सिंह विधान सभा सदस्य द्वारा पूछा गया।

क्या सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ कृया उपरोक्त विशय की ओर ध्यान देने का कश्ट करें।

2. अतारांकित प्रश्नों की 17—10—77 की सूची में राव दलीप सिंह विधान सभा सदस्य के नाम दर्ज अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर अभी तैयार नहीं हुआ है क्योंकि सामाजिक अध्ययन अध्यापकों का स्थायीकरण प्रथक तौर पर नहीं किया जाता बल्कि सभी प्रकार के मास्टरों अर्थात गणित, सामाजिक अध्ययन इत्यादि की इकट्ठी वरिश्ठता सूची के आधार पर वरिश्ठतानुसार स्थायीकरण किए जाने हैं। अतः इस प्रश्न के उत्तर के लिए अधीनस्थ कार्यालय से सूचना मांगी हुई है जिसको एकत्रित करने के काफी समय लगने की संभावना है। ज्यों ही सम्बन्धित सूचना इकट्ठी हो जाएगी अपेक्षित उत्तर भेज दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

सेवा में,

सचिव,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़

अशाः क्रः 13873—शिः—111(7 शि)—77 दिनांक

Employees in the Education Department

13. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) the total number of employees of the Education Department in the State at present;

(b) the total amount paid to the employees of the above said department as their salaries including all allowances for the month of March, 1977; and

(c) the total expenditure incurred on the Education Department during the year 1976-77 in the State?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):

(क) 57407

(ख) 293.23 लाख रूपए

(ग) 3752.09 लाख रूपए

Patwarkhanas in the State

14. Rao Dalip Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of villages where there is no Patwarkhana in the State;

(b) the total number of villages where the Patwarkhanas are in dilapidated condition in the State; and

(c) the details of arrangements made by the Government to keep the Revenue Record safe in the villages as referred to in part (a) above?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल):

(क) हरियाणा राज्य में कुल 2386 पटवार सर्कल हैं। उनमें से 1600 ऐसे पटवार हल्के हैं जिनमें पटवारखानें नहीं है।

(ख) 573.

(ग) जिन पटवार सर्कलों में पटवारखाने नहीं हैं वहां राजस्व रिकार्ड को सुरक्षित रखने के लिए पटवारियों द्वारा मकान किराये पर लिए जाते हैं। उसके लिए प्रत्येंक पटवारी को 10/– रूपए प्रति माह मकान का किराया भत्ता दिया जाता है।

Teachers dismissed during the Emergency Period in Private Institutions.

16. Sh. Mool Chand Mangla: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether the Government gives any grant to the S.D. College, Palwal, District Gurgaon;

(b) if so, whether it is a fact that the services of a lecturer and other employees of that college were terminated on political grounds in the Emergency; and

(c) if so, the name of such lecturer and employees and whether they have been re-instated or not?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):

(ए) हां

(बी) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल एक प्राध्यापक को सेवा से मुक्त किया गया।

(सी) प्राध्यापक का नाम श्री डी.पी. सचान है। इस प्राध्यापक को अभी तक बहाल नहीं किया गया यदयपि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यायल की विवाचन कमेटी ने प्राध्यापक के हक में निर्णय किया है। यह निर्णय संस्था की प्रबन्धक कमेटी के विचारधीन है। निर्णय दोनों पार्टीज पर बाध्य है।

Legal Adviser to Faridabad Complex

17. Sh. Mool Chand Mangla: Will the Industries Minister be pleased to state –

(a) whether the services of a Legal Adviser to Faridabad Complex Administration, Ballabgarh Zone, who worked as a Legal Adviser for a period of 20 years were terminated in the First week of July, 1975, on the sole ground that he was the active member of Bhartiya Jan Sangh; and

(b) whether the Faridabad Complex Administration has not reinstated the said Advocate inspite of the fact that a written request was sent to the Chief Administrator, F.C.A. by the said Advocate?

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन):

(ए) श्री लखन पाल मंगला, लीगल एडवाईजर, फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन जौन की सेवाएं 1—10—75 को और न कि जुलाई 1975 के पहले सप्ताह में, समापत की गई क्योंकि उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं नहीं थी। यह गलत है कि उनकी सेवा इसलिए समाप्त की गई थी कि वह भारतीय जनसंघ के सक्रीय सदस्य थे।

(बी) सरकार ने श्री लखनपाल मंगला को फरीदाबाद कम्पलैक्स प्रशासन में लीगल एडवाईजर नियुक्त करने का निर्णय लिया है और मुख्य प्रशासक फरीदाबाद कम्पलैक्स प्रशासन को आदेश भेज दिया गया है।

श्री लखनपाल मंगला ने मुख्य प्रशासन फरीदाबाद कम्पलैक्स प्रशासन को अपनी सेवाएं बहाल करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया।

I.T.I. Sewing Centre at Jind

15. Sh. Mange Ram Gupta: Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is an Industrial Training Institute sewing Centre for Girls having two years course at Jind; if so, the total number of seats in the first year and 2nd year Classes, separately; and

(b) whether all the Girls who pass the 1st year course are admitted in 2nd year course, if not, the steps proposed to be taken by the Government to admit all the girls for training in 2nd year course?

छद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन):

(अ) नहीं

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

J.B.T. (Home Science and Art & Craft) Training Centre

18. Smt. Shanti Devi: Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) whether the Government gives any grant to Haryana High School, Sonepat, if so, the total number of J.B.T. (Home Science and Art and Craft) training units being run by this School;

(b) the strength of the staff kept for those units during the session 1975-76 and 1976-77 ;

(c) the staff required to be kept according to the Departmental rules and regulations ;

(d) the income derived from these classes during the year 1975-76 and 1976-77 ;

(e) the expenses incurred on staff during this period and the net savings from these classes ;

(f) the final examination result of these classes ;

(g) whether it is fact that guardians made a complaint n writing regarding the affairs of these classes to the department concerned, if so, what action was taken ;

(h) whether it is a fact that inquiry was held by an officer of the Department on the complaint of the guardians ;

(i) whether it is a fact that the guardians were not stisfied by this inquiry and approached the Minister incharge in this respect, if so the actions taken by the Government thereon ;

(j) whether is a fact that the school has been charging extra funds from the students for the last two years and no receipts are being issued to the students for these funds;

(k) the amount of security realized from the students up-to-date and where it has been deposited;

(l) whether it is a fact that students are forced to sign the receipts for the repayment of the security without any payment at the time of leaving the school ; and

(m) the total number of units sanctioned for Sonepat proper other than this institution?

उद्योग मंत्री (डां मंगल सैन):

(ए) नहीं।

(बी से एम)प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं

(I) सभाओं की तालिका

Mr. Speaker: Under Rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairmen:-

1. Shri Mool Chand Jain.
2. Shri Lachhman Singh.
3. Shri Shamsher Singh.
4. Chaudhri Khurshid Ahmend.

(II) याचिका समिति

Mr. Speaker: Under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions-

1 Kanwar Vijai Pal Singh, (Deputy Speaker) Ex-officio Chairman.
2. Chaudhri Khurshid Ahmed.
3. Shri Baldev Tayal.
4. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo.
5. Chaudhri Hari Chand Hooda.

श्री अध्यक्ष: अब सैक्रेटरी एक अनाऊंसमैट करेंगे।

सचिव द्वारा घोशणा

सचिव: मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो कि हरियाणा विधान सभा ने जुलाई 1977 में हुए अपने गल सत्र के दौरान पारित किए थे, तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादन सदन की मेज पर रखता हूं:

1. बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 1977.

2. रोहतक विश्वविद्यायल (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1977.

3. हरियाणा नहर तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1977.

4. हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1977.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

Mr. Speaker: I have received a notice of an adjournment motion from Swami Aditya Vesh regarding the flood havoc caused in the Mewat However, I admit it as a Call Attention Motion.

The hon. Member may please move his motion.

स्वामी आदित्य वेश: मैं, हरियाणा सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि तग अगस्त माह को तूफानी वर्शा के कारण मेवात का 99 प्रतिशत देहाती क्षेत्र बरबाद हो चुका है। हजारों की तादाद में मकान धराशाई हो चुके हैं, पांच हजार से अधिक पशु मर चुके हैं तथा खरीफ की फसल पूर्णतया नश्ट हो चुकी है। मेवात के अधिकांश भूभाग में रबी की बीजाई की सम्भावना नहीं है। क्योंकि वर्तमान में खेतों में 4 फुट से लेकर 20 फुट तक पानी भरा हुआ है। शीत ऋतु प्रारम्भ होने जा रहा हैं अतः ऐसे संक्रमण के समय मेवात को बाढ़ से तबाह लोगों को भोजन वस्त्र आवास तथा औशधि की बउ़े पैमाने पर सहायता पहुंचाई जाए। अन्यागि भुखमरी और शीत से हजारों की तादाद में मेवात की काल के गाल में समा जाने की आशंका है। वर्तमान में केवल 400 ग्राम गेहूं की प्रति व्यक्ति आपूर्ति से मेवात को आगामी मृत्यु भय से बचाया नहीं जा सकता। अतः पूर्ण संतुलित आहार तथा ईधन और पशुओं के लिए चारे की तत्काल व्यवस्था बनाई जाये।

श्री अध्यक्ष: वजीर साहब, परसों जवाब दे देंगे।

शोक प्रस्ताव

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सेन): अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा मत्रावसान के पश्चात् आज विधान सभा एकत्रित हो रही है। इस अवधि के बीच भारत की कई महान विभूतियां एवं अन्य प्रतिश्ठित नागरिक इस संसार से चले गए। संसदीय प्रणाली के अनुसार सदन में ऐसे महानुभावों का उल्लेख करना आवश्यक होता है और दिवंगतों के प्रति श्रद्धाजंलि प्रस्तुत करना एक प्रथा सी बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इन दिवंगतों में, सर्वप्रथम री सुधि रंजन दास, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के विधिवेत्ता रहे, जिनको एस.आर. दास के छोटे नाम से पुकारा जाता था, उनका जनम कलकता में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा शान्ति निकेतन और लंदन में प्राप्त की। श्री एस.आार. दास ने भारत लौटाने पर कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस आरम्भ कर दी और 1942 में वहां के जज नियुक्त हुए। 1949 में, जब देश का बंटवारा हुआ, उस समय ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने ओर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर चले गए। स्पीकर साहब, 1955 में वे चीफ जस्टिस भी बन गए। मुझे उनके सामने पेश होने का मौका भी मिला। कितनी उनकी तीव्र बुद्धि थी, वे कितने महान विधिवेत्ता थे, इस बात का अनुभव मैंने अपनी इलैक्शन पैटीशन में किया। स्पीकर साहब, इस देश में जो लोग स्वाधीनता संग्राम में भाग ले रहे थे और जनता का मार्गदशन कर रहे थे, उनको देश की जनता ने सत्ता पर आसीन किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वे

अपने रास्ते से भटक गए, तो उन्हौंने अपने पद का दुरूपयोग करना शुरू कर दिया। मेरा कहने का मतलब है जब पंजाब में प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी पिछली सरकार की तरह भाई भतीजावाद शुरू कर दिया था और अपने पद का दुरूपयोग करना शुरू कर दिया था।

उनके बारे में हम सदन में कहते थे लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं था। आज के हमारे मुख्यमंत्री उस अभियान के अग्रणी थे। बाद में दास कमीशन नियुक्त हुआ, उनके कार्यकलापों की जांच करने के लिए जैसा कि आजकल शाह कमीशन और रैड्डी कमीशन बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, उन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ, बड़ी इम्पारशियालिटी का सबूत दैते हुए उस मुख्यमंत्री को दोशी करार दिया। इतनी निर्भयता थी उनमें। लेकिन आज वे संसार से चले गए। कौन देश में सच्चा न्यायप्रिय व्यक्ति होगा, जो उनके दिवंगत होने पर कश्ट न मानता हो?

इसी प्रकार श्री रामेश्वर तांतिया, जो पहले संसद के सदस्य रहे, उनका देहावसान 22 जुलाई, 1977 को हुआ। उनका जन्म 1910 में हुआ था। वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मैंबर रहे। 1950 और 1954 के बीच में उन्होनें मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के जनरल सैक्रेटरी के पद को संभाला हुआ था। वे उसके अध्यक्ष भी रहे। वे राजस्ाान डिवैल्पमैंट बोर्ड के चेयरमैंन भी रहे। फिर वे द्वितीय लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1962 में उनकी योग्यता के कारण राश्ट्रपति महोदय ने उनको राज्यसभा के लिए

मनोनीत किया, वे भी इसी अवधि में 2 अगस्त को इस संसार से विदा हा गए।

इसी प्रकार श्री कारूथिरूमन, जो पार्लियामैंट के मैंबर रहे, वे भी इस संसार को छोड़ गए। मद्रास में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वे यूनाइटिड नेशन्ज की दिल्ली स्थित राश्ट्रीय खाद्य एवं कृशि संगठन 'तालमेल समिति' के सदस्य रहे। वे भारत कृशक समाज के भी कार्यकारी सदस्य रहे। वे विधानसभा में भी 1952 से 1962 तक निरन्तर सदस्य रहे। उनकी रूचि कला और विज्ञान में बहुधा थी। वे तामिल भाशा के अच्छे वक्ता थे। उस भाशा में उनके जोड़ का कोई वक्ता नहीं था।

इसी तरह काजी करीमुदीन, जो संसद एवं संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। वे भी 29 सितम्बर, 1977 को इस संसार से चल बसे। व 1928 से 1931 तक जुडिशियल अफसर रहे। वे 1939 से 1945 के दरम्यिान कई सरकारी पदों पर कार्य करते रहे। उसके बाद जब भारत स्वाधीन होने को आया तो उस समय वे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। वे मध्यप्रदेश विधान सभा के भी रहे और राज्यसभा में भी रहे। वे एक कुशल सांसद थे। उनके निधन से जरूरी है कि देश की जनता को शोक हों।

इसी प्रकार बिहार प्रदेश में जो मंत्री रहे अम्बिका सरन सिंह और जिनकी सारी आयु संग्राम में बीती, जिन्होंनें भारत

छोड़ो आन्दोलन में 1942 में बढ़चढ़ कर भाग लिया और जिन्दगी के दस साल अंग्रेजों की जेलों में निकाल दिए, जो बिहार प्रान्तीय छात्र कांग्रेस के मैंबर और प्रेजीडैंट रहे, जिन्होंने अनेकानेक पदों को संभालते हुए अपने प्रदेश का मार्ग–दर्शन किया, वे भी इस जुलाई की 6 तारीख को इस संसार से विदा हो गए।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में श्री मोहल लाल गौतम, जिनका राजनीतिक जीवन बड़ा सक्रिय रहा है, जो भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में सात बार जेल गए, जिन्होंने बड़ी यातनाए सहीं, जिन्होंने 1931 में केन्द्रीय किसान संघ की स्थापना की, 1936 में भारतीय किसान संघ की स्थापना की और उसके महामंत्री बने, जिनके हदय में भारत के किसानों का उद्धार करने और उन्हें अनेकानेक संकटों से मुक्त कराने की प्रबल इच्छा थी, वे भी 3 अगस्त, 1977 को इस संसार से विदा हो गए।

श्री के.के.नैयर भूपपूर्व सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, के निधन पर भी मुझे बहुत शोक है। उनका जन्म 1907 में केरल प्रान्त में हुआ था। मद्रास में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। प्रशासक के रूप में वे उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन वहां से रिटायर होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और स्पीकर साहब वे इतने पापुलर हो गए कि वहां से विधान सभा के सदस्य भी चुने गए। वे अपने क्षेत्र के एक प्रख्यात प्रशासक, माने हुए विविवेत्ता और राजनीतिज्ञ थे।

अन्त में स्पीकर साहब, मैं पंजाब के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक, श्री गुरबख्श सिंह का जिक्र करूंगा। उनका जन्म पश्चिमी पाकिस्तान के सियालकोट जिला में हुआ था। उन्होंने 1917 में थामसन इंजीनियरिंग कालेज, रूड़की, से ग्रेजुएशन की। उसके बाद वे यू.एस.ए. चले गए। वहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अच्छे पदों पर काम करने के बाद उन्होंने 1931 में त्याग पत्र दे दिया और प्रीतलड़ी नामक पंजाबी मासिक पत्रिका प्रारम्भ की। वे अखिल भारतीय शान्ति परिशद् के वाईस चेयरमैन भी रहे और पंजाबी साहित्य अकादमी के सभापति भी रहे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। लगभग 60 पुस्तकें उन्होंने लिखी। उनके निधन के कारण पंजाबी साहित्यिक क्षेत्र से एक माकन सदस्य उठ गया है। इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं इन सब दिवंगत आत्माओं के लिए अपने ट्रेजरी बैंचिज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): माननीय स्पीकर साहब, डाक्टर मंगलसेन जी ने देश की जिन 9 हस्तियों का जिक्र किया और जिनके देहान्त पर इस असैम्बली की तरफ से शोक जाहिर करने का प्रस्ताव रखा, मैं भी उनके साथ अपने जानिब से और पार्टी की तरफ से शामिल होता हूं और गहरे दुख का इजहार करता हूं तथा उनके खानदान के लोगों से आपके द्वारा अपनी हमदर्दी जाहिर करता हूं।

श्री शमशेर सिंह (नरवाना): अध्यक्ष महोदय डाक्टर मंगल सेन जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है और जो

उन्होंने जजबात सदन के सामने रखे हैं मैं उन जजबात के साथ अपने को शामिल करते हुए अपने ओर से और अपने ग्रुप की ओर से इस शोक प्रस्ताव की ताईद करता हूं। हमारे देश की जितनी भी हस्तियां थी, इन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत नुमायां काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में हरियणा और पंजाब में सरदार गुबख्श सिंह जी ने प्रीतलड़ी मैगजीन निकाला जिससे लोगों को काफी लाभ हुआ। उन्होंने प्रीत नगर के नाम से एक छोटा सा कस्बा भी बसाया था जिसमें लिटरेरी, बुद्धिजीवी व्यक्ति रिसर्च स्कालर रहते थे। सरदार गुबख्श सिंह जहां एक बड़े लिटरेरी फिगर थे, वहां वे बहुत बड़े समाजवादी भी थे। उन्होंने अपने मैगजीन के द्वारा न सिर्फ पंजाबी भाशा की सेवा की, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोगों के अन्दर एक नारा समाज बदलने का दिया।

श्री एस.आर.दास भारत के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रहे। जिनके बारे में डाक्टर मंगल सेन जी ने जिक्र किया। उन्होंने सरदार प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ इन्क्वायरी की और वह रिपोर्ट पंजाब के राजनीतिक जगत में प्रसिद्ध रिपोर्ट है।

सबसे अच्छी श्रद्धांजलि तो उन दिवंगत आत्माओं को यह दी जा सकती है कि जिस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया, उस रास्ते के ऊपर हम चलें, उन्होंने जो अधूरे काम छोड़े हैं, उनको पूरा करें। में डाक्टर मंगल सेन जी से सहमत हूं लेकिन साथ ही मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर श्री एस.आर.

दास की आत्मा को यह पता लगे कि सरदार प्रताप सिंह कैरों, का एक हीरा हरियाणा सरकार के ताज में जड़ा हुआ है तो उनको इस बात का अफसोस होगा। इसलिए हमें जहां श्रद्धाजलि भेंट करनी है, वहां उनके कार्यो और उनकी बातों पर चल कर आगे बढ़ना है। हमें उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करना है और आगे तरक्की करनी है। इन शब्दों के साथ इन आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।

श्री लछमन सिंह (कालका): स्पीकर साहब, डाक्अर मंगल सेन जी ने जो रैजोल्यूशन हाउस के सामने रखा है, मैं उससे बिल्कुल मुतफिक हूं। श्री एस.आर. दास की मौत से हमें बहुत दुःख है। श्री एस.आर. दास अगर उस वक्त सरदार प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ सदाकत का फैसला न करते, तो हरियाणा बनने में शायद देर लगती, लेकिन उस वक्त जो सरकार बनी, वह इतनी कमजोर थी कि हमारे लिए रास्ता साफ हो गया। इसलिए उनकी मौत में हमें बहुत ज्यादा दुःख है।

सरदार गुरबख्श सिंह को मैं बहुत अच्छी तरह से जाती तौर से जानता हूं। हमारे में से बहुत सारे आदमी उनके दोस्त हैं। उनकी मौत से केवल पंजाब को ही नहीं, बल्कि हरियाणा को काफी नुक्सान हुआ। उन्होंने प्रीतलड़ी नामक पत्रिका निकाली। लिटरेरी मामले में उनका मुकाबला कोई भी शख्स नहीं कर सकता। मैं डाक्टर मंगल सेन जी के प्रस्ताव से पुरजोर सहमत हूं

और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति दे।

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहिबान, स्वर्गवासी नेताओं के बारे में काफी कुछ कहा गया है। वे दरअसल बहुत बड़े इन्सान थे और उन्होंने हमारे देश की काफी सेवाएं कीं। जो विचार आप साहिबान ने जाहिसार किए हैं, मैं भी अपने आप को उनके साथ शामिल करता हूं और मैं, जो आपकी भावनाएं हैं, इस सदन के विचार हैं, उनको उनके घर वालों तक पहुंचाऊंगा और अब आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब खड़े होकर उनकी याद में दो मिनट के लिए मौन धारण करें।

(इस समय सदन ने खड़े होकर दो मिनट के लिए मौन धारण किया।)

श्री अध्यक्ष: अब सदन की मेज पर कागजात रखे जाएंगे।

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik): Sir, I beg to lay on the Table the Haryana General Sales Tax (Amendment) Orrdiance. 1977 (Haryana Ordinance No. 10 of 1977).

(At this stage Mr. deputy Speaker occupied the Chair).

I also lay on the Table –

The Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Ordinance, 1977 (Haryana Ordinance No. 11 of 1977)

The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment Ordinance, 1977 (Haryana Ordinance No. 13 of 1977).

स्वामी अग्निवेश: मैं वित्त मंत्री जी से आपके जरिए प्रार्थना करूंगा कि वे अपना विधेयक हिन्दी में पढ़े।

श्री उपाध्यक्ष: अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि सदन की भाशा केवल हिन्दी ही है। किसी लैग्वेज में पढ़े, उनको पढ़ने दीजिए।

कामरेड शंकर लाल: हरियाणा में सदन की भाशा हिन्दी होनी चाहिए। आदरणीय सतबीर सिंह जी बहुत अच्छी हिन्दी जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वे अन्डर दी रूल्ज चल रहे है। आप विघ्न न डालें।

स्वामी अग्निवेश: हिन्दी में पढ़ें तो कोई हर्ज की बात नहीं है।

श्रीमती शान्ति देवी: डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब हिन्दी बहुत अच्छी जानते है, इसलिए उनको हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए।

चौ. शिव राम वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर हिन्दी में बोलने में कठिनाई आती है, वहां बेशक अंग्रेजी में बोलें, लकिन जहां पर हिन्दी बोली जा सकती हैं, वहां हिन्दी में बोलें, ताकि सब लोग समझ सकें।

चौ. राम लाल वधवा: हिन्दी में टाईप हुआ हुआ है, उसमें से पढ़ दें।

Mr. Deputy Speaker: This is according to the Rules. Let the Hon. Minister lay the paper on the Table.

Chaudhri Satvir Singh Malik: Sir, I lay on the Table-

The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment Ordinance, 1977 (Haryana Ordinance No. 13 of 1977).

The Excise and Taxaticn Department Haryana, Notification No. G.S.R. 132/H.A. 20/73/S. 64/Amd. (2)/77, dated the 15th July, 1977, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1977, as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration (General Services) Haryana Government Notification No. G.S.R. 120/Const./Art 320'Amd.(1)/77, dated the 17th June, 1977, regarding the Haryana Public Services Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1977, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Sir, I beg to lay on the Table the 10th Annual Report and Accounts of the Haryana Financial Corporation for the year ended on the 31st March, 1977, as required under section 38(3) of the State Financial Corportion Act, 1951

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to lay on the Table-

The 9th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1975-76, as required under section 31(11) of the Warehousing Corporations Act, 1962.

The Annual Report of the Haryana Agriculture Universiy, Hissar, for the period from First July, 1975 to Thirteith June, 1976 as required under section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultre Universities Act, 1970.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to lay on the Table the Annual Report of the Haryana State Borad for the Prevention and Control of Water

Pollution, Chandigarh, for the years 1974-75, 1975-76 & 1976-77, as required under section 39(2) of the Waterr (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to lay on the Table-

(i) The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1975-76;

(ii) The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1975-76;

(iii) The Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1975-76 (Civil) relating to the Government of Haryana; and

(iv) The Report of the Comptroller & Auditor General of India for the yera 1975-76 (Revenue Receipts) relating to the Government of Haryana.

सदन की मेज पर पुनः रखे गए कागज पत्र

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to relay on the Table –

The Revenue Department Haryana, Notification No. G.S.R. 10/H.A. 26/72/S. 31/Amd (1)/76, dated the 23rd January, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (First Amendment) Rules, 19976, as required under Section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act 1972.

The Revenue Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 67/H.A. 26/72/S.31/Amd.(2)/76, dated the 5th April, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Rules, 1976, as required under Section 313(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

The Revenue Department, Haryana Notification No. G.S.R. 183/H.A. 26/72/S. 31/Amd (3)76, dated the 4th August, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (Third Amendment) Rules, 1976 as required under Section 31 (2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

The Revenue Department, Haryana Notification No. G.S.R. 222/H.A. 26/72/S. 31/Amd (4)/76, dated the 15th October, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (Fourth Amendment) Rules, 1976, as required under section 31 (2) of the Haryana Ceiling on Land Holding Act, 1972.

Development and Panchayat Minister (Sardar Tara Singh): Sir, I beg to relay on the Table-

The Development and Panchayat Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 24/HA.30/70/S. 22/Amd(1)/76, dated the 27th February, 1976, regarding the Haryana Cattle Fairs (First Amendment) Rules, 1976, as

required under section 22(3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

The Development and Panchayat Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 147/P.A.3/61/S. 115/Amd(1)/76, dated the 11th June, 1976, regarding the Punjab Panchayat Samities and Zila Parishada Non-Official Members(Payment of Allowance) (Haryana First Amendement) Rules 1976 as required under section 115(4) of the Punjab Panchayat Samitis Act, 1961.

The Development and Panchayat Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 3/H.A. 30/70/S. 22/Amd(1)/77, dated the 5th June, 1977, regarding the Haryana Cattle Fairs (First Amendment) Rules, 1977, as required under section 22(3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

The Development and Panchayat Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 45/P.A..3/61/S. 115/Amd(1)/77, dated the 18th March, 1977, regarding the Punjab Panchayat Samitis (Primary Members) Election (Haryana First Amendment) Rules, 1977, as required under section 115(4) of the Punjab Panchayat Samitis Act, 1961.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to relay on the Table-

The Political Department, Haryana, Notifiaction No. G.S.R. 163/H.A. 3/75/S. 8/76, dated the 2nd July, 1976, regarding the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules 1976, as required under Section 8 (2) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

A copy each of the following Notifications of the Transport Department, Haryana, Containging amendement in the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939:-

(i) Transport Department Notification No. G.S.R 190/C.A. 1/39/S.68/Amd. (3)/75, dated 16.12.75.

(ii) Transport Department Notification No. G.S.R 108/C.A. 4/39/Ss/24 and 41/Amd. (4)/76, dated 7.5.76.

(iii) Transport Department Notification No. G.S.R 109/C.A. 4/39/Ss. 24 and 41/Amd. (5)/76, dated 7.5.76.

(iv) Transport Department Notification No. G.S.R 110/C.A. 4/39/Ss. 24 and 41/Amd. (6)/76, dated 7.5.76.

(v) Transport Department Notification No. G.S.R 111/C.A. 4/39/Ss. 24 and 41/Amd. (7)/76, dated 7.5.76.

(vi) Transport Department Notification No. G.S.R 112/C.A. 4/39/Ss.24 and 41/Amd. (8)/76, dated 7.5.76.

(vii) Transport Department Notification No. G.S.R 1113/C.A. 4/39/Ss.24 and 41/Amd. (9)/76, dated 7.5.76.

(viii) Transport Department Notification No. G.S.R 114/C.A. 4/39/Ss.24 and 41/Amd. (10)/76, dated 7.5.76.

(ix) Transport Department Notification No. G.S.R 115/C.A. 4/39/Ss.24 and 41/Amd. (11)/76, dated 7.5.76.

(x) Transport Department Notification No. G.S.R 116/C.A. 4/39/Ss.24 and 41/Amd. (12)/76, dated 7.5.76.

(xi) Transport Department Notification No. G.S.R 125/C.A. 4/39/Ss.63 and 68/Amd. (13)/76, dated 21.5.76.

(xii) Transport Department Notification No. G.S.R 144/C.A. 4/39/S.68/Amd. (14)/76, dated 28.5.76.

(xiii) Transport Department Notification No. G.S.R 228/C.A. 4/39/Ss.24 and 41/Amd. (15)/76, dated 21.10.76.

(xiv) Transport Department Notification No. G.S.R 229/C.A. 4/39/Ss.24/Amd. (16)/76, dated the 21st October, 1976.

(xv) Transport Department Notification No. G.S.R 230/C.A. 4/39/S.68/Amd. (17)/76, dated the 21st October, 1976.

(xvi) Transport Department Notification No. G.S.R 237/C.A. 4/39/S.70/Amd. (18)/76, dated the 5th November, 1976.

The Excise and Taxation Department, Haryana Notification No. G.S.R. 76/H.A.20/73/S.64/Amd(1)/77, dated the 6th May, 1977, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1977, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) 1977–78 पेश करना

वित्त मंत्री (चौ. सतवीर सिंह मलिक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्श 1977–78 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण

सम्बन्धी समिति का गठन।

Social Welfare Minister (Sh. Preet Singh): Sir, I beg to move–

स्वामी अग्निवेश: उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य हिन्दी में बोलें तो ठीक रहेगा।

Mr. Deputy Speaker: I over rule your objection under Rule 77 of the Rules of Procdure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

Sh. Preet Singh: I beg to move –

1. (a) That a Committee of the Haryana Vidhan Sabha to be called "the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes", be constituted consisting of seven members, to be elected in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot;

   (b) That a Minister shall nt be eligible for election as a Member of the Committee and that if a member after his election to the Committee is appointed as Minister, he shall cease to be member thereof from the date of such apointment.

2. That the functions of the Committee shall be:-

(i) to consider the reports submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Schedulcled Tribues under article 338 (2) of the Constitution, in so far as they relate to the State of Haryana and to report to the house as to the measures that should be taken by the State Government in respect of matters within the purview of the State Government;

(ii) to report to the House on the action taken by the State Government on the measures proposed by the Committee;

(iii) to examine the measures taken by the State Government to secure due representation of theScheduled Castes and Scheduled Tribes in services and posts under its control (including appointments in the public sector undertaking and statutory and semi-Government Bodies) having regard to the provisions of Article335;

(iv) to consider generally and to report to the House on all matters concerning the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which falll within the purview of the State Government;

(v) to examine such of the matters as may deem fit to Committee or are specificallly

referred to it by the House or the Speaker;

3. That the term of office of the Committee shall be upto 31-3-1978.

4. In order to constitute a sitting of the Committee the quroum shall be three.

5. That in all other respects the Rules of Procedure of the Legislative Assemblt relating to Committees of the Assembly shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make."

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

"1. (a) That a Committee of the Haryana Vidhan Sabha to be called "the Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes", be consituted consisting of seven members, to be elected in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot;

(b) That a Minister shall not be eligible for election as a Member of the Committee and that if a member after his election to the Committee is appointed as Minister,

he shall cease to ber member thereof from the date of such appointmernt.

2. That the functions of the Committee shall be-

(i) to consider the reports submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under article 338 (ii)of the Consitution in so far as they relate to the State of Haryana and to report to the House as to the measures that should be taken by the State Government in respect of matters within the purview of the State Government;

(ii) to report to the House on the action taken by the State Government on the measures proposed by the Committee;

(iii) to examine the measure taken by the State Government to secure due representation of the Scheduled and Scheduled Tribes in services and posts under its control (including appointments in the public sector undertakings and statutory and semi-Government Bodies) having regard to the provisions of Article 335;

(iv) to consider generally and to report to the House on all matters concerning the Welfare of the Scheduled Castes and

Scheduled Tribes which fall within the purview of the State Government;

3. That the term of office of the Committee shall be upto 31-3-1978.

4. In order to constitute a sitting of the Committee the quorum shall be three.

5. That in all other respects the Rules of Procedure of the Legislative Assembly relating to Committees of the Assembly shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make."

I have received a notice of an amendment to this motion from Ch. Ram Lal Wadhwa. He may please move his ameendment.'

चौ. राम लाल वधवा: आदरणीय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि 17 अक्तूबर, 1977 की कार्य सूची में दर्ज मद तथा शीर्श ''5 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति को गठित करने संबंधी प्रस्ताव'' में प्रस्ताव के क्रमांक 1 (क), पंक्ति 4, में ''सात'' के स्थान पर ''नौ'' प्रतिस्थापित किय जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That in serial No. 1 (a) of the motion, line 4, for "seven", substitute "nine".

Sh. Preet Singh: I accept this amendment.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That in serial No. 1 (a) of the motion, line 4, for "seven", substitute "nine".

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the motion, as amended, be carried.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प

भारतीय पशु चिकित्सा परिशद की स्थापना करने के सम्बन्ध में

विकास एवं पंचायत मंत्री (सरदार तारा सिंह): डिप्टी स्पीकर, मैं पशु चिकित्सा परिशद् को गठित करने, के लिए संसद को विधि बनाने की शक्ति देने सम्बन्धी संकल्प इस सदन में पेश करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं–

''चूंकि पशु चिकित्सा परिशद् के कार्य के लिए केनद्र और राज्य सरकारों में सम्पर्क बनाए रखने, उनके सदस्यों के कार्य पर नियन्त्रण रखने तथा उसे नियमित करने, पशु चिकित्सा व्यवसाय की प्रतिश्ठा एवं महत्व को बढ़ाने, पशु चिकित्सा सर्जनों का रजिस्टर रखने, पशु चिकित्सा–शिक्षा के स्तर को बढ़ाने ओर

राजयों में पशु चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देने, राज्य पशु चिकित्सा परिशदों के कार्य में तालमेल स्थापित करने ओर उनसे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलोंके लिए कानून द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिशद् की स्थापना करना समीचीन है।

और चूंकि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विधान का सम्बन्ध भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के इन्द्राज 15 में वर्णित मामलों से है, जिनके सम्बन्ध में संसद को, अनुच्छेद 249 और 250 में उपबन्धित के सिवाय राज्यों के लिए कानून बनाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

और चूंकि यह मामला महत्त्वपूर्ण है, अतः यह वाच्छनीय और उचित है कि ऐसा कानून संसद द्वारा अधिनियमित किया जाए।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि संसद एक कानून अधिनियमित करे जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों में सम्पर्क बनाए रखने, अपने सदस्यों के काय्र पर नियन्त्रण रखने तथा उसे नियमित करने, पशु चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिश्ठा और महत्व को बढ़ाने, पशु चिकित्सा सर्जन के रजिस्टर रखने, पशु चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और राज्यों में पशु चिकित्सा योग्याताओं को मान्यता देने, राज्य पशु–चिकित्सा परिशदों के कार्य में तालमेल स्थापित करने और उनसे सम्बन्धित अथववा

प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिशद् की स्थापना करने की व्यवस्था की जाए।''

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

"WHEREAS, it is expedient to provide by law for the stablishment of Indian Verterinary Council with a view to liaise with the Central and State Governments, to control nd regulate teh conduct of its members to uphold the status nd disgnity of h profession, to maintain a register of Veterinary suggenons, to raise the standard of Veterinary education and recognition of Veterinary qualifications within the States, to co-ordinate the work of the State Veterinary Councils, nad for matters connected therewith or incidental thereto;

AND WHEREAS, legislation for the purpose mentioned above is relatable to mattters enumerated in entry 15 of List II in the Seventh Schedule to the Constitution of India, with respect to which Parliament has no power to make a law for the States except as provided in articles 249 and 250 thereof;

AND WHEREAS, the matter being important, it is desirable and expedient that such a law should be enacted by Parliament;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution of India, this

Assembly hereby resolve that Parliament should enact a law providing for the establishment of Indian Veterinary Council with a view to liaise with the Central and State Government, to control and regulate the conduct of its members to uphold the status and dignity of the profession, to maintain a register of Veterinary Surgeons, to raise of standard of Veterinary education and recognition of Veterinary qualifications within the States, to coordinate the work of the State Veterinary Councils, and for matters connected therewith or incidental thereto."

Mr. Deputy Speaker: Question is –

"WHEREAS, it is expedient to provide by law for the stablishment of Indian Verterinary Council with a view to liaise with the Central and State Governments, to control and regulate the conduct of its members to uphold the status and disgnity of the profession, to maintain a register of Veterinary surgeons, to raise the standard of Veterinary education and recognition of Veterinary qualifications within the States, to co-ordinate the work of the State Veterinary Councils, and for matters connected therewith or incidental thereto;

AND WHEREAS, legislation for the purpose mentioned above is relatable to mattters enumerated in entry 15 of List II in the

Seventh Schedule to the Constitution of India, with respect to which Parliament has no power to make a law for the States except as provided in articles 249 and 250 thereof;

AND WHEREAS, the matter being important, it is desirable and expedient that such a law should be enacted by Parliament;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that Parliament should enact a law providing for the establishment of Indian Veterinary Council with a view to liaise with the Central and State Government, to control and regulate the conduct of its members to uphold the status and dignity of the profession, to maintain a register of Veterinary Surgeons, to raise of standard of Veterinary education and recognition of Veterinary qualifications within the States, to coordinate the work of the State Veterinary Councils, and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was carried.

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977

16.00 बजे

Finance Minister (Ch. Satvir Singh Marli): Sir, I

Beg to introduce the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, 1977.

Sir, I also move-

That the Punjab Courts (Haryana Amendmentt) Bill be taken into consideration at once.

स्वामी अग्निवेश (पुडंरी): उपाध्यक्ष महोदय, यह जी बिल पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। यह जो पांच हजार की बजाय बीस हजार तक के केस जिला अदालतों को देने का प्रोविजन किया गया है इससे हाई कोर्ट के काम में बड़ी सुविधा होगी। जैसे कि हावते कि जिस न्याय में आवश्यकता से अधिक समय लगेगा वह न्याय न्याय नहीं रहता। इसलिए यह जो पांच हजार से बढ़ाकर बीस हजार किया गया है, यह स्वागत के योग्य है। इसकी वजह से केसिज का बहुत जल्द निपटारा होगा, क्योंकि बीस हजार तक के केसिज नीचे की अदालतों में चले जाएंगे। मेरा एक सुझाव है कि इसको बीस हजार की बजाय 25 हजार कर दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

चौ. शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता के अनुसार यह बिल बहुत ही अच्छा हैं जैसे कि स्वामी जी ने कहा उन बातों में तो मैं नहीं जाऊंगा लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो जिला मैजिस्ट्रेटस हैं इनके पास भी इतना काम है कि मुझे डर है कि कहीं यहां भी केसिज उसी

तरह से न लटकते रहें। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर नीचे की अदालतों में काम बढ़ाया जा रहा है, तो वहां जजों की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि न्याय मे देरी न हो और जिस भावना से नीचे के कोटों के अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं, वह भावना कायम रहे। मैं एक बार फिर यह निवेदन करूंगा कि नीचे की अदालतों के जजों की संख्या का भी ध्यान रखा जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौ. हरि चन्द हुड्डा (किलोई): उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये अधिकार जिला मैंजिस्ट्रेटस या और मैजिस्ट्रेटस की बजाय गांवों तक ले जाएं, तो शहरों की जो छोटी अदालतें हैं, उनका भी काम हल्का हो सकता है। इसलिए इन अधिकारों को गांवो की पंचायतों तक ले जाया जाए ताकि जिला के जजों की भी आराम मिल सके।

सरदार सुखदेव सिंह (रोड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल बहुत अच्छा है। जैसे मेरे दोस्त ने कहा है कि यह अधिकार गांवों तक जाना चाहिए यह बहुत ही बढ़िया बात है। हमारी पार्टी का यही नारा था और हमारी पार्टी इसी बेस पर लोगों ने पसन्द की कि अधिकारों का बंटवारा होना चाहिए। हम पहले वाली बात पसन्द नहीं करते कि अधिकार एक ही जगह डाल दिए जाएं। हमने अधिकारों का बांटना है, जैसे छोटी पंचायतें हैं, उनको अधिकार मिलने चाहिएं। मैं यह नहीं कहता कि पंचायतों को इतने बड़े–बड़े मामले दे दिए जाएं, लेकिन

दूसरे और कई मामले हैं जिनके अधिकार पंचायतों को दिए जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का फिर समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री बलदेव लायल (हांसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इस तरफ आकर्शित करूंगा कि सबौडीनेट जुडिशियरी के पास भी इस समय कितना काम पैंडिग है और अगर उनको यह और काम भेज दिया जाएगा तो उनके पास और भी काम पैंडिंग हो जाएगा। कई ऐसे केसिज हैं जो 4–47, 5–5 साल से पैडिंग पड़े हैं और उन मुकदमों में जमानतें नहीं हुई जिसकी वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक हैं कि जहां–जहां ये मुकदमें भेजे जाएं, वहां जजों की संख्या भी बढ़ाई जाए और साथ ही उनके वेतन भ बढ़ाए जाएं। सदन को पता है कि पिछली सरकार ने एग्जैक्टिव के ग्रेड तो बढ़ा दिए थे, परन्तु जुडिशियरी के ग्रेड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था, उनका केस अभी तक पैंडिग पड़ा हुआ है। इसलिए अगर उनके पास और मुकदमें भेजे जाते हैं तो उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए और उनका वेतन भी बढ़ाया जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शमशेर सिंह (नरवाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने रखा गया है यह बहुत अच्छा है क्योंकि हाई कोर्ट में केसिज की तादाद बढ़ गई थी, उसको कम करने के लिए यह एक अच्छा कदम है। इसके साथ ही श्री बलदेव तायल ने जो

बात कही है मैं उसका पूरा–पूरा समर्थन करता हूं। पहली बात तो यह है कि निचली अदालतों के पास अढ़ाई–अढ़ाई हजार फाइलें हैं जबकि हाई कोर्ट के रूल्ज के मुताबिक एक कोर्ट के पास चार सौ और सात सौ के बीच फाइलें होनी चाहिएं। केसिज ज्यादा होने की वजह से लोगों को जल्दी इन्साफ नहीं मिलता है और 4–4 साल तक केसिज के फैसले नही होते हैं। दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह है कि जो सबौर्डिनेंट जुडिशियरी है उनमें एक तरह से बड़ी भारी डिस–सैटिसफैक्शन है। जैसे तायल साहब ने बताया कि एग्जैक्टिव और जुडिशियरी जो हैं पहले यह एक ही सर्विस के दो विंग होते थे और ये पोस्टें इन्टर ट्रांसफरेबल थी, लेकिन बाद में सर्विस कंडीशन्ज चेंज कर दी गई और जुडिशियरी के ग्रेड पिछले बहुत सालों से वही चले जा रहे हैं जबकि एग्जैक्टिव साइड के ग्रेड बहुत अच्छे कर दिए गए हैं। सर्विस कंडीशन में चाहे वह केडर स्ट्रैन्थ की बात है चाहे सिलैक्शन ग्रेड के कोर्ट की बात है इन सारी बातों में एग्जैक्टिव की बेहतर सर्विस कंडीशन्ज कर दी गई है जबकि जुडिशियरी को ज्यो का त्यों रखा गया है। इसलिए अगर आप सबौर्डीनेट जुडिशियरी को और काम ट्रांसफर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वह ईमानदारी से काम करें और लोगों को इन्साफ मिले तो आपको उनकी सर्विस कंडीशन सुधारनी पडेंगी और कम से कम एग्जैक्टिव के बराबर लाना पड़ेगा ताकि जनता को थोड़ समय में ही इन्साफ मिल सके। इन शब्दों के साथ में इस बिल की स्पोर्ट करता हूं।

चौ. रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर महोदय, यह जो बिल आज सदन के सामने है, मैं ऐसा सोचता हूं कि इसमें ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। वित्त मंत्री जिन्होंने यह बिल रखा है उनका भी नीचे की अदालतों से काफी काम पड़ता रहा हैं और उनको तजुरबा भी है। बीस हजार रूपए की मालियत के सभी मुकदमें जिला जजों को भेजने के बारे में इस बिल में जो तजवीज है उसका अनुमोदन तकरीबन सभी साथियों ने किया है। स्वामी अग्निवेश जी ने तो कहा कि बीस हजार की लिमिट थोड़ी है इसको 25 हजार किया जाएं, लेकिन एक बात मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बीस हजार की मालियत का मतलब यह है कि लैण्ड सूटस जितने हैं जिनकी मालियत माल गुजारी का तीन गुना तक मुकर्रर होती है, वह तकरीबन सारी ही अपीलें जितनी हाई कोर्ट में पैंडिग हैं, डिस्ट्रिक्ट जजों की जुरिस्डिकशन में लाई जा रही हैं। आपने अन्दाजा लगाया होगा कि हरियाणा में लैण्ड सूटस कितनी भारी तादाद मैं पैंडिग हैं। यह प्रान्त कृशि प्रधान है और इस प्रान्त में ज्यादातर मुकदमें जमीन के बारे में हैं। वे सारे के सारे आप नीचे की अदालतों में भेज रहे हैं। आपने–डिस्ट्रिक्ट जजों या एडीशनल जजों को क्या सहूलियत दी हुई हैं? डिस्ट्रिक्ट जजों के कितने ही ऐसे हैडक्वार्टर्ज हैं जहां ठहरने के लिए मकान नहीं हैं और न कोई टैलीफोन की सुविधा है। आज अगर अन्दाजा लगाएं कि उनके पास पैंडिंग काम कितना है तो आप हैरान हो जाएगें कि उनके काबू में भी यह काम नहीं आ रहा है। पहले सरकार ने सात

डिस्ट्रिक्टस बनाए और तीन चार साल पहले चार जिले और बनाए जिनमें सोनीपत बना कुरूक्षेत्र बना, सिरसा बना और भिवानी बना। वहां पर अब तक जो सैशसन डिवीजन हैं वह अपने पुराने रखे हुए हैं। जैसे सोनीपत जिला तो अलग बना दिया लेकिन सैशन डिवीजन वही रोहतक का है। कभी साजोनजर महीने दो महीने में सैशन जज साहब आ जाएं तो सारी मिसलें सोनीपत से जाकर रोहतक में जमा हो जाती हैं यानी उनके मालखाने में रिकार्ड रूम में जमा हो जाती हैं। लोगों को नकल लेने के एिल बडी दिक्कत होती है। शायद यह बात सरकार के सामने नहीं है। अगर आप जिला जजों को इतना काम सौंप रहे हैं, तो साथ–साथ मेरा ख्याल है आने यह भी देखा होगा कि वहां दूसरा स्टाफ भी और देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि बीस हजार की मालियत के जितने केसिज हैं, अगर वे सारे आप जिला को सौपते हैं तो उनके पास इतना काम हो जाएगा कि उनको निपटारा करना मुश्किल हो जाएगा। जितने भी जमीनों के बारे में मुकदमें है और वे हजारों की तादाद में हाई कोर्ट में पैंडिग हैं, वे सारे के सारे नीचे आप भेजेंगे लेकिन आपके पास आज फालतू स्टाफ नहीं है। आज हालत ऐसी है, कि मर्डर के केसिज में जो लोग बरी हो जाते हैं, उन केसिज में जिला जज, एडीशनल जिला जज 6–6, 8–8 महीने की शहादत के लिए तारीख दे देते हैं जिसकी वजह से उनको बिना कसूर जेल में रहना पड़ता है या परेशान होना पड़ता है। उधर एउमिनिस्ट्रेशन का यह हाल है कि हमने कभी देखा नहीं था कि सैशन जज की अदालत से जारी हुए सम्मन पर कोई पुलिस अुसर

तामील करने में अवहेलना कर दे या गवाह खुद हाजिर होने में थोड़ी बहुत कोताही कर दे। लेकिन आज ऐसा देखते हैं कि सैशन ट्रायल्ज में तारीख पर तारीख लगती रहती है और गवाह हाजिर नहीं होते। पुंलिस वाले परवाह नहीं करते। इसका नतीजा यह है कि मर्डर केसिज में और दूसरे सैशन के जो केसिज हैं चाहे स्पैशल जज के हैं चाहे 307 के हैं और चाहे क्रप्शन के हैं उन सारे केसिज में दो–दो, अढ़ाई–अढ़ाई साल तक ट्रायल चलती है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको खुद भी तजुरूबा होगा कि सैशन जज और जिला जजों को आपने पहले ही ज्यादा काम सौंपा हुआ है। प्रिवैशन आफ क्रप्शन के केसिज हैं तकरीबन सभी उनके पास है और भी लैण्ड एक्विजीशन के केसिज कितने कोर्टस में पैंडिग हैं। लैण्ड ऐक्विजीशन के केसिज भी पिछले सात–सात, आठ–आठ साल से डिस्ट्रिक्ट जजों की कोर्ट में पड़े हुए हैं। ये निकल नहीं पाते क्योंकि उनके पास टाईम नहीं है। सरकार ने एक साथ इतीन जमीन एक्वायर कर ली है, जिसके केसिज कोर्ट में चल रहे हैं और उनका फैसला पिछले छः–छः, सात–सात और आठ–आठ साल से नहीं हो रहा। आप ही बताएं कि लोगों को आप क्या फैसला देंगे? क्या 20 हजार की लिमिट रख के इन केसिज को जल्दी निपटा पाएंगे? नीचे की अदालत में बड़ी देर लगती हैं, ज्यादा काम दैने से और भी देर लगेगी।

इसके साथ ही साथ, मैं यह मानता हूं कि एक साल से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से काई कोर्ट में, आपस में टकराव

चलता रहा है, जजिज की अप्वांयटमैंन्ट पर, डिस्ट्रिक्ट जजिज की अप्वांयटमैंट पर आपस में मतभेद रहा। हाई कोर्ट, अगर किसी को सिलैक्ट करके भेजता है तो सरकार उस जज को लगाती नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन अगर किसी का नाम एप्रूव करके भेजता है तो सरकार उसको अप्वांयटमैंट आर्डर नहीं देती। उनकी मर्जी का जज आ जाए, तो पोस्टिंग हो जाएगी और अगर मर्जी के न आएं, तो पास्टिं नही हो सकतीः इसका नतीजा यह होता है कि सारी स्टेट में जहां–जहां जरूरत है, जुडिशियल आफिसर्ज की जगह अमला बढ़ता है। सरकार ने जो बिल पेश किया है, इससे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बहुत काम बढ़ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर तो पहले ही बहुत ज्यादा काम है। वह आफिसर इस काम को नहीं कर पाएंगे और जैसा कि आपका ख्याल है कि लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा, यह गल्त है, हसमें देरी लगने की सम्भावना है।

श्री हीरा चन्द आर्य (लोहारू)ः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन इसके साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य चौ. रिजक राम जी ने कहा है कि लोअर कोर्ट को जो अधिकार दिए गए हैं, इससे मसला हम नहीं होगा। लोअर कोर्टस में पहले ही इतना अधिक काम है कि बहुत सारे केसिज पैडिंग पड़े हुए हैं और इस बिल के द्वारा और अधिक काम देने से उनके पास इतना अधिक काम हो जाएगा कि वे कर नहीं पाएंगे और

सरकार का जो मन्शा है कि लोगों को जल्दी न्याय दिलाया जाए, उसमें कठिनाई होगी और जजिज लगाने के साथ–साथ यह भी जरूरी है जैसा कि हमारी सरकार का मंशा है कि जुडिशरी को, न्याय पालिका को कुछ अधिकार दिए जाएं, उनकी स्थिति अच्छी की जाए, इसके लिए यह जरूरी है कि जजिज को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। आज हम देखते हैं कि जो सैशन जजिज हैं यह सब जजिज हैं, उनको रिहायश के लिए दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है। यह स्वाभाविक है कि अगर ये सिी काम के लिए उनके पास जाएंगे तो उस काम को करने वाले का एहसानमन्द होना एक इन्सानी स्वभाव है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेटस और सब–जजिज के लिए सारी स्टेट में उनकी रिहायश का इन्तजाम किया जाए ताकि इन्साफ करने में सुविधा हो और किसी को एप्रोच करने की आवश्यकता न पड़े। इसके साथ ही साथ, जैस की जनता पार्टी की सरकार को शुरू से ही यह ध्येय रहा है कि न्याय पालिका को उच्चतम पदवी दी जाए। यह बात सही है कि जब तक किसी को आर्थिक ढांचा ठीक नहीं होता तो उसका रहन सहन अच्छा नहीं होगा इसलिए न्याय पालिका में सुधार नहीं आ सकता। यह आर्थिक ढांचा तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक एग्जैक्टिव एच.सी.एस. और जुडिशयरी की तन्खाह बराबर नहीं होती। बड़े अफसोस की बात है कि जुडिशयरी को वह ग्रेड नहीं दिया गया जो एग्जैक्टिव को दिया गया है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जुडिशयरी का अगर एग्जैक्टिव से अधिक ग्रेड नहीं कर सकते तो

कम से कम बराबर ग्रेड दें, बराबर सिलैक्शन ग्रेड दे दिया जाए और उनके साथ पैरिटी रखी जाए ताकि इनके दिमाग में यह बात न आए कि एग्जैक्टिव को विशेश सुविधाएं दी गई हैं और जुडिशियरी को निगलैक्ट किया जा रहा है। इससे अधिक न कहता हुआ, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सब को बराबर सुविधा दी जाए। इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

मास्टर शिव प्रसाद (अम्बाला शहर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ बन्धुओं ने कहा कि लोअर कोर्टस में काफी अधिक काम है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। अगर हम चाहते हैं कि काम का निपटारा जल्दी हो तो मैं समझता हूं कि हमें कुछ औ जजिज एप्वायंट करने चाहिएं। इसके साथ एक बात यह भी जरूर देखनी चाहिए कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये केसिज पैंडिग पड़ते चले गये। मैं यह समझता हूं कि पहले जो सरकार थी वह बीच में हस्तक्षेप करती होगी, वह स्वतन्त्र रूप से न्याय नहीं करने देती होगी। मैं समझता हूंकि आज जनता पार्टी की सरकार बन गई है और कोर्टस का पूरी स्वतन्त्रता मिल गई है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन कारणों से जुडिशयरी में हस्ताक्षेप होता था वे कारण अब न हों। इसके साथ ही साथ, नये जजिज की एप्वायंटमैंट करके, उनके लिए समय निश्चित कर देना चाहिए कि जो केसिज उनके पास आ रहे हैं उनका निश्यित समय के अन्द–अन्दर निपटारा हो जाना चाहिए।

ठाकुर बीर सिंह (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदय हाउस के सामने जो मसला है वह मेन इस बात का है कि जो केसिज हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं वे नीचे आ जाएं और उनकी लिमिट बढ़ाने से उनका जल्दी ने निपटाना हो सकता है। जैसे कई सुजैशंज हाउस के सामने आई हैं और उनमे ंमेन जो है वह यह है कि जजिज की तादाद बढ़ा दी जाए। हमारे कुछेक विधायकों ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट से केसिज यदि नीचे ले गए तो उनका निपटारा नहीं हो सकेगा। हाई कोर्ट में केसिज की तादाद पहले ही ज्यादा है और जजों की तादाद बहुत कम है। नीचे जो जज है तादाद तो उनकी भी कम है लेकिन उनकी तादाद बढ़ा कर केसिज का निपटारा जल्दी से किया जा सकात है। इसके लिए मैं एक तजवीज करूंगा कि अगर सरकार इस वक्त जजिज को बढ़ाने का पर्मानैंट इंतजाम न कर सकती हो तो जिस तरह पहले टैम्परेरी जज मुकर्रिर किए गए थे उसी तरह इस काम को निकालने के लिए कुछ समय के लिए टैम्परेरी जज नियुक्त किए जाएं। आयंदा के लिए जितनी फाईलें पहले हाई कोर्ट ने मुकर्रर की हुई थीं कि इतनी फाईलें एक जज के पास रहेंगी, उसके हिसाब से जजों की संख्या बढ़ा दी जाए।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय यह है कि हमारे कई दोस्तों ने सुझाव दिया कि हरियाणा में जुडिशियल साईड क जजों का स्केल रिवाईज कर दिया जाए ताकि उनको एनकरेजमैंट मिले और वे अपने काम का अच्छी तरह से निपटारा कर सकें। कुछेक

साथियों ने यह भी सुझाव दिया कि इन जजों के मकानो की व्यवस्था, चाहे वह सैशन जज हो या चाहे दूसरे जजिज हों, सरकार की तरह से हो ताकि उनको किसी का ग्रेटफुल न होना पड़े। मैं भी इन सुझावों से सहमत हूं और अर्ज करता हूं कि उस काम के निपटारे के लिए यह बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, 20 हजार की रकम का जहां तक सम्बन्ध है, यह राशि कोई ज्यादा नहीं है बल्कि कम है। अगर इसकी तादाद बढ़ाकर ज्यादा भी कर दी जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होगी।

चौ. हरि चन्द हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक 20 हजार के मालिए का सवाल है इसके बारे में गवर्नमैंट की इंटैन्शन जो है वह यह नहीं है कि जज बढ़ जाएं या घट जाएं बल्कि उसकी इन्टैन्शन यह है कि जनता को जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। असल मुद्दा तो यह है कि जनता का बोझ जनता पर रखा जाए यानि जनता के काम जनता से करवाए जाए। इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूं। वाटर कोर्स की कीमत सब जगह 125 रूपये पड़ती हैं उसके लिए पटवारी, गिरदावर, सुप्रिन्टैन्डैन्ट, एक्सीयन, एस.ई. और हाईकोर्ट की जरूरत नहीं है बल्कि गांव के बीच में गावं की पंचायत जो फैसला कर दे वही फाईनल समझा जाता है। इसी तरह से अगर सरकार ऐसे मसलों को हल करे तो सारे मसले बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं।

चौ. रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि क्या एक मैम्बर एक मोशन पर दो बार बोल सकता है?

श्री उपाध्यक्ष: एक बात बोल सकाता है दो बार नही। (विघ्न)

कामरेड शंकर लाल (सिरसा): उपाध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त के अन्दर ऐग्जैक्टिव अदालतें जो थीं उन्होंने हमारे साथ बेईन्साफी की क्योंकि उन अदालतों ने सरकार का हुक्म मान करके किसी जगह भी न्याय नहीं दिया। इसलिए जुडिशियल अदालतें जो हैं वे लोगों को न्याय दे सकती है। लेकिन पिछली सरकार ने जुडिशियल साइड के जो मैजिस्ट्रेटस है उनकी तनख्वाह भी कम रखी और दूसरी जो सहूलियतें हैं वे भी काफी खोसी है और ऐग्जैक्टिव वालो को बंसी लाल जी की सरकार ने ज्यादा सहूलियतें और तनख्वाह दी। इस सरकार को चाहिए कि यह जुडिशियल अदालतों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियते दें। उनके अन्दर ज्यादा जजों को लगाया जाए क्योंकि न्याय के काम को जुडिशियल अदालतें ही ठीक तरह से कर सकती हैं ऐग्जैक्टिव की अदालतें नहीं। वे एक पक्ष को ही ध्यान रखती हैं। जैसी सरकार की राय होती हे उसके मुताबिक ही ऐग्जैक्टिव की अदालतें चलती हैं। वे न्याय की तरफ नहीं चलती। जुडिशियल अदालतें न्याय की तरफ चहली हैं। इन्ही के अधिकारियों ने ऐमरजैंसी में हमें बचाया क्योंकि उन्होंने फैसला

हमारे हक में यिदा और न्यायपूर्ण फैसले किए। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से अपील करता हूं कि जुडिशियल साइड के जो मैजिस्ट्रेटस हैं उनको यह पूरी सहूलियतें दे, उनकी तनख्वाह के ग्रेड उनके काम के मुताबिक बढ़ाए जाएं, उनकी संख्या में बढौतरी की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय सिरसा के अन्दर सैशन ग्रेड की अदालत नहीं है। वहां के लोगों को हिसार जाना पड़ता है। मैं सरकार से आपके द्वारा अपील करूंगा कि जहां भी नए डिस्ट्रिक्टस हैं वहां पर सैशन ग्रेड की या दूसरे ग्रेड की अदालतें स्थापित की जाएं ताकि लोगौं को न्याय मिल सके।

चौ. राम किशन (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आदरणीय चौ. रिजक राम ओर हीराचन्द आर्य ने सदन के सामने जो बातें रखीं उनको दोहराना नहीं चाहता लेकिन यह अर्ज करूंगा कि जुडिशियरी, जिससे हमें न्याय मिलता है, के साथ सौतेली मां जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐग्जैक्टिव वालों से ज्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, जिला जींद बहुत पिछड़ा हुआ जिला है लेकिन सैशन डिवीजन को अटैण्ड करने के लिए रोहतक जाना पड़ता है। इससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है।

Mr. Deputy Speaker: Please confine yourself to the bill.

चौ. राम किशन: डिप्टी स्पीकर साहब, कम से कम वहां सैशन डिविजन जरूर होना चाहिए और जुडिशियरी के जितने जज हैं उनको ज्यादा नहीं तेा जितनी सहूलियतें ऐग्जैक्टिव साइड के जजों को दी गई हैं उतनी जरूर मिलनी चाहिएं। यह जनता की सरकार है। इनको इस तरह अवश्य ध्यान देना चाहिए।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. खुरशीद अहमद पदासीन हुए।)

श्री भाले राम (बड़ौदा–एस.सी.): चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि अधिकतर जो मुकदमें होते हैं वे देहातों के होते हैं और वे तकरीबन 20–25 हजार रूपये की राशि के होते हैं। इन मुकदमों में गांव के किसान लोगों को हाईकोर्ट में आना पड़ता है। यहां पर उसका जो गवाहों पर वकीलों पर खर्चा होता है वह बहुत महंगा पड़ता है। यहां वकील करने से और गवाह आदि आने से वह बहुत मंहगा पड़ता हैं। इसके साथ–साथ में यह बात भी समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जजों पर काम का भार बढ़ेगा। अगर जजों की तन्खाह बढ़ा दी जायेगी तो वे और ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे। अगर किसी भैंस को ज्यदा बिनौले दिये जायेंगे तो वह ज्यादा दूध देगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उनकी तन्खाह बढ़ायी जाये। एक फायदा यह भी होगा कि जो वकील दफा 107–151 के मुकदमें लेते हैं उनको भी रोजगार मिल जायेगा। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): जैसा कि इस बिल की क्लाज वन और उसी सब–क्लाज 'ए' में डिस्ट्रिक्ट जज का नाम दिया गया है, इस प्रोविजन से बीस हजार की मालियत तक के जितने मुकदमें हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज को सुनने का अधिकार होगा। दरअसल बात यह है कि रोहतक जिले के जीन्द और सोनीपत में अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। अब वहां पर दिक्कत यह है कि क्लाइंटस को और वकील को अपील करने के लिए सैशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में रोहतक जाना पड़ता है। अभी जैसा कि चौ. रिजक राम जी ने बताया है कि सोनीपत में और जीन्द में दो दो महीने तक डिस्ट्रिक्ट जज नहीं आते हैं जिसके कारण से क्लाइंटस को और वकीलों को काफी परेशानी रहती है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज का शब्द प्रयोग किया गया है वहां पर एडीशनल जज शब्द और जोड़ दिया जाना चाहिए। बीस हजार तक की मालियत के मुकदमें एडीशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दायर करने का प्रोविजन किया जाना चाहिए। इस धारा में यह स्पैसिफिकली मैन्शन होना चाहिए। जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है यानी डिवीजन है वहां पर दो या तीन अडिशनल जज भी होते हैं लेकिन सोनीपत और जींद में अलग बात यह है कि सैशन डिविजन रोहतक में है और अडिशनल जज सोनीपत और जीन्द में बैठते हैं। इसलिए मैं इस अमैंडमैंट का स्वागत करते हुए सिर्फ यह बात कहूंगा कि लोगों को न्याय शीघ्र मिले और उनकी दिक्कत भी खत्म हो सके। जहां हम

हाईकोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहते हैं ताकि क्लाइंटस को सहूलियत मिले वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वर्क लोड बढ़ जायेगा। ऐसी लोगों की भावना है। हो सकता है जो न्याय हाई कोर्ट से जल्दी मिल सकता था वह अब वर्क लोड बढने से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जल्दी न मिल सके। इसलिए मैं यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जज के साथ ही एडीशनल जज का शब्द जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट जज पर वर्क लोड ज्यादा न बढ़ सके।

दूसरी बात मैं यह कहनाचाहात हूं कि जिस एडीशनल जज का हैड क्वार्टर दूसरी जगह पर है वहां पर ही सैशन डिवीजन क्रियेट करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत न हो सके। अब जीन्द और सोनीपत के लोगों को अपनी करने के लिए रोहतक जाना पड़ता है। अब बीस हजार तक की मालियत के मुकदमों के लिए रोहतक जाना पड़ता है जिसके कारण लोगों को असुविधा होती हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस कलाज में डिस्ट्रिक्ट जज के साथ ही अडिशनल जज का शब्द भी जोड़ दिया जाना चाहिए।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा): चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पेश्तर इस बारे में मैं अपने विचार रखूं, मुझे तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि बहुत सदस्यों ने इस बिल को अहमियत को, इसके मकसद को जाने या अनजाने में गलत तरीके से समझा है। इस बिल का मकसद सिर्फ इतना है कि जो धारा 39 पहले से पंजाब कोर्ट एक्ट में मौजूद थी

उस धारा को इस नये बि के जरिए संशोधित किया जा रहा है। पहले धारा 39 यह थी कि 5 हजार तक की मालियत के मुकदमें की अपनी डिस्ट्रिक्ट जज सुन सकात था और पांच हजार से ऊपर की मालियत के मुकदमें की अपील हाई कोर्ट में दायर की जाती थी। लेकिन इस बिल के द्वारा यह सुविधा दी गई है कि बीस हजार तक की मालियत की अपील डिस्ट्रिक्ट जज सुन सकेगा। इसका मतलब यह होगा कि पांच हजार से बीस हजार तक के बीच की अपील हाई कोर्ट में दायर होती थी, अब वहां दार होने की बजाए डिस्ट्रिक्ट जज के सामने दायर हो सकेगी। चेयरमैन साहब, हाई कोर्ट में मुकदमों की गिनती बहुत ज्यादा थी। हमारे अपने यहां पर ही चालीस पचास हजार मुकदमें थे ओर कलकत्ता हाई कोर्ट में तो एक लाख के करीब पैडिंग हैं। जब हमें 1947 में आजादी मिली थी तब से केसिज कोर्ट में पड़े हुए हैं। हमारे अपने हाई कोर्ट में सन 1964–65 के मुकदमें सैंकड और फर्स्ट अपील के पैंडिग हैं। इससे अब हाई कोर्ट में भी दबाव कम होगा।

बीस हजार से फालतू अगर किसी मुकदमें की मालियत होगी तो वह अब भी हाई कोर्ट में जायेगा। इस तरीके से यह सब किया जा रहा है जो मैं समझता हूं ठीक ही किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं अपनी सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि वह इस बिल के साथ ही इस हाउस को और इस हाउस के द्वारा सारे हरियाणा को यह अश्योर करे कि इस बिल के पास होने के बाद डिस्ट्रिक्ट जजिज पर जो दबाव पड़ेगा, उनके काम में जो

बढ़ोतरी होगी, वह उसके लिये भी कोई न कोढ प्रबन्ध करेगी। तो मैं भी इसका समर्थन करूंगा और यह हाउस भी इसका समर्थन करेगा वरना समस्या काएक रूख, समस्या का एक पहलू कुद हल होगा तो वही समस्या दूसरे तरीके से, उससे भी ज्यादा निकम्मे तरीके से हमारे सामने आयेगी। आज डिस्ट्रिक्ट जजिज के मुकदमों का क्या हाल है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य चौ. रिजक राम जी ने उसका जो नक्शा खींचा है, वह भली प्रकार से ठीक उतरता है। हरियाण में इस समय जो उनकी हालत है, मुझे वह दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछेक बातें उसमें जोड़ना चाहता हूं। मोटर ऐक्सीडैटस क्लेम्ज के केसिज को ही ले लीजिये। यह हाउस इस बात का समझेगा कि कोई आदमी ट्रक या मोटर से टकराकर मर जाता है तो उसकी बेवा या यतीम बच्चे क्लेम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजिज को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह मोटर एक्सीडैंटस क्लेम्ज को सुनें। लेकिन इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि उन यतीमों और बेवाओं के मोअर ऐक्सीडैंटस के केसिल 6–6, 7–8 साला से पैंडिंग हैं और डिस्ट्रिक्ट जजिज के पास टाईम नहीं है कि वे उनको सुनें। इसी तरीके से और भी अपीलें हैं, जिस अपीलों को सुनने का उनको अधिकार है, लेकिन वे अपीलें भी कई सालों से पेंडिंग पड़ी हैं। मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट के जजिज की अप्वायंटमैंट तो सैंटर ने करनी होती हे लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजिज को अप्वायंट करने का अधिकार तो सरकार के पास हाई कोर्ट से मिलकर करने का है। अब से पहले जो पिछली सरकार न इस मामले में काम

किया, उसकी बार–बार निन्दा करने का कोई फायदा नहीं। जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो हमारा सिर बतौर हरियाणवी शर्म से झुक जाता है कि किस तरीके से पिछली सरकार हरेक काम के लिये उनके साथ खिलवाड़ करती रही। डिस्ट्रिक्ट जजिज की किस तरीके से अप्वायंटमैट हुई। हाई कोर्ट ने नाम एप्रूव किये लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने उनकी अप्वायंटमैंट की मंजूरी नहीं दी और वह यों के यों रह गये। मुझे अफसोस इस बात का है। मैं अपनी सरकार को याद कराता हूं कि वह ऐसे मसलों को बड़ी जल्दी से हल करे। बहुत धीरे से काम चल रहा है। जिस तरीके से हरियाणा, भारत के दूसरी स्टेट्स की सरकारें काम कर रही हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जो समस्याएं एमरजैंसी से पहले बेरोजगारी की थीं, भ्रश्टाचार की थीं, गरीबी की थीं, या मंहगाई की थीं, वे समस्याएं जनता पार्टी की सरकार कनने से हल नहीं होंगी। ये समस्याएं और ज्यादा जोर के साथ मुंहफाड़े लोगों के सामने खड़ी हैं और सरकार के सामने हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि जनता पार्टी की सरकार को लोगौं को और ज्यादा इन्तजार नहीं करानी चाहिये। (व्यवधान)

मैं यह मानता हूं कि हाई कोर्ट के ऊपर काम का प्रैशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उस प्रैशर को कम करना चाहिए। उस प्रैशन को कम करने का लाभ क्या है जबकि डिस्ट्रिक्ट जज जिसके ऊपर पहले ही प्रैशर है, और इस बिल के द्वारा उनके ऊपर और प्रैशन डाला जा रहा है। मैं अपनी गवर्नमैंट के सामने

यह सुझाव रखना चाहता हूं कि आप कृपा करके जब भी हाउस में इस तरीके का बिल लाये तो उसके सारे पहलुओं पर विचार करके लायें। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कम्प्रीहैन्सिव तरीके से इस समस्या पर विचार नहीं किया है। आंख मिचौली का शब्द शायद ठीक होगा, लेकिन अगर सरकार यहां पर यह अश्योर करेगी कि वह और डिस्ट्रिक्ट जजिज की अप्वायंटमैंट करेगी तो ठीक रहेगा। मुझे पता नहीं चौ. रिजक राम जी ने एक बात का जिक्र यिका या नहीं यिका लेकिन मैं वह बात जरूर यहां पर कह देना चाहता हूं। हाउस कमेटियां जिलों में बनी हुई थी। उस हाउस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज भी डिप्टी कमीश्नर के साथ एक मैम्बर अवश्य होता था। लेकिन 1974 या 1973 में कांग्रेस सरकार किसी कारण से डिस्ट्रिक्ट जजिज से नाराज हो गयी और तमाम डिस्ट्रिक्ट जजिज से वह अधिकार ले लिया गया। यानी उस अलाटमैंट कमेटी से से डिस्ट्रिक्ट जज को निकाल यिदा गया और अब डी.सी. को खुलमखुलाह अथौरिटी है वह चाहे तो किसी को मकान दे और किसी को न चाहे तो न दे। इसी तरीके से पिछली सरकार जो अपमान जुडिशियरी का करती रही है, उस अपमान को बहाल करने के यिले इस सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, मैं नहीं जानता कि यह चीज यहां रैलेवैन्ट है या इरनैलेवैन्ट है लेकिन मैं यह बात जानना चाहता हूं। मुझे दुःख है कि हमारी सरकार उन समस्याओं को कम्प्रीहैन्सीवली नहीं लेती है जिसका नतीजा यह होता है कि वे समस्याएं यों की यो बनी रहती है। तो मेरा कहना यह है कि इस तरीके से यहां हाउस में बिल लाकर पास करवाने

से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जजिज के पास कितना प्रैशर है, कितने केसिज पैंडिंग है डिस्ट्रिक्ट जजिज एक महीने में कितने केसिज निपटा सकते है? और इससे कितना प्रैशर पड़ेगा, उस प्रैशर को निपटाने के लिये और जो पहले से उनके पास हैं, इस सब को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जजिज को बढ़ाने की जरूरत है। अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठायेगी तो सदन उसकी हिमायत करेगा। अभी मैंने मोटर ऐक्सीडैंट्स क्लेम का जिक्र किया, हाउस कमेटी का जिक्र किया। पिछली सरकार ने जो सब–जजिज के पास अधिकार था शहरी जायदाद की इवीक्शन कराने का, वह भी उनके हाथ से छीन कर एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट को दे दिया था। आज सारे हरियाणा की यह मांग है कि वह अधिकार एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट से उसी तरीके से वापिस लेकर जुडीशियरी को दिया जाये। जब यह जनता सरकार इस तरीके के काम करेगी तभी लोगों की समस्यायें हल होंगी। आखिर में मैं यह समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहां पर यह अश्योर करेंगे कि ऐसी जो समस्यायें हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हल करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

स्वामी आदित्यवेश (हथीन): आदरणीय चैयरमैन महोदय, इस बिल के जरिये सरकार आम जनों को न्याय दिलाना चाहती है यह मूल भावना है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि 20 हजार रूपये की सीमा कर देने से गरीबों के लिये उच्च न्यायालय के दरवाजे बन्द हो जाते हैं। चाहे हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा दी

जाये लेकिन इस सीमा को बढ़ाने का विचार छोड़ देना चाहिये और इस सीमा को कम ही रहने देना चाहिये। अगर इस सीमा को अमल में लाया जायेगा तो जो गरीब या दुःखी लोग हें, उनके लिये उच्च न्यायालय बन्द हो जायेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना यह हे कि सरकार को लोगों को न्याय दिलाने के लिये 5000 रूपेय तक के मुकदमों की सीमा उसी तरह रहने देनी चाहिये जिस प्रकार से अभी तक है। धन्यवाद।

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़): चेयरमैन साहब, यह जो बिल है वैसे तो मैं इसका समर्थन करता हूं कि न्याय जल्दी मिलना चाहिए। अगर इन्साफ मिलने में दस या पन्द्रह साल लग जाएं तो इन्साफ मिलने में देरी होने से काफी नुक्सान होता है और देरी होने से सही इन्साफ नहीं मिल पाता। क्योंकि कोई मर जाता है या इस तरह के कई ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमैं सही इन्साफ नहीं मिल सकता। इस बिल को लाने के पीछे जो नियत है वह बिल्कुल सही हे कि इन्साफ जल्दी मिलना चाहिए और ठीक मिलना चाहिए लेकिन इसके साथ ही साथ चेयरमैन साहब जुडिशियरी और एग्जैक्टिव की सर्विसिज में जो भेदभाव है यह बड़ी भारी नाइन्साफी है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो न्याय देता है, जो वहां बैठकर इन्साफ देता है आज वह महसूस करता है कि मेरे साथ इन्साफ नहीं हो रहा है, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। उसकी तनखाह एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट से काफी कम हैं और दूसरी फैसिलीटीज मकान वगैरह की वह भी बिल्कुल नहीं है। चेयरमैन

साहब, मैं आपकी मारफत यह कहना चाहूंगा कि उन जुडिशियल मस्जिस्ट्रेट के साथ यह सरकार जो जनता की सरकार है और इंसाफ देने का वायदा करके आई है उनके लिए इस तरफ ध्यान देगी और उनकी तनखह और उनकी ऐमेनीटीज की तरफ ध्यान देगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वही सुविधाएं यह सरकार देगी जो एग्जक्टिव मजिस्ट्रेटस को देती है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि सैशन जजों की तादाद बढ़ाई जाए। जैसा कि जैन साहब ने बताया कि सैशन जजिज के पास काफी काम है इसलिए उनकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। अगर सैशन जज कम होंगे तो इन्साफ मिलने में काफी समय लग जाएगा। सिर्फ ऐसा ही न किया जाए कि सैशन जजों को ही बढ़ाया जाए बल्कि जो लोयर कोर्टस हैं उनके जजों की तादाद भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सुविधाएं और दी जानी चाहिएं और उनकी तादाद भी बढ़ाई जानी चाहिएं। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

चौ. लाल सिंह (नारायण गढ़): चेयरमैन साहब, मैं आपकी मारफत अपनी सरकार से दरखास्त करूंगा कि यह बिल बहुत अच्छा है और मैं इसका समर्थन कता हूं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे यहां नारायण गढ़ में कचहरी नहीं, जज का कोई दफतर नहीं है। हमारे यहां के लोगों को अम्बाला जाना पड़ता है और बीच में नदियां हैं। कई बार उनको पार करने में देर हो जाती है और लोग समय पर नहीं पहुंच पाते और देरी से

पहुंचने के कारण उन पर जुर्माना होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारे नारायणगढ़ में एक कोर्ट होनी चाहिए। यह सरकार बहुत अच्छी सरकार है और गरीबों की मदद करने वाली सरकार है। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे यहां नारायणगढ़ में एक मजिस्ट्रेट का दफतर होना चाहिए। दूसरी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि चूंकि यह सरकार गरीबों की मदद करने वाली है इसलिए जो आदमी कोर्ट में वकील खड़ा नहीं कर सकता उसके लिए सरकार को कोई फंड रखना चाहिए जिससे कि गरीब आदमी की मदद हो सके। मुकदमें के फैसले की एक दो या तीन साल कुछ न कुछ हद होनी चाहिए कि इतने समय में एक मुकदमें का जरूर ही फैसला हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कोई सीमा अवश्य होनी चाहिए। जितना भी समय सरकार उचित समझे वह निश्चित कर दे जिससे एक गरीब आदमी को मुकदमें का लाभ पहुंच सके मैं एक बार फिर सरकार से प्रार्थना करता हूं कि नारायणगढ़ में एक कोर्ट होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके एक मजिस्ट्रेट का दफतर खोले। इन शब्दों के साथ मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।

चौ. गजराज बहादुर नागर (मेवला महाराजपुर): चेयरमैन साहब, इस बिल पर काफी चर्चा हो चुकी है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसके बावजूद मैं एक सुझाव हाउस के सामने रखना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, मैं आपकी मारफत सरकार से दरखास्त

करूंगा कि जैसा कि चौ. रिजक राम तथा बाबू मूल चन्द जी ने हाउस के सानने अपने विचार रखे, मैं भी कहना चाहता हूं कि जब हम यह बिल पास कर रहे हैं तो इसके साथ ही साथ हमारी सरकार हाई कोर्ट का बजट बढ़ाने का फैसला करे। हाई कोर्ट का जब बजट बढ़ाएंगे तो हाई कोर्ट इस पोजीशन में होगा कि हमारे चीफ जस्टिस और दूसरे जजिज साहिबानन सबोरडिनेट जजिज अप्वाएंट कर सकेंगे और सबौरडिनेट स्टाफ अप्वाएंट कर सकेंगे। जब तक स्टाफ नहीं होगा तो इसके मायने हैं कि सिर्फ एक जगह से गन्दगी उठाकर दूसरी जगह रख दी। सफाई करने के लिए गन्दगी को खत्म करना है। केसिज का डिसिजन जल्दी हो इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लोयर कोर्टस् और हाई कोर्ट में जब तक जजों की तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी, पूरा स्टाफ केसिज की डिस्पोजल के लिए नहीं दिया जाएंगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह गन्दगी दूर नहीं हो सकती। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि इस गन्दगी को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट का बजट इतना कर दें कि वहां सबौरडिनेट जजिज अप्वाएंट हो सकें और यह बीमारी खत्म हो सके। अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

चौ. गंगा राम (गोहाना): चेयरमैन साहब, मैं एक बिल के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसी गल्तियां की जिसके कारण आज कई मजिस्ट्रेटस की अदालतें खाली पड़ी है जिसमें कोई भी केस नहीं

हैं और वहां के वकील बेचारे मक्खियां मारते रहे हैं। कई ऐसी अदालते है। जहां केसिज के ढेर पड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार ने राजनैतिक प्वाएंट आफ व्यू से जो जिले बनाएं हैं वे बहुत गल्त बनाए गए। मैं अपनी मिसाल देना चाहूंगा शायद चौ. रिजक राम मुझसे सहमत न हों। जिला सोनीपत को बनाया रोहतक से निकालकर और इसकी तहसील गोहाना में जुडि ियल मजिस्ट्रेंट बैठता हैं। यह जुडिशियल मजिस्ट्रैट सारा दिन खाली बैठा रहता है। मुकदमें वहां नहीं है क्योंकि जो ऐरिया उस अदालत के साथ लगता है वह न के बराबर है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिनी भी कोर्टस हैं उनके साथ जो इलाका लगाया जाए, थाने लगाए जाएं वह कम से कम यह देखकर लगाए जाएं कि केसिज का बराबर का बंटवारा हो जाएं। अब सोनीपत में तो अदालतों में कितनी ही केसिज पैडिंग पड़े हैं लेकिन गोहाना के अन्दर देखकर हैरानी होती है। पहले तो यह हालत थी कि मस्जिट्रेट चार दिन सोनीपत और दो दिन गोहाना बैठता था। गोहाना मे 25–30 वकील बैठते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन इलाकों का लगाना दुबारा देखा जाए। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर ऐसी जगहें है जहां मजिस्ट्रेट की अप्वाएंटमैंट भी है लेकिन कोई अदालत नहीं है क्योंकि वहां कोई कमरा नहीं है और वकीलों को बैठने के लिए बार रूम तक भी नहीं है। इसलिए वह बेचारा मजिस्ट्रेट न्याय नहीं दे सकता क्योंकि उसको बैठने की

जगह नहीं है, केस सुनने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना

17.00 बजे

करूंगा कि सारे हरियाणा का मुआयना किया जाए और जहां पर जुडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं है वहां पर कोर्अ बनायी जाए जहां पर बार रूमज नहीं है वहां पर बार रूमज बनाएं जाएं और जहां पर कोर्ट काम नहीं है उस इलाके के साथ और थाने लगाये जाएं। अगर कोई जिला फिट नहीं है कि वह दो तीन अदालतों का काम देख सके तो उस जिले को तोड़ दिया जाए। सबसे पहले तो मैं अपने जिले सोनीपत के बारे में रिकमैंड करता हूं कि वह जिला के अनफिट है, उसको तोड़ दिया जाए और उसको रोहतक में ही मिला दिया जाए और एक रोहतक जिला ही रखा जाए तभी केसिज का निपटारा हो सकता है। चेयरमैन साहब, इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अपील करूंगा कि यहां पर दिये सुझावों पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

(इस समय कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापतिः देखिये इस पर बहुत बहस हो चुकी है। जब मिनिस्टर साहब जवाब देने के लिए खड़े हो जाए तब सभी मैम्बर साहेबान को बैठ जाना चाहिये।

वित्तमंत्री (चौ. सतबीर सिंह मलिक): चेयरमैन साहब, यह जो संशोधन बिल आज हाउस के सामने है, उसकी धारा 39 को संशोधन करने के लिये सरकार यह बिल यहां पर लाई है। अब एक डिस्ट्रिक्ट जज को 5 हजार के मूल्य तक के केसिज सुनने ओर उनके फैसले देने का अधिकार था लेकिन अब सरकार इन संशोधन द्वारा इसे 20 हजार तक करना चाहती है। ऐसा करने की सरकार की मन्शा यह है कि हाई कोर्ट के अन्दर काम की तादाद काफी ज्यादा है ओर यह देखा गया है कि सिविल केसिज काफी अरसा से हाई कोर्ट में लटक रहे हैं और अब यह सारे फैसले डिस्ट्रिक्ट लैवल पर ही निपट सकेंगे एक तो सरकार की यह मन्शा है। दूसरा ऐसा करने का कारण यह है कि आजकल न्याय बहुत मंहगा है। अब देखने है कि एक आदमी नारनौल से हाई कोर्ट में आता है तो उसका यहां आने में कितना खर्चा होगा। उसे ठहरने की, खाने की, पीने की और बहुत सी दिक्कतें पेश आती है इन सब चीजों को मददेनजर रखते हुए सरकार ने ऐसा संशोधन करने का सुझाव यहां पर रखा है। अगर डिस्ट्रिक्ट जजों को 20 हजार रूपये तक की जुरिसडिक्शन पावर्ज दे दी जाएं तो लोगों को न्याय मिलने में काफी सुविधा मिल सकती है। जस्टिस श्री जे.सी. शाह ने भी इस प्रस्तावित संशोधन की रिकमैन्डेशन की है कि 20 हजार तक के केसिज की जो पावर्ज हैं वह हाई कोर्ट की बजाये डिस्ट्रिक्ट जजों को दे देनी चाहिये। इसके साथ मैं हाउस को यह भी बता देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने भी हमारे इस संशोधित प्रस्ताव की रिकमैन्डेशन की है। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब,

सरकार की यह भी मन्शा है कि 20 हजार तक की जुरिसडिक्शन में जो केसिज आते हैं उनको डिस्ट्रिक्टस में ट्रान्सफर करवा लिया जाए ताकि उन केसिज का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके चेयरमैन साहब, इसी मन्शा के साथ आज यह विधेयक इस हाउस में प्रस्तुत किया गया हैं। कई एक मेरे साथियों ने यहां बोलते हुये कई अच्छे अच्छे सुजैशन भी दिये हैं। एक मेरे साथी ने यहां पर एडीशनल जजों का भी जिक्र किया है। मेरे साथी ने शायद एक्ट की धारा 39(2) को पढ़ा नहीं है। उसके अन्दर पहले ही एडीशनल जजों को पावर्ज दी हुई है। अतः इसमें कोढ़ सैपेरेट एमैंडमैंट लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ कई माननीय सदस्यगण ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किये हैं कि जजों के पास काम इतना अधिक है और उनका स्तर भी अच्छा होना चाहिये, तनख्वाहें भी अच्छी होनी चाहिये, बहुत सुन्दर विचार थे, सरकार उनके सुझावों का आदर करेगी। सरकार अगर किसी वक्त किसी किस्म की कोई कठिनाई महसूस करेगी तो उसके ऊपर अवश्य विचार करेगी। तो मैं इन शब्दों के साथ प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Chairman (Ch. Khurshid Ahmed): Question is –

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Now the House will take up the Bill clause by cluase.

CLAUSE 2

Mr. Chairman: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Chairman: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Ch. Satvir Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Chairman: Motion moved –

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill be passed.

श्री मूल चन्द जैन: (सम्भालखा): चेयरमैन साहब, अभी फाइनल स्टेज पर मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद, बड़े संक्षेप में अपना जवाब इस हाउस में दिया है। मैं समझता हूं कि उनका जवाब बिल्कुल नाकाफी था। सरकार यह कहे कि सरकार के सामने कोई कटिनाई आयेगी तो फिर सरकार उस पर विचार करेगी। तो मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब से पहले सरकार के सामने कोई कटिनाई नहीं थी? क्या सरकार के मंत्री अब मंख्त्री बनने के बाद यह सोचने लगे है? क्या उनको जनता की कठिनाईयों का पता नहीं? यह सरकार यह कहे कि उसको जनता की कठिनाईयों का पता नहीं, इस बात को कैसे यह हाउस मान सकता है? जनता की कठिनाईयां इस गवर्नमैन्ट के सामने होनी चाहियें। अगर कठिनाईयां गवर्नमैंट के सामने नहीं थीं तो इसके बारे हाउस में गवर्नमैंन्ट का बताया गया कि यह कटिनाईयां हैं। मैंने यहां हाउस मे ंमोटर सक्सीडेन्ट क्लेम के बारे में खासतौर पर बताया है। हमारे मंत्री महोयद एक वकील भी रहे हैं और उनको निजी तौर पर इस बात का पता है कि मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम केसिज हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जजों को सुनने के अधिकार है लेकिन कुछ यतीम, और बेवाएं ऐसी हैं जिनके छः–छः

आठ आठ वर्शों से क्लेम पैडिंग पड़े हुये है और इस सरकार के कानों तक जूं नहीं रेगती ये चार महीनों से पावर में हैं। इनको चाहिये कि इस काम के लिये एडीशनल जजों की नियुक्ति करे ओर इतने दिनों से जो केसिज पैडिंग पड़े हुये हैं, उनको निपटाने का इंतजाम करे। लेकिन अगर मंत्री महोयद यह कह दें कि जब कोई कठिनाई हमारे सामने आएगी तो विचार करेंगे तो इस हाउस को इससे तसल्ली नहीं है और यह नाकाफी है। दूसरी बात गवर्नमैंट के सामने यह रखना चाहता हूं कि गवर्नमैंट के नोटिस में जब भी कोढ ऐसी बात आए तो उसको उसका स्पैसिफिक जवाब देना होगा। आज जनता और हम, जो उसके नुमायंदे यहां पर आए हैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को चाहिये जो कठिनाइयां उसके सामने हैं उन कठिनाईयों को एक एक करके बल्कि साइमलटेनसली उनका प्रबन्ध करे। अगर वह ऐसी करेगी तो हमारा हाउस उसका समर्थन करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक समस्या हल होगी और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा समस्याएं सामने आएंगी। ऐसे तो यह बिल पास हो जाएगा और सरकार कुछ नहीं करेगी और यह मामला लटकला रहेगा। मैं और ज्यदा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मेरे दिन को चोट पहुंची कि मंत्री महोदय ने बहुत ही सरल तरीके से कह दिया कि विचार करेंगे। इससे लोगों की भावनाओं को और सदस्यगण की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं चाहता हूं कि क्या सरकार अब भी हाउस के सामने एशोरेन्स देगी ताकि हमें तसल्ली हो सके और हम उन बेवाओं और यतीमों को कह सके कि तुम्हारे जो 8–8

साल से क्लेम पैंडिग थे आज उनको इस हरियाणा सरकार ने, जनता पार्टी सरकार ने ठीक कर दिया है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कोई स्पैसिफिक एश्योरेंस दें कि इस बात का प्रबन्ध तुरन्त होगा और इस सैशन के खत्म होने से पहले होगा। मैं यही एश्योरेंस चाहता हूं।

चौ. रिजक राम (राई): चेयरमैन साहब, वैसे तो इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है और अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जिनके लिये दुबारा इस सदन का समय लेने की आवश्यकता महसूस हुई। यह दलील पेश की गई है कि डिस्ट्रिक्ट जजिज को यह काम वापिस जाने के बाद जल्दी न्याय मिल जाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब, लीगल प्रोफैशन में कोर्टस के साथ और दूसरी अदालतों में काम करने का आपको भी तजुरबा है और हमारे वित्तमंत्री जी को भी रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि बीस हजार की मालियत के मुकदमों में जहां तक किसी भूमि का ताल्लुक है तो शायद ही कोई फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में आए और उनमें कितनी कम्पलीकेटिड कवैश्चंज हैं जिनका अन्दाला नहीं लग सकता। इसके अलावा लायर्ज क लिये डिस्ट्रिक्ट कोर्टस् में क्या फैसिलिटीज हैं कि वे वहां से पूरा इंसाफ हासिल कर सकें। क्या आपने जजिज को पूरी लाइब्रेरीज दी हुई हैं, क्या उनको पीरियडीकली जो जर्नल्ज आते हैं वह भेजे जाते हैं? आपको भी पता है और वित्त मंत्री जी को भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में

रैफ्रैंस बुक्स नहीं हैं जिनकी वजह से वकील अपने केसिज को पूरे तौर पर तैयार नहीं कर सकते। इन हालात में वे मुकदमें जो बीस हजार तक के हैं उनकी फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास हो और सैकिंड अपील हाई कोर्ट में हो जिसमें महज मैटिरियली इररैगुलैरिटी या इललिगैलटी के प्वांयट पर हाई कोर्ट देखे तो वहां इन्साफ नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल में हाई कोर्ट का काम कम करने के लिये यह जो तजवीज रखी है कि डिस्ट्रिक्ट जज को अधिकार दे दें यह इन्साफ का खून करना है क्योंकि वहां न वकीलों का सहूलियत है और न अदालतों को सहूलियत है। अदालतों के रहने के लिये मकान नहीं है, वे परेशान हैं और मारे मारे फिरते हैं। उनको हर वक्त बेचैनी है आप उनका वर्कलोड बढ़ा रहे है क्या आपने अब से पहले यह अन्दाजा लगाया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में पहले कितने केसिज पैडिंग है, क्या यह अन्दाला लगाया है कि इस बिल के पास होने के बाद कितने और नये केसिज अपील–जजों के पास जाएंगे और उनका समाधान आप किस तरह से करेंगे? आपने तो यह बिल ख्वाब में देखा, हाउस में ले आए और पास करवा लिया। यह बिल्कुल सपने वाली बात सामने पड़ती है, नहीं तो आपके पास पूरी फिग्गर्ज होनी चाहिये थीं। मैं बाबू मूल चन्द जैन जी से कुछ हद तक सहमत हूं लेकिन मंत्री महोदय के जवाब से मैं कोई नाराजगी जाहिर नहीं करता क्योंकि मुझे उम्मीद है कि लोगों की कठिनाईयों से वे आंखें बन्द करके नहीं चलेंगे। मेरा अन्दाजा यह है कि यह बिल मुख्यमंत्री जी की तरफ से पेश होना था जोकि हुआ नहीं। इन्होंने इस बारे मैं

नहीं सोचा है कि एक एक सहूलियत देनी है लेकिन जितना जवाब ये दे सकते थे इन्होंने दिया। फिर भी मैं चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि वे जल्द से जल्द कोई भी समय निश्चित करें और पूरी फिग्गर्ज अपने सामने इकट्ठी करें कि कितने केसिज इस वकत डिस्ट्रिक्ट जजों के पास पैडिंग हैं और कितने कितने समय से अपील्ज पैंडिंग हैं तथा दूसरे ओर कितने केसिज पैंडिंग है। अब जो नया काम आप उनको सौपैंगे उसकी डिसपोजल के लिये कितने आदमियों की और जरूरत है। इस बात का अगर आप अन्दाजा लगा लेते है तो इस बिल के साथ आप यह भी एलान करते कि हमें इतने जज और चाहियें जिसके लिये हमने पब्लिक सर्विस कमिशन को मांग भेज दी है या हाई कोर्ट को मांग भेज दी है। यह आपने नहीं रखा कि आपको कितना स्टाफ चाहिये इसके लिये आपने कोई मांग नहीं भेजी। बजट में कितना रूपया चाहिये इसके लिये भी कोई बात नहीं है। आपके आगे के लिये कोई भी कदम उठाने का फैसला नहीं किया है ओर न यह सोचा है कि इसका नीचे की अदालतों पर क्या असर पड़ेगा। चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बिल की सब क्लाज 2(1–ए) में लिखा है कि जितनी भी बीस हजार की मालियत तक की अपीलें इस समय हाई कोर्ट में पैडिंग हैं they shall stand transferred to District Judges. उसमें किसी हुक्म की जरूरत नहीं। अगर हाई कोर्ट का जज यह चाहे कि वह वहां नहीं जा सकेंगे तो यह उनके अख्तियार से बाहर है। क्या आपने यह

भी सोचा कि कुछ ऐसी भी अपील होंगी जो आज जिला जज बना हुआ है वह उस वक्त सबोर्डिनेट जज होगा या सीनियर सब जज होगा और आज वह डिस्ट्रिक्ट जज बना हुआ है। तो क्या वे केसिज आप उनके पास भेंजेंगे और आप दुबारा भेजोंगे तो किस अथारिटी के तहत वह हाई कोर्ट से पास आन किया जाएगा। हाई कोर्ट को तो आपने मैंडेट दे दिया कि जो भी केसिज बीस हजार तक की मालियत के पैडिंग है वे डिस्ट्रिक्ट जजों को ट्रांसफर हो जाएंगे और अगर उसी डिस्ट्रिक्ट जज का वह फैसला किया हुआ है बतोर सीनियर सब जज या सब जज के तौर पर .....(विघ्न)... ....

एक आवाज: यह तो ला में प्रोविजन है।

चौ. रिजक राम: ला की प्रोविजन को तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। इस बिल में यह कहना चाहिये था कि except those cases which have been tried or disposed of by that very District Judge यह हाई कोर्ट दूसरे को भेज दे। लेकिन अब जो हो रहा है इसका मतलब यह होगा कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगा और डिस्ट्रिक्ट जज दुबारा हाई कोर्ट को रैफर करेगा जिसकी वजह से इसमें देर लगेगी। जो प्रोविजन श्री बीर सिंह ने फरमाया उसका मुझे पता है कि वह डिसीजन ट्रांसफर करने का है कि हाई कोर्ट टांस्फर कर सकता है या सबोर्डिनेट जज टांस्फर कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि हाई कोर्ट में जो केसिज हैं उनको हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज की

अदालत में वापिस भेज देता है, तो वे केसिज दो बार हाई कोर्ट में भेजने पड़ेंगे। इसलिए पहले ही गवर्नमैंट की तरफ से यह हुक्त जारी कर दें कि ऐसे केसिज की पड़ताल कर लें कि कौन कौन से केसिज डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजेंगे।

जहां तक सरकार की नीति का, सरकार के उदेश्य का सवाल है कि नीचे की अदालतों में थोड़ा खर्च करके लोगों का इन्साफ मिल सकता है, इसका मतलब यह नही कि सही इन्साफ मिलेगा। इसलिए चेयरमैन साहब, मैं अपने वित्त मंत्री जी से जो खजाना के मालिक हैं, कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जजिज और सबोर्डिनेट जजिज की कोर्टस में सरकार लाइब्रेरी का इंतजाम करें। मुख्यमंत्री साहब सिरसा में गए थे और वित्त मंत्री साहब सोनीपत में गये थे। ये बार रूम में गए बगैर ही पांच–पांच हजार रूपये दे आए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट बार के लिए सरकार कम से कम 50 हजार या 40 हजार रूपया लाइब्रेरी के लिए दे। आप डिस्ट्रिक्ट जजिज के लिए रूपया खर्च करेंगे तो कोई बात नहीं है। एक आध कमेटी कम बना लीजिए, कमेटियां बनाने की कोई जल्दी नहीं है। कमेटियों पर खर्च करने की बजाये इन्साफ पर खर्च करें, एडमिनिस्ट्रेशन पर खच्र करें। ये एम.एल.ए कही भागेंगे नहीं, मजौरिटी काफी है। यह जरूरी नहीं है कि हर एक एम.एल.ए. को किसी न किसी कमेटी मैं बैठाना है। आपको पार्टी की सरकार है इसको मजबूत करना हमारा फर्ज है

चाहे वह किसी कमेटी का मैम्बर है या नहीं है। आप रूपया बैस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खच्र करें, हम सब आपके साथ हैं।

चौ. शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): आदरणीय चेयरमैन साहब, इस बिल के बारे में थोडी बात मैं पहले कह चुका हूं, अब कहने की आवश्यकता इसलिए दिखाई दी कि वित्तमंत्री महोदय ने जो उत्तर में बात कही, वह सन्तोशजनक नहीं थी। इनके उत्तर से हम आशा करते थे कि वे खुलकर बात कहेंगे। इस बिल में एक चीज अवश्य होनी चाहिए जो कि नहीं है। इस तरह के जो केसिज नीचे जाऐंगे तो नीचे केसिज की तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके साथ ही साथ जजिज भी बढ़ाने पड़ेंगे। यह कठिनाई आगे ही नही आएगी बल्कि आज भी है और यह ज्यादा बढ़ेगी। जहां जजिज बढ़ाने पडेंगे वहां इसके साथ ही साथ स्टाफ बढ़ेगा, इस पर कितना खर्चा होगा, इसकी सारी स्टेटमैंट बिल के साथ होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात का हिसाब–किताब नहीं लगाया गया, सरकार ने इस और ध्यान ही नही दिया, केवल यह समझ लिया गया कि केसिज बदले जांएगे और अपने आप न्याय होता चला जाएगा। मैं समझता हूं कि सरकार का जो उदेश्य है, मन्शा है वह जनता की भलाई करना है लेकिन इससे इस उदेश्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम इस पर पूरी तरह से विचार नहीं करेंगे। इतने केसिज जो बहुत बड़ी तादाद में नीचे चले जाएंगे उसका परिणाम यह होगा कि बहुत सारे केसिज का कई कई साल तक नम्बर नहीं आएगा। जो सस्ता और शीघ्रता से

जनता को न्याय देने की बात है वह धरी की धरी रह जाएंगी। जो हाई कोर्ट के केसिज हैं उनमें कितने नीचे जाएंगे, इनको निपटाने के लिए कितने जज चाहिएं, इन जजिज के साथ कितना कितना स्टाफ लगेगा और इन केसिज को कितने जजिज डील करेंगे, ये सब बातें इस बिल में आनी चाहिए थी। लेकिन वित्त मंत्री महोदय ने ऐसी बात कह दी कि जब सरकार के सामने कोई कठिनाई आएंगी तब सरकार इस पर विचार कर लेगी। यह कठिनाई तो आज भी है। जो हमारे वकील हैं उनको मदद हो सकती है क्योंकि वकीलों के पास केसिज बढते जाएंगे और वे सालों तक पड़े रहेंगे, जनता को इसका लाभ नहीं होगा। वकीलों की सुविधा को एक तरफ छो़कर हमें जनता की सुविधा देखनी चाहिए। जनता के लाभ के लिए जो बिल में संशोधन करने जा रहे हैं उस पर पूरी तरह से विचार करें और प्रबन्ध करें कि कोई भी केस एक साल से ज्यादा न चले। जो केसिज कई सालों से पड़े हैं, नीचे की अदालतों में पउ़े हैं उनका निपटारा कम से कम एक साल में हो जाना चाहिए क्योंकि एक सीधी सी बात है कि जब न्याय मिलने में देरी हो तो इसका मतलब न्याय से इन्कार हे, न्याय खत्म हो जाता है देर करने से। इसलिए मैं आपके द्वारा वित्तमंत्री महोयद से निवेदन करूंगा कि इस बिल से कौन कौन सी बातें सरकार के सामने आएंगी, कितना खर्चा होगा, जनता को किसी बात से लाभ पहुंचेगा, इस सारी बातों को अच्छी तरह से विचार करके इस बिल को अमैंड किया जाए और बिल में जोड़ कर फिर इसको पास करते तो जनता को बहुत शीघ्रता से लाभ पहुंच

सकता। इस तरह हम अपने उदेश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मैं वित्तमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बिल की ऊंच–नीच की सब बातों को ध्यान में रखें। इसमें अगर सारी बातें जोड़ेंगे तो जो लोगों के मन में भिन्न भिन्न शंकाएं उठ रही हैं उनका समाधान हो जाएगा।

श्री दीप चन्द भाटिया (फरीदाबाद): चेयरमैन साहब, मैं दो लफ्ज बोलना चाहता हूं। मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे कि उन्होंने एक सैकिंड में अपना जवाब दे दिया और इसी तरह से ये सारे सत्र का जवाब भी एक सैकेंड में दे देंगे। जैसे इन्होंने दो चार लफ्ज बोल कर जवाब दे दिया, क्या काम करने मे भी वे इतनी जल्दी करेंगे जितनी जल्दी जवाब देने मैं की है? जो नेक काम है, सार्वजनिक हित के काम हैं, उनको जल्दी जवाब देने में की है? जो नेक काम है, सार्वजनिक हित के काम हैं, उनको जल्दी करना चाहिए न कि जवाब जल्दी देना चाहिए। मैंने इनको सार्वजनिक हित का काम कहा था कि सेल्ज टैक्स का दफतर बनाया है। इस काम को बताए हुए काफी देर हो गई है। इसको करने में दो मिनट देने चाहिएं लेकिन दो महीने हो गए हैं फिर भी यह काम नहीं हुआ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर जल्दद जवाब देते हैं तो काम करने में भी जल्दी करें ..... (व्यवधान) जब बात करने में जल्दी करते हैं तो कम करने में भी जल्दी करें। (व्यवधान)

श्री सभापतिः बात आपकी ठीक हैं लेकिन आज के सब्जैक्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

चौ. संत कंवर (हसनगढ़): चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि यह कोई दलील नहीं है कि ये केसिज डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में जाएंगे और केसिज जाने से पहले वहां नई अदालतें खड़ी कर दी जाएं सरकार का मन्शा तो यह है कि जनता की भलाई के लिए उन गरीब लोगों के लिए जो दो–दो सौ चार चार सौा मील से चण्डीगढ में आते हैं, उनके कश्ट को दूर करना है। चौ. रिजक राम जी और श्री मूल चन्द जैन ने इसके बारे में विचार नहीं किया है। जो 5 हजार से ऊपर से लेकर 20 हजार तक के केसिज है वे चण्डीगढ़ में आते हैं और यहां आठ–आठ दस–दस साल तक केसिज चलते रहते हैं और आठ–दस हजार रूपया इन पर खर्च हो जाता है। यह बात ठीक है कि अब अदालतों की कमी है। अब तो ज्यादा केस जाने के कारण डिस्ट्रिक्ट के अन्दर यह कमी और भी महसूस होगी लेकिन यह खुशी की बात है कि लोग फिजूल खर्च से बच जाएंगे। कुछेक मैम्बर साहेबान ने वकीलों की फीस की बात कही लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के अन्दर तो वकीलों की फीस और भी ज्यादा लगती है। तो चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा न कहते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग मैम्बर साहब हैं उन्होंने जो दलीलें दी हैं जैसे कि कोर्टस ज्याद बढ़ने चाहिए, डिस्ट्रिक्टस के अन्दर जजों को अधिक सहुलियतें दी जानी चाहिए, यह ठीक है लेकिन यह कह देना कि

पहले से इन्तजाम करो बाद में केसिज जाएं गलत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं लेकिन मैं इस प्रस्ताव के साथ सहमत हूं।

श्री लहरी सिंह महरा (रादौर–अनुसूचित जाति): चेयरमैन महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह बहुत छोटा था और उममें सिर्फ यह बात कह दी गई कि इस बात को देखेंगे। चेयरमैन महोदय, हाई कोर्ट में जो आदमी आते हैं अगर उनके केसिज डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में ले जाते हैं तो उनको बड़ा फायदा होता है लेकिन इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर ज्यादा काम हो जाता है। अब भी मेरे हल्के से मुस्तफाबाद और जगाधरी से होकर लोगों को कुरूक्षेत्र में आना पड़ता है जिसमें सारा दिन आने जाने में लग जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जहा हाई कोर्ट का काम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर आएगा, सैशन जज पर आएगा, सब–जज पर आएगा वहां अधिक कोर्टस खोली जाएं, तहसील और सब–तहसील लैवल पर कोर्टस खाली जाएं ताकि वहां की पब्लिक का डिस्ट्रिक्अ हैडक्वाटर पर जाने का खर्चा कम हो जाए। रादौर को तहसील या सब तहसील बनाया जाए। कुरूक्षेत्र पहुंचने के लिए जो चार–चार पांच–पांच ओर छः–छः घंटे जाया करने पड़ते हैं वे बच जाएंगे और सारा दिन वहां बैठने के बाद भी आवाज न पड़ने से खाली आना पड़ता है इससे जो निराशा होती है उससे वे बच जाएंगे।

Mr. Chairman: Question is –

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि प्रोविशियल स्माल काज कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977

Finance Minister (Ch. Satvir Singh Malik): Sir, I beg to introdue the Provincial Small Cause Courts (Haryana Amendment) Bill, 1977

Sir, I also beg to move –

That the Provincial Small Cause Courts (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman: Motion moved –

That the Provincial Small Cause Courts (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मूल चन्द जैन (संभालखा): चेयरमैन साहब, मैं फिर वे चीजें दोहराना नहीं चाहता लेकिन जिस ढंग से इस हाउस में जो पुराने रीति–रिवाज पड़ गए हैं उन्हें बदलने के बजाए दोहराया जा रहा है, मुझे इस बात का दु:ख है। अभी यह दूसरा बिल आपके सामने पेश हुआ। मंत्री महोदय ने उसकी कंसिड्रेशन के लिए भी मोशन मूव कर दिया लेकिन यह नहीं बताया कि यह बिल क्या है, पहला मौजूदा कानून क्या था, इस बिल की तरमीम से

क्या फर्क पड़ जाएगा। इन्होंने तो बिल पेश कर दिया और बिल आज पास हो जाएगा। आखिर यह तरीका क्या है यह मैं नहीं समझ सका। कोई तो खड़ा होकर कहे, मुख्यमंत्री कहे या कोई ओर कहे कि पहले बिल में क्या कमी हैं और मौजूदा तरमीमी बिल से उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा। (विघ्न) तो चेयरमैंन साहब, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहात हूं और जारे देकर कहना चाहता हूं कि मंत्रीगण, जो हाउस के सामने बिल पेश करते हैं, हाउस के साथ इस तरह की खिलवाड़ करना छोड दें। इस तरीके से मुझे बड़ा दु:ख होता है। अभी मैंने यह प्वायंट खासतौर पर इसलिए उठाया कि यह जो पिछला बिल कोर्टस एक्ट अमैंडमैंट का था उसमें जो सवाल और जो संदेह मुख्तलिक मैम्बरान ने उठाए उनके बारे में मुख्यमंत्री जी को यह मंत्री जी को विस्तार से जवाब देना चाहिए था, हाउस को अश्योर करना चाहिए था कि किस तरह से जो लिमिट बढ़ाई गई है उससे लोगों का फायदा होगा और इससे डिस्ट्रिक्ट जजिज पर जो बोझ पड़ेगा उसका किस तरह से निपटारा होगा।

चेयरमैन साहब, कुछेक सदस्यों ने एक बात कही कि चण्डीगढ़ ने आने की वजह से न्याय सस्ता हो जाएगा। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है यह तो फर्स्ट अपील है। सैकिंड अपील तो हाई कोर्ट में ही पड़ेगी। चण्डीगढ़ में तो फिर भी आएंगे। इस वक्त फर्स्ट अपनी तुरन्त हाई कोर्ट में आ जाती है लेकिन इस 20 हजार के प्रोविजन से पहली अपील

डिस्ट्रिक्ट जजिज के पास रहेगी। पहली का निर्णय हो जाएगा और दूसरी अपील के लिए फिर चण्डीगढ़ में आएगे जैसा कि आमतौर पर दूसरे मुकदमों में होता है। अभी तो यह था कि पहली अपील ही हाई कोर्ट में तय हो जाती है, दूसरी अपील की जरूरत ही वहां नहीं पड़ती। लेकिन अब जरूरत पड़ेगी। इसलिए यह दलील देना कि इन्साफ सस्ता हो जाएगा लोगों पर ज्यादा खर्च नहीं पड़ेगा, उनका चण्डीगढ़ आना जाना बन्द हो जाएगा, ठीक नहीं है और इसमें कोई वजन नहीं है। हमें आशा थी कि मंत्री महोदय हमारे संदेहों का जवाब देंगे और इस हाउस को अश्योर करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर इस बात को जोर से कहना चहता हूं कि अगर मंत्री महोदय इस तरह से बिलों को लाएंगे तो आज तो मैंने टैक्निकल एतराज नहीं उठाया फिर उठाना पड़ेगा। रूल्ज के मुताबिक तो बिल के इन्ट्रोडयूस होने के पांच दिन बाद कंसिड्रेशन हो सकती है। उसके लिए अगर हमें तरमीम देनी हो तो कायदे के अन्दर लिखा है कि दो दिन पहले तरमीम दी जाए तक जाकर उस तरमीम को आफिस स्वीकर करेगा। इस तरीके से तो न हम तरमीम दे सकते हैं और न बोल सकते हैं। (विघ्न) यह उन रूल्ज में लिखा है जिनसे हम गवर्न होते हैं। एक बिल इन्ट्रोडयूस तो हो सकात है लेकिन कंसिड्रेशन पांच दिन के बाद हो सकती है। किस तरह से यह बिल हाउस में आ गया हमने यह एतराज नहीं उठाया वरना प्वायंट आफ आर्डर उठाकर हम यह कह सकते थे और इसकी कंसिड्रेशन रोक सकते थे कि यह बिल जो हैं पांच दिन के बाद हाउस के सामने आना चाहिए। अलबता,

स्पीकर को पावर है। स्पीकर साहब किसी भी रूल को वेव कर सकते हैं। वे हाउस की सैंस लें या खुद करें यह दूसरी बात है। इस केस में स्पीकर साहब ने इजाजत दे दी है यह भी मैं नहीं जानता। इस तरीके से अगर यह सरकार काम चलाना चाहे, मंत्री महोदय काम चलाना चाहें, तो कब तक यह बात चलेगी, यह मैं नहीं जानता। मैं तो बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार के जिन पुराने तरीकों की मैं और आप नुक्ताचीनी करते नहीं थकते थे, उन तरीको को न अपनाएं। अगर हम उन तरीकों को अपनाएंगे तो हमारा भी वही हाल होगा जो कांग्रेस सरकार का हुआ है।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू (पाई): चेयरमैन साहब, मैं श्री मूल चन्द जैन के विचारों की ताइद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा है। (विघ्न)..... यह तो ठीक नहीं है कि अंगूठा लगवा लिया या दस्तखत करवा लिए, बल्कि हमें पढ़ने के लिए कम से कम पांच दिन का टाईम मिलना चाहिए। हमें तो खुशी है कि यह भी हमारी ही पार्टी है, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि बिल के ऊपर कुछ बहस हो, डिस्कशन हो ....(विघ्न).....

Mr. Chairman: I will request the hounourable Member to take his own seat first if he wants to speak.

Ch. Jagjit Singh Pohloo: It makes no difference. We belong to the same party.

Mr. Chairman: Please speak from your own seat if you want to.

Ch. Jagjit Singh Pohloo: Alright, sir.

(At this stage the honourable Member came to his own seat)

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि एकाध बिल के अन्दर तो जल्दी कर लें लेकिन हरेक बिल के लिए जल्दी करना और जनरल पालिसी बनाना ठीक नहीं है। कम से कम पांच दिन का टाईम मिलना चाहिए। न मिनिस्टर साहब ने इसको पढ़ा है और न ही हमने इसको पढ़ा है। मैजोरिटी पार्टी ही चुपचाप बैठी है। अगर इस पर पूरी तौर से डिस्कशन करना चाहते हैं तो पढ़ने के एिल भी टाईम मिलना चाहिए। ..... (विघन).....

Mr. Chairman: Question is –

That the Provincial Small Cause Courts (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Chairman: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sh. Mool Chand Jain: I want to speak on this clause.

Mr. Chairman: But you did not get up at the proper time.

Sh. Mool Chand Jain: I got up लेकिन आपकी नजर नीचे को थी।

श्री सभापति: मैंने तो सारे हाउस में नजर रखी है। But you did not get up at that time. Now the clause has been put and carried.

Clause 1

Mr. Chairman: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Chairman: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman: Question is –

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Ch. Satvir Singh Malik): Sir, I beg to move–

That the Provincial Small Cause Courts (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Chairman: Motion moved –

That the Provincial Small Cause Courts (Haryana Amendment) Bill be passed.

श्री मूल चन्द जैन (संभालखा): चेयरमैन साहब, यह जो बिल हाउस के सामने आया है, यह वाकई ऐसा बिल है जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस बिल से देहात के लोगों या चण्डीगढ़ से दूर–दराज रहने वाले लोगों का काम कुछ हल्का हो जायेगा। उन लोगों को चण्डीगढ़ आने जाने से छुट्टी मिल जायेगी। पहले निगरानी की जो स्माल काज अदालतें थी उनके फैसले के खिलाफ कोई अपील तो हो नहीं सकती थी, निगरानी होती थी और उस निगरानीको सुनने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं था बल्कि हाईकोर्ट को था। इस बिल के आने से पहले यह कानून था लेकिन अब जो हाउस पास करने जा रहा है वह यह है कि स्माल काजिज कोर्ट के फैसले क खिलाफ सुनने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को भी होगा। उसको सुनकर अगर उसमें कोर्ठ कमी है जैसा कि कानून में इजाजत है उसका वहीं पर इधर या उधर फैसला हो

जायेगा। तो मैं यह भी चाहता हूं कि निगरानी का पावर्ज जहां भी जैसे भी हाईकोर्ट में आना हो या फाइनेन्शल कमिश्नर तक आना हो, अगर वह अख्तियार, अधिकार नीचे की अदालतो तक ही रहे तो ठीक रहेगा। जैसे माल के मुकदमें हैं, ये फाइनेन्शल कमिशनर तक आते हैं और स्माल काज कोर्ट के मामले हाई कोर्ट तक आते हैं, इसकी पावर्ज भी नीचे की कोर्ट को दी जानी चाहिए। इस तहस से हाईकोर्ट में मुकदमों का दबाव कम हो जायेगा और उधर लोगों को चण्डीगढ़ आने जाने से छुट्टी मिल जायेगी वरना तो एतराज जरूर रहेगा। मिनिस्टर महोदय ने भी जवाब नहीं दिया। मैं उनसे अपील करता हूं, इसमें जो बात कही गई है उससे डिस्ट्रिक्ट जज पर भी केसिज का बोझ बढ़ेगा। तो उनकी दलीलों को जिनका मैं दोहराना नहीं चाहता, वे सभी हमारी गवर्नमैंट के सामने हैं। हमारी गवर्नमैंट ही फैसला करेगी कि डिस्ट्रिक्ट जज और अडिशनल जजिज की तादाद बढ़ायी जाये ताकि आसानी से काम हो सके। इन शब्दों के साथ पूरे तरीके से इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बलदेव तायल (हांसी): चेयरमैन साहब, इस बिल के द्वारा हाई कोर्ट की रिविजनल पावर्ज को नीचे डिस्ट्रिक्अ सैशन जज को रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। वैसे तो मैं इस बिल की ताइद करता हूं क्योंकि इस बिल से इतनी तो अवश्य सहूलियत हो जायेगी कि नीचे की अदालतो में ही फैसला हो जायेगा। परन्तु इस बात की ओर आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं

कि रिविजनल पावर्ज जो हैं या रिविजन जो भी होती हैं वे कानूनी नुक्तेनिगाह पर होती हैं। उनके अन्दर फैक्टस के ऊपर जाने का अख्तियार ऊपर वाली कचहरी को नहीं होता है। कानूनी नुक्तों की पेचीदगियां, कानूनी समझदारों के सामने आती हैं। हो सकता है उनके अन्दर सही इंसाफ अदालत न कर सकी हो। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि उस अदालत को कानून से वाकफियत नहीं है या वे कानून नहीं जानते। लेकिन मैं एक बार फिर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस पर दुबारा जरूर विचार करे कि क्या रिविजनल पावर्ज नीचे की अदालतों को दी जायें? जहां पर कानूनी मसला उठेगा उसका फैसला उनको ही करना होगा।

Mr. Chairman: Question is –

That the Provincial Small Cause Courts (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब एन्अरटेनमैंट्स डयूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977

Finance Minister (Ch. Satvir Singh Malik): Sir, I beg to introduce the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill, 1977.

Sir, I also bet to move -

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

यह जो बिल हाउस के सामने लाया गया है, यह जैसा कि सदन के सारे सदस्यगण जानते हैं कि हरियाणा में जिस वक्त जनता सरकार बनी, उस वकत हरियाणा की वित्तीय स्थिति क्या थी? हरियाणा का बजट डैफिसिट था, ओवर ड्राफटिंग थी और फिर एकदम बाढ़ का हरियाणा के ऊपर प्रकोप हुआ, हरियाणा का एक तिहाई भाग पानी की जद के अन्दर आ गया, इन चीजों को देखते हुए कि सरकार के डिवैल्पमैंट के कामों में कोई रूकावट न आए, यह बिल लाया गया है, इसके अन्दर एन्टरटेनमैंट डियूटी 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

Mr. Chairman: Motion moved –

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा): चेयरमैन साहब, यह जो बिल हाउस के सामने पेश हुआ है, यह हमारी जनता सरकार की टैक्सेशन पालिसी का एक नमूना है। टैक्सेशन पालिसी सरकार की क्या है? यह उसका संक्षेप है, एक इशारा है और दूसरे बिल जिनके द्वारा हरियाणा की जनता के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, वह और उने मसौदे भी हमने देख लिये हैं। पहले मैं इसी बिल के बारे में कहूंगा। इस बिल का सिनेमाओं से ताल्लुक है। अब तक ऐसा था कि सिनेमा दिखाने का जो किराया या जरूरत है–सिनेमा देखने वालों से, उतना ही टैक्स लोगों के ऊपर लगता था। अगर किसी सिनेमा जाने वाले ने चार आने की टिक्ट

खरीदनी है तो चार आने ही उसके ऊपर टैक्स था एन्टरटेनमैंट डियूटी के तौर पर। अगर सिनेमा देखने वाले को आठ आने की टिकट लेनी पड़ती थी तो उतना ही टैक्स अब से पहले सरकार की तरफ से लागू था। यह जो मौजूदा कानून है, उस कानून के तहत यह टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहले जो सिनेमा देखने वाला एक रूपया का टिकट लेकर एक रूपया टैक्स देता था अब इस बिल के पास हो जाने के बाद उस पर सवा रूपया टैक्स लगेगा। यानी एक रूपया अगर सिनेमा के मालिक की उजरत है तो सवा रूपया सरकार का टैक्स है। यह कितना मुनासिब ळे, यह एक अलग प्रश्न हैं जैसे कि हमारे वित्तमंत्री जी ने कहा कि हमारे खजाने की हालत पिछली सरकार बहुत खराब छोड़ गयी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं लेकिन मैं चेयरमैन साहब आपकी मारफत सरकार से यह कहना चाहूंगा कि हमारी यह सरकार कुछ किफायत की बातें भी करके दिखाये।

हम यह मानते हैं कि पिछली सरकार जो है, वह हरियाणा के खजानु को खाली कर गयी और खाली खजाने की दुहाई हम कुदरती तौर पर देंगे ही, हमें अधिकार है कि हम दें लेकिन उस खजाने को भरने के लिये हम किफायत का भी इस्तेमाल करें। जहां हम यह काम करें वहां हम जनता को यह यकीन दिलायें कि हम फिजूलखर्ची बिल्कुल बन्द कर देंगे। आज मुझे तो चेयरमैन साहब, ऐसा नजर आता है कि हम उस सरकार की नुक्ताचीनी तो करते है, लेकिन हम उनके नक्शे–कदम पर बड़ी

तेजी से चल रहे हैं। पिछली सरकार के कुछ सदस्यगण जो यहां बैठे हैं, उनको याद होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों को अपने साथ रखने के लिये एक कानून पास किया कि एक एम.एल.ए. को यदि कोई ओहदा दिया जाता है तो भी वह डिसक्वालीफाई न हो। हमारे संविधान में यह लिखा है कि अगर कोई एम.एल.ए. कोई आफिस आफ प्रौफिट ले लेता है तो वह न तो मैम्बर रह सकता है और न वह आगे के लिये मैम्बरशिप के लिये खड़ा हो सकता है। अगर बन जाए तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जायेगा। संविधान ने सूबाई सरकारों को यह अधिकार भी दिया था कि प्रांतीय सरकार अगर चाहे तो कुछ आफिस आफ प्रौफ्टिस को उस शर्त से, उस संविधान में जो प्रोवीजन है, उससे निकाल दे। तो पिछली कांग्रेस सरकार ने क्या किया? ये कांग्रेसी भाई बैठे हैं, इन्होंने क्या किया कि कितने सारे अलग–अलग निगम बना दिये, बोर्ड बना दिये और उन बोर्डो के, उन निगमों के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन तनख्वाहदार बना दिये और यह कानून पास कर दिया कि इस ओहदे पर लगने वाला असैम्बली का मैम्बर डिस–क्वालीफाई नहीं होगा। जहां तक मुझे याद है उस जमाने में जब राश्ट्रपति जी को पिछली सरकार के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक मैमोरैन्डम दिया गया तो उस मैमोरैन्डम में एक यह भी आरोप था कि कांग्रेस सरकार ने अपने मैम्बरों को फायदा पहुंचाने के लिये इस तरीके से किया कि सिकी को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया तो किसी को कार्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया। हम तो उसकी नुक्ताचीनी करते थे। हमें आशा थी कि

हमारी नई सरकार उस प्रावधान का फायदा नहीं उठाएगी बल्कि उसकी तरमीम करके उन ओहदों को आफिस आफ प्रौफिट डिक्लेयर करेगी। लेकिन हुआ क्या? हमारी पालिसी क्या होनी चाहिए थी और क्या है? हमारे एक आई.ए.एस. आफिसर हैं श्री बैलूर साहब, वे दो कार्पोरेशन्ज के प्रधान थे। वे बतौर सैक्रेट्री भी अपना काम करते थे। इन दोनों कार्पोरेशन्ज के प्रधान भी थे जो शायद एक तो लैन्ड रिक्लेमेशन कार्पोरेशन है और दूसरी एग्रो–इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन है।

Mr. Chairman: The hon. Member should be relevant to the subject. So far the hon. Member has not been relevant. I have tried to connect his argument with the subject of the Bill under discussion but I find that it is not connected with it.

श्री मूल चन्द जैन: तो मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो हम जनता के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जिन कानूनों की हम निन्दा करते थे, जिन कानून की बाबत हमें गुस्सा उठता था कि पुरानी कांग्रेस सरकार क्यों करती है, उस कानून का फायदा उठाकर हम खर्च बढ़ा रहे हैं। अभी–अभी जैा मैंने कहा था .....

श्री सभापति: अगर आप इस तरह से आर्गुमैंटस एक्सटैंड करेंगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। This is a very innocent sort of amentdment.

18.00 बजे

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, आप इसको ऐप्रीशियट करें कि दस हजार रूपया ...

श्री सभापति: यह रेलेवेन्ट नहीं है। That may be a different thing. It is not relevant. That is not connected with the entertainment duty at all.

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, श्री वैलूर की जगह जो चेयरमैन बनाया है .....

Mr. Chairman: You can suggest that. But you cannot mentioned that specific matter here.

चौ. रिजक राम: चेयरमैन साहब, जहां पर टैक्स की प्रोपोजल है उसमें क्या कोर्ठ मैम्बर कफायत की तजवीज रख सकता है? अगर सरकार फिजूलखर्ची का कोई कदम उठा रही है तो क्या उसकी तरफ सरकार की तवज्जह दिलाना जायज है? मैं समझता हूं कि टैक्स की प्रोपोजल के बारे में अगर सरकार कोई कदम उठा रही है और दूसरी तरफ खर्चा बढ़ता जा रहा है तो कफायतशआरी के लिए कोई सदस्य अपनी राय दे सकता है .....

Mr. Chairman: It is not relevant. If you confine to the subjet under discussion then you can speak.

श्री मूल चन्द जैन: यह जो बिल है यह हाउस के सामने क्यों आया?.....

श्री सभापति: यह बिल ऐन्टरटेनमेंट टैक्स पर आया है and not for any corporation for which Chairman has been appointed.

श्री मूल चन्द जैन: यह जो ऐन्टरटेनमेंट अमैंडमैंट बिल हाउस के सामने आया है यह इसलिए आया है कि सरकार को रूपए की जरूरत है.....

Mr. Chairman: It is there. But if it was an Appropriation Bill you could discuss any thing under the Finance Department or any other Department. Now you have to confine yourself to the Bill under discussion. I can read out the language of the Rule, which is relevant to it. It read –

> "…. the principle of the Bill and its general provisions may be discussed but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles."

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, हम इसी बिल पर इसके प्रिंसिपल्ज पर डिस्कशन कर रहे हैं और यह बिल इस मंशा से लाया जा रहा है कि सरकार के खजाने में कुछ रूपया आए। इस बिल को लाए बगैर .....

श्री सभापति: मैंने पूरी तरह ऐप्रीशिएट कर लिया है। But I do not find any relevancy of the argument that you are advancing now.

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, सरकार किफायत करे, सरकार कफायत की बात लाए तभी इस किस्म के बिल का समर्थन हाउस दे सकता है और यही मेरा प्वायंट है। जहां एक अफसर का काम चला रहा था वहां दस हजार रूपए महीने का खर्चा बान्ध लिया। अगर सरकार इस तरह का खर्चा बचाए तो फिर सरकार को इस किस्म के बिल लाने की कोई आवश्यकता नही रहेगी।

स्वामी अग्निवेश (पुंडरी): माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक सदन क सामने वित्तमंत्री जी ने पेश किया है उसके बारे में मैं एक–दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार विधेयक लाने से पहले हमारी सरकार इसको अध्यादेश के रूप में घोशित करवा लेती है और उसके बाद हमारे सामने इसको पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यह कोई अच्छी बात नहीं। हम पिछली सरकार की आलोचना करते रहे कि वह विधान सभा की उपेक्षा करती रही, विधायकों के मत की उपेक्षा करते हुए गैर–जरूरी बातों पर अध्यादेश जारी करवाकर इस प्रकार अध्यादेश राज या आर्डीनेन्स रूल हमारे प्रान्त में चलाती रही। हमें यह आशा थी कि हमारी सरकार अध्यादेश को कम से कम बढ़ावा देगी। बहुत जरूरी चीज हो और जब विधान सभा का अधिवेशन न बुलाया जा सके, तो सब लोगों को विश्वास में लेकर दस–पांच साल में अगर ऐसा हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम प्रजातन्त्र की बात कहते हैं। प्रजातन्त्र की जननी ब्रिटेन के

अन्दर, चेयरमैन साहब आपको मेरी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से पता होगा कि बहुत कम अध्यादेश, बहुत थोड़े अवसर होंगे जब विधायकों की उपेक्षा करके सरकार ने अध्यादेश जारी किए हो। सभापति महोदय, यह जो विधेयक ऐन्टरटेनमेन्ट टैक्स लागू करने के सम्बन्ध में लाया गया है यह कोई जरूरी प्रश्न नहीं था कि इसको अधिवेशन तक न रोका जा सकता। वह इस समय बाकायदा विधेयक लाकर पारित किया जाता तो मैं और मेरे साथी भी इसका स्वागत करते और यह पास हो सकता था। सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन समर्थन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आगे के लिए सरकार का आश्वासन दे कि इस प्रकार के प्रश्न पर अनावश्यक जल्दबाजी न करके विधायकों को पूरी चर्चा करने का उचित मौका दिया जाएगा और विधेयक के रूप में प्रस्तुत और पारि किया जाएगा। यही मेरा नम्र निवेदन है।

श्री शमशेर सिंह (नरवाना): चेयरमैन साहब, हाउस के सामने जो बिल ऐन्टरटेनमेंट डयूटी में बढ़ौतरी करने के लिए लाया गया है इसके बारे में श्री मूल चन्द जैन ने बहुत उचित बातें कहीं है क यह इस बात का संकेत है कि सरकार कौन से लोगों पर, कौन से सैक्शन पर टैक्स का बोझा लादना चाहती है। ऐन्टरटेनमेंट टैक्स में वृद्धि करके सरकार बहुत गरीब तबके के लोग जिनमें, रिक्शे वाले, मजदूर, मिडिल क्लास, लोयर मिडिल क्लास, विद्यार्थी वगैरह है तो सस्ता ऐन्टरटेनमेंट हासिल करने के लिए सिनेमा जाते हैं उनके ऊपर यह टैक्स का बोझा डाला

जाएगा। सरकार इन लोगों को ऐन्टरटेनमेंट से वंचित रखना चाहती हैं। चेयरमैन साहब, हमारे जो ऐन्टरटेनमेंट के पुराने किस्म के साधन थे, वे साधन आज नहीं हैं। आज छोटे शहरों में या बड़े शहरों में बाकायदा कोई ड्रामा स्टेज या कोई दूसरी स्टेज लोगों के ऐन्टरटेनमेंट के लिए नहीं है सिवाए राम लीला के जोकि साल में सिर्फ आठ–दस दिन के लिए होती है। पहले गांवों में लोग खेल तमाशे और सांग वगैरह से ऐन्टरटेनमेंट प्राप्त करते थे लेकिन जमाने के साथ उनका नामो–निशान मिट गया है। शहरों के लोग जो सिवाए इस बात के कि कुछ आदमी शराब पीकर ऐन्टरटेनमेंट करें, जो बहुत नुक्सानदेह है, उनके पास और कोई साधन नहीं है। अब तो सरकार ने यह ऐलान भी कर दिया है कि वह प्रोहिबिशन लागू करना चाहती है, शराब बन्द करना चाहती है लेकिन दूसरी ओर जो सस्ते तरीके लोगों के पास मनोरंजन के मौजूद हैं सरकार उन पर ज्यादा टैक्स लगाकर उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है। लोगों ने ऐन्टरटेनमेंट छीनना चाहती है। चेयरमैन साहब, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर वे अफसरों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा पता करवाए तो पता लगेगा कि इस डयूटी में बढौतरी के बाद हरियाणा भर के सिनेमाओं में लोअर क्लास के दर्शकों की तादाद, उनकी गिनती बहुत ज्यादा घट गई है। चेयरमैन साहब, मैं यह बात आपने नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा टैक्स जिससे टैक्स देने वालों की गिनती घट जाए तो कुदरती बात है कि सरकार का रूपया इकट्ठा करने वाला निशाना पूरा नहीं होता

है। कोई भी टैक्स जो सरकार लगाती है उसकी जो कुलेक्शन है, सरकार कितना कर इकट्ठा कर पायेगी, सरकार को इन करो से कितनी आमदनी हो पाएगी, इन सारी बातों पर टैक्स लगाते समय सोचने की आवश्यकता है। तो मैं चेयरमैन महोदय इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस टैक्स की बढ़ौतरी से सरकार को कोई भी आमदनी नहीं होगी। यह बात बिल्कुल दुरूस्त है और इस बात का सरकारी आंकड़ों से पता लग सकता है। सिवाये इस बात के कि जो लोअर क्लासिज के लोग सिनेमा हाल के अन्दर जाते हैं उनसे एक रूपये की टिकट पर सवा रूपये टैक्स लगा कर सरकार उनकी पाकेट से पैसा बाहर ले जाना चाहती है। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत बुरी बात है। दूसरी बात जो मैं चेयरमैन महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वह यह है कि .....(विघ्न).....

श्री जगन नाथ (मुख्य संसदीय सचिव): आप भी तो भिवानी और जींद में नर्गिस को ओर हेमामालिनी को बुलाया करते थे –(हंसी)–

श्री शमशेर सिंह: वह आप को बुलाओगे, थोड़े दिनों में आप भी बुलाने लग जाओगे, जरा तसल्ली रखो। चेयरमैन साहिब, दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि 100 परसैंट से 125 परसैंट का टैक्स बढ़ाकर, यह सिनेमा के विजनैस पर एकसैसिव रिसट्रिशक्न की तारीक में आता है। मुझे नहीं पता कि जो सिनेमा के मालिक हैं, दर्शक हैं वे आपके इस बिल को कानून की कसौटी पर कसना चाहेंगे या नहीं। लेकिन इस बारे में कोई

शक नहीं है कि वह एक ट्रेड के ऊपर एकसैसिव रिसट्रिक्शन है जिस पर सरकार को अच्छी तरह से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। चेयरमैन महोदय, अभी पिछले दिनों हरियाणा भर के सिनेमा हाउसिज के मालिक हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय से यहां चण्डीगढ़ में मिले थे, मैं हाउस का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं –(शोर)–

चौ. लाल सिंह: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी साहब का कोई अपना सिनेमा तो नहीं है? (हंसी)

Mr. Chairman: This is no point of order. Please resume your seat.

श्री शमशेर सिंह: तो चेयरमैन साहब, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिला रहा था कि सिनेमा वाले उनसे मिले। मंत्री महोदय के सामने वे अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। चेयरमैन महोदय, मैं इस बारे में यही बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा कि यह जो टैक्स, यह जो डयूटी बढ़ाई गई है इससे सरकार कोई ज्यादा रूपया इक्ट्ठा न कर सकेगी। (इस समय कई मैम्बर साहेबान बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री सभापति: आप सभी बैठ जाईए, आप इतने सारे आदमी इक्ट्ठे क्यों खड़े हो गए? चौ. लाल सिंह आप बैठ जाईये।

श्री शमशेर सिंह: तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे सरकार का कोई मुद्दा पूरा नहीं होगा क्योंकि सिनेमा देखने वालों की मात्रा काफी घट जायेगी और दूसरा जो गरीब तबका हमारे शहरों में है और दूसरे लोग हैं उनके ऊपर यह बोझ लादना एक नाजायद प्रथा होगी।

चेयरमैन साहब, मैं सरकार को एक सुझाव देता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि डिवेल्पमेंट के लिए और दूसरे कामों के लिये रूपया बचाया जाए या सरकार के पास रूपया आए तो इससे सम्बन्धित एक उदाहरण देरक मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और वह यह है कि रिर्सोसिज और एकोनोमी कमेटी के चेयरमैन श्री दरबारी लाल जी गुप्ता को मैंने एक चिट्टी के द्वारा यह बात लिखी थी जोकि मैं अब इस हाउस में बताने जा रहा हूं कि हरियाणा में सात किस्म की ऐसी कार्पोरेशज है जोकि एक ही किस्म के काम करती हैं, मैं आपको उनके नाम बता देना चाहत हूं —

1. एम.आई.टी.सी.
2. एल.डी.आर.सी.
3. एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन
4. स्टेट लैंड डिवेल्पमेंट बैंक
5. स्टेट कोआपरेटिव बैंकस

6. हैफेड

ये जो कारपोरेशंज हैं ये किसानों का ट्रैक्टर देने का, टयूबवैल्ज लगाने का, बीज देने का और खाद वगैरह देने का काम करती हैं इन सारी की सारी कारपोरेशंज, बाडीज के अलग चेयरमैन हैं, अलग मैनेजिग डायरेक्टरज हैं, अलग दफतर हैं, अगल रैस्ट हाउसिंज हैं स्टाफ और कारें सारी बातें हैं। अगर इन सबको इक्ट्इा करके हर सारा काम एक ही कारपोरेशन या एक ही बाडी को दे दिया जाये, अगर करोड़ों नहीं तो मैं समझता हूं कि हरियाणा को लाखों का लाभ तो अवश्य ही होगा।

इस तरह की और भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में एप्रोप्रिऐशन बिल पर बोलते वक्त जिक्र किया जा सकता हैं।

सरदार सुखदेव सिंह (रोड़ी): चेयरमैन साहब, हमारे मंत्री महोदय का इरादा पैसा इक्ट्ठा करके स्टेट का काम चलाने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। चेयरमैन साहब हमारी पार्टी ने अपपने मैनीफैस्टो के अन्दर, अपने सारे प्रचार के अन्दर जनता के साथ बहुत वायदे किये हैं। हमें जनता को साथ लेकर चलना चाहिये। अभी पिछले दिनों चौ. चांद राम जी मेरे हल्के में आये थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो स्टेट्स हैं वे हमें सेलज टैक्स को खत्म करने के लिये सहयोग नहीं दे रही हैं और अब हम टैक्सो के लिए इतना आगे बढ़ रहे हैं। ता मैं इसके लिये सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि

हमारी पार्टी का जो मैनीफैस्टो है, जिसके कारण से हम यहां पर पहुंचे हैं, और जिन बातों को हम यहां पर कन्डैम करते रहे हैं उन्हीं कदमों पर हमें नहीं चलना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम किसी किस्म की जल्दबाजी में न आएं और ऐसे हेस्टी स्टेप न लें जिससे जनता को किसी प्रकार की दिक्कत हो। अगर बचत करनी है तो जो नये नये बड़े बड़े निगम हैं, मुझे याद है कि शहरों में ट्रस्ट भी हैं वहां पर तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा हैं, कईयों के पास तो कारें भी होती हैं.....

श्री सभापति: मैं आनरेबल मैम्बर साहेबान से यह कहूंगा कि ट्रस्टों की तरफ ध्यान न देते हुए टैक्सों के ऊपर ही बोलें।

स्रदार सुखदेव सिंह: चेयरमैन साहब, ये मसले कुनेकटिड हैं, मसले ही कुछ ऐसे हैं कि सुझावों की तरफ ध्यान चला जाता है। इसमें मेरा कसूर नहीं है, श्री मूलचन्द जी का कसूर नहीं है, आपने जो कानून बना दिया उस पर ही चला जाएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि टैकसिज के बारे में हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं बेहतर होगा अगर उनके बारे में पार्टी मीटिंग बुला कर या एम.एल.एज. की मीटिंग बुला कर पहले ख्यालात पूछ लिये जाएं ताकि अपोजीशन वाले इस चीज का फायदा न उठा सकें। यह बात मैं पार्टी और जनता के हित की कह रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

कामरेड शंकर लाल (सिरसा): चेयरमैन साहब, अभी इस बिल के द्वारा मनोरंजन टैक्स का सवाल आया। बाबू मूल चन्द जैन जी ने अपनी बात कही। इस बारे में मेरी राय यह है कि सिनेमा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देख बगैर गुजारा न होता हो। हम तो चाहते है कि सिनेमा देखने की कोई जरूरत नहीं है इसलिये अगर ऐसे टैक्स लगाए जाते हैं तो उन पर किसी का कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि ऐसे टैक्सों से जो पैसे इक्ट्ठे हों वह ऐसे लोगों को दिये जाएं जैसे बाहर आपके दरवाजे के आगे वैटरनरी कालेज के स्टूडैंटस बैठे हैं, कुछ डाक्टर बैठे हैं जोकि सिविल हस्पतालों के बराबर दर्जा मांगते हैं, हमारी रोडवेज के ड्राईवर ओर कंडकटर हैं, या बाहर डेढ़ सौ के करीब हैडमास्टर्ज बैठे हैं या मास्टर्ज बैठे हैं, गरीब तबके के लोग जैसे चपरासी हैं और क्लर्क हैं इन लोगों को यह पैसा दिया जाए क्योंकि ये गरीब तबके के लागे हैं, इनको तनखाह कम है जिसकी वजह से इनका गुजारा नहीं होता। इसलिये यह पैसा इन लोगों को दिया जाए। मनोरजंन कर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी सिनेमा नहीं देखेगा उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह कोई रोटी थोड़े ही है कि इसके बगैर जान निकल जाएगी। दूसरी बात यह है कि यह जो कमेटियां और बोर्ड बनाए जाते हैं यह तो लोगों को खुश करने के लिये सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर या वजीर साहिबान अपने आदमियों को साथ रखने के लिए ही इनको बनाते हैं।

श्री सभापतिः आप रैलेवैन्ट रहें।

कामरेड शंकर लालः तो ऐसे टैक्स पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये .....

चौ. संत कंवरः चेयरमैन साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि ये सबजैक्ट मैंटर से दूर चले गये।

श्री सभापतिः इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है और हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है (शोर) (इस समय मंत्री महोदय जवाब देने के लिए खड़े हुए) मिनिस्टर साहब जवाब देने के लिये खड़े हो गये हैं मैं मैम्बर साहिबान से दर्खासत करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी सीट ले लें। (विघ्न)

वित्त मंत्री (चौ. सतवीर सिंह मलिक): चेयरमैन साहब, जैसे कि ...

चौ. रिजक रामः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जहां तक बिल पर डिस्कशन का सवाल है उस पर हर एक मैम्बर को अपन विचार रखने का अधिकार है। इस पर न तो कोई रूल्ज में टाइम लिमिट प्रेसक्राइब्ड है और न इस समय हो सकता है। जो आज के एजैंडे पर प्रोग्राम है वह सारा आज ही खत्म हो ऐसा कोई फैसला नहीं हो सकता। रूल्ज में ऐसी कोई प्रोवीजन नहीं है। इसलिये बिल पर अपने विचार व्यक्त करने का हर एक सदस्य को अधिकार है। आज हम सैशन में इकट्ठे हुए हैं और अगर सैशन एक दो दिन फालतू चल जाएगा तो आसमान टूट

कर गिरने वाला नहीं हैं। आपको अगर पहले छुट्टी करनी हो तो बेशक कर लो लेकिन मैम्बरों को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिये। बिल पर बोलने के लिये कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री सभापति: पाबन्दी कोई नहीं है लेकिन जब मिनिस्टर साहब जवाब देने के लिये खड़े हो जाएं तो .....

चौ. रिजक राम: मिनिस्टर साहब को खड़े नहीं होना चाहिये था –(शोर)–

श्री सभापति: काफी डिस्कशन हो चुकी है और मैं मिनिस्टर साहब को काल अपौन कर चुका हूं।

कई आवाजें: हम अमैंडमैंट पर बोलना चाहते हैं ..... (शोर).....

श्री सभापति: जब क्लाज मूव होगी तब बोल लेना।..... (शोर).....

चौ. रिजक राम: जब मैम्बर बोलना चाहते हैं तो आपको मिनिस्टर साहिब को नहीं बुलाना चाहिये था.....(शोर).....

चौ. सतवीर सिंह मलिक: मुझे चेयर से इजाजत मिल चुकी है .....शोर

चौ. रिजक राम: मेरी गुजारिश यह है कि चेयरमैन साहब को मिनिस्टर साहब को बोलने के लिये नहीं कहना चाहिये था.....(शोर).....

श्री सभापति: बिल की कोई क्लाज नहीं रही सारा बिल डिस्कस हो चुका है।

चौ. सतवीर सिंह मलिक: चेयरमैन साहब, जैसे कि अभी मैंने.....

बहिर्गमन

राव दलीप सिंह: चेयरमैन साहब, मैंने अमैंडमैंट का नोटिस दिया हुआ है ओर मैंने आपी अमैंडमैंड मूव करनी है।

श्री सभापति: अमैंडमैंट आप उस वक्त मूव करेंगे जब क्लाज अंडर डिस्कशन होगी।

चौ. गंगा राम: मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि इस विधेयक पर हम अच्छी तरह से डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा कि क्या यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि सरकार के खजाने में पैसा आए और पैसा केवल टैक्सों से नहीं आया करता। अगर हम नाजायज खर्चा करेंगे ....(शोर).....

श्री सभापति: यह डिस्कस हो चुका है I am satisfied that the details of the Bill have been discussed. रूलिंग भी आ चुकी है।

चौ. गंगा राम: पहले मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि सरकार का नजरिया यह है कि सरकार के खजाने के अन्दर पैसा आएं एक तरफ तो हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं और दूसरी तरफ हम बेरहमी के साथ पैसे को खराब करें तो उस टैक्स का क्या फायदा होगा? जो नाजायज खर्च होता है उस पर कन्ट्रोल करें .....(शोर).....

Mr. Chairman: This is no point of order. Please take your seat.

चौ. गंगा राम: चेयरमैन साहब, इस मामले पर डिस्कशन जयरी है क्योंकि सरकार इस बिल के जरिये टैक्स लगा रही है इसलिये इस पर बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिये.....(शोर).....

Mr. Chairman: This is no point of order. This is an argument. Please take your seat.

चौ. गंगा राम: अगर यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है तो मैं वाक आउट करता हूं।

Mr. Chairman: You can do it.

(इस समय चौ. गंगा राम सदन से वाक आउट कर गए)

दि पंजाब एन्टरटेनमैंटस डयूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977

(पुनरारम्भ)

चौ. सतवीर सिंह मलिक: चेयरमैन साहब, जैसे मैंने पहले बिल के आबजैक्टस के अन्दर बताया है कि हरियाणा की वित्तीय स्थिति तथा फल्ड की स्थिति को देखते हुए ऐसा कर रहे हैं। इन सबको मद्दे नजर रखते हुए कि सरकार डिवेल्पमेंट के कार्य में ज्यादा पैसा लगा सके या जो आदमी दुखी है उनको राहत दी जा सके इसलिये यह टैक्स बढ़ाया है। इस टैक्स के बारे में हमारे एक सदस्य बाबू मूल चन्द जैन जी ने तथा और सदस्यों ने कहा कि सरकार बहुत टैक्स लगाती है, फिजूल के खर्च बढ़ाती है, बोर्ड बनाती है, बोर्ड के चेयरमैन एप्वांयट करती है, मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि सरकार ने सबसे पहला कदम जो लिया है उस का जिक्र अखबार में आया था। शायद वे अखबार पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ते भी हौंगे तो उनके ध्यान में नहीं है। अखबार में मेरा स्टेटमैंट आया था और मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जलसों में कहा था कि सरकार ने हर डिपार्टमैंट को आउस्टैरिटी मैयर्ज के आदेश दे दिए है और विभागों को कहा है कि वे नई पोसटें क्रिएट न करें। आफिसर्ज के कमरों में कूलर न इस्तेमाल करें, कोई लगजूरियस आर्टिकल इस्तेमाल न करें और जो फिजूल के खर्च हैं उन को काट दें। पहले शासन के अन्दर एक सैक्रेटरी के साथ आठ–आठ चपड़ासी और स्टैनों जाया करते थे। सरकार ने यह सिस्टम बन्द कर दिया है ओर आर्डर कर दिए हैं कि कोई भी सैक्रेटरी अपने साथ चपडासी नहीं ले जाएगा। दो स्टैनों रख दिए गए है, जो सैक्रेटरी वहां जाए वह उनको इस्तेमाल कर सकते है। हमने यह आउस्टेरेटी मैयर्ज उठाए हैं। इनका एलीगेशन

निराधार है कि सरकार एक तरफ टैक्स लगा रही है और दूसरी तरफ ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। दूसरा प्वायंट था जरूरत का। यह स्वामी जी ने कहा, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जहां तक जरूरत का ताल्लुक है, आप देख लें, इन हालात के अन्दर, जबकि सरकार को पैसे की आवश्यकता हो, बाढ़ आई, बाढ़ पीडितों को अनाज देना है, दवाइयां देनी हैं, जमीन को काश्त करने के लिए बीज और ट्रैक्टर देने हैं और इन हालात के अन्दर जबकि सैन्ट्रल गवर्नमैंट से पैसे का कोई सहारा, कोई सुविधा न मिली हो, इन हालात में इस टैक्स की जरूरत थी। यह जो टैक्स है, यह आम आदमी पर कोई बोझ नहीं हैं, आम आदमी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। 1 रूपये के टिकट पर 4 आने टैक्स बढ़ाया हैं। एक आदमी महीने में दो पिक्चरें देख लेगा, तीन देख लेगा। सवा रूपया टैक्स कोई ज्यादा बोझ नहीं हैं, इससे गरीब आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अभी हमारे साथी श्री शमशेर सिंह जी ने कहा था कि इस टैक्स से पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो सकती, सरकार को इसका कोई लाख नहीं होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो टैक्स आया है व 3052925 रूपया था और अब यह टैक्स लगाने के बाद इस महीने में 1.9.77 से 30.9.77 तक 3857768 रूपये हो गया। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सिनेमा पर टैक्स लगाने से न तो ट्रेडर के ऊपर कोई फर्क पड़ता है और न गरीब आदमी पर असर पड़ता है। जहां तक ट्रेड का ताल्लुक है यह ट्रेड खाते पीते आदमियों के हाथ में है। सरकार ने यह टैक्स सोच समझ कर लगाया है ओर इसका गरीब आदमी के ऊपर कोई

असर नहीं है। जो धनी है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। इन हालात ममें यह बिल लाया गया है और टैक्स 100 परसेंट से 125 परसैट किया है।

Mr. Chairman: Question is –

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Now the House will take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Chairman: I have received a notice of an amendment to this clause from Rao Dalip Singh. He may please move his amendment.

Rao Dalip Singh (Mohindergarh): Sir, I beg to move –

In the proposed section 3(1) of he principal Act, after the words “not exeeeding on hundred and twenty-five per cent of the amount of payment for admission”. Insert the words “exceptf for lower stall or class”.

चेयरमैन साहब, जो बिल सदन के सामने पेश है, इसमें सिनेमा जाने वाले लोगों पर 1 रूपये के टिकट पर 25 पैसें का टैक्स लगेगां आप देखें, यह कितने अन्याय की बात है, यह इंसाफ नहीं है। यहां इन्साफ का गला घोंटा गया है। एक आदमी सिनेमा

गया है उससे आप एक रूपये की बजाये सवा रूपया लेते हो। वह टैक्स देता है। आप उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम उस गरीब आदमी को, मजदूर को, छोटे तबके वालों को जा इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनको मुआफ किया जाए। सिनेमा के जो छोटे क्लासिज हैं, स्टाल है या क्लास है, मेरी प्रार्थना है कि कम से कम उस क्लास पर नहीं लगाया जाना चाहिए जिसमें गरीब तबका जाता है। हां, बालकोनी मे लगा लिया जाए लेकिन छोटी जगह पर नहीं लगना चाहिए। आपने जनता में कहा था, आपने पूरा वायदा किया था कि हम सरकार बनाऐंगे तो जनता पर टैक्स नहीं लगाएंगे। जनता को बड़े सबजबाग दिखाए थे कि टैक्स नहीं लगाएंगे और अब फिजूलखर्ची कर रहे हैं। कही कमेटियां बना रहे हैं, कहीं हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। आप अपने सीने पर हाथ रखकर देख लें कि आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप उन्हीं बातों का रिपीट कर रहे हैं। श्री मूल चन्द जैन जी ने सही बात कही है कि उनका दिल नहीं मानता, कि गरीब बादमी पर टैक्स लगाया जाए, यह टैक्स नहीं लगना चाहिएं

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Chairman: Rao Sahib, just for a minute. The sitting of the House is extended by 10 minutes.

राव दलीप सिंह: आप इस तरह हाउस का टाईम कैसे बढ़ा सकते हैं। हाउस का टाईम एक्सटैंड करने के लिए क्या

हाउस की सैंसिज आप लेंगे या नहीं? (व्यवधान) आपने तो हाउस की सैस नहीं ली है। आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे ..... (व्यवधान)

Industries Minister (Dr. Mangal Sein): The sense of the House is there.

Rao Dalip Singh: He has not taken the sense of the House. Any why to extend the time? हाउस की सैंस लिए वगैर हाउस का टाईम आप कैसे बढ़ा सकते है? (व्यवधान) हाउस दो दिन और मीट कर सकता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। Why are you extending the time?

Mr. Chairman: You can speak.

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट यह है कि हाउस की ऐक्सटैन्शन आप कैसे कर सकते है जबकि यह चार दिन का सैशन पहले से ही है। यह एजेन्डा यदि आज पूरा नहीं होगा तो कल हो सकता है। सारा एजेन्डा यदि चार दिन में पूरा नहीं होगा तो फिर आगे हो सकता है। ज्यादा दिन एजेन्डा चलेगा तो ज्यादा दिन चलाएंगे। जल्दी कौन सी हैं? दो बजे से हम बैठे हुए हैं अब साढ़े छः बज गए है। अब अगर इस तरह से चलते रहे तब तो कोई अन्त नहीं होता। चेयरमैन साहब, कौन सी ऐसी जल्दी है जो इस हाउस पर इस कदर बोझ डाला जा रहा है कि हम साढ़े छः बजे के बाद सात आठ बजे तक बैठे रहें?

मुख्यमंत्री (चौ. देवी लाल): चेयरमैन साहब, पार्टी मीटिंग में मैंने खुला कह दिया था कि सैशन को आप दस दिन चला सकते हैं या पन्द्रह दिन चला सकते हैं लेकिन एक पैन्डिग बिल जो है इसे बीच मे रखा जाना मुनासिब नहीं है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

दी पंजाब ऐटरटेनमैंटस डयूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1977

(पुनरारम्भ)

राव दलीप सिंह: स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि जनता पार्टी ने जो वायद दिए थे कि वे टैक्स नहीं लगाएंगे, कफायतशुआरी से काम करेंगे, वे उसे पूरे करने चाहिएं। मूलचन्द जैन जी ने अभी बताया कि नई कार्पोरेशंज बनाई जा रही है, नए बोर्ड बनाए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह बात रैलेवैन्ट नहीं है।

राव दलीप सिंह: अमैंडमैंट तो इस बात तक महदूद है कि उन गरीब लोगों पर जो निचले दर्जे में, छोटे दर्जे में सिनेमा में जाते हैं, उनके ऊपर कम से कम यह टैक्स नहीं लगना चाहिए।

चौ. लाल सिंह (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, आपकी मारफत मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने टैक्स लगाया है यह बहुत अच्छा काम किया है। यह टैक्स तो और ज्यादा लगना चाहिए ताकि गरीब लोगों की जिन्दगी बन सके। इस

सिनेमा से तो लोगों का तमाम जीवन और बच्चे बरबाद हो चुके है। सिनेमा में बच्चे जो कुछ देखते हैं वही कुछ वे करते है। इससे तो सरमायेदार पलते हैं और गरीब लोग मरते हैं। इसकी टिकट तो जितनी महंगी बिकेगी उतने ही गरीब लोग इसे देखना बन्द कर देंगे। इस सरकार ने जैसे शराब को बन्द करने की कोशिश की है ऐसे ही इस सिनेमा को भी बन्द करना पडेगा। मैं तो इसके लिए सरकार को मुबारिकबाद दूंगा। उन्होंने तो यह टैक्स केवल चार आने लगाया है लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम पांच रूपये टिकट बढ़ना चाहिए। रिक्शावाले दिन में पांच रूपये कमाते हैं, आटा उन्हें खाने को मिलता नहीं लेकिन लाईन में खड़े होंगे सिनेमा की। जब सिनेमा का टिकट पांच रूपये होगा तो वे बिल्कुल नहीं जाएंगे। सिनेमा से मिलता ही क्या है? आंखें खराब होती है, सेहत खराब होती है, बच्चे ठीक टाईम से स्कूल नहीं जाते, रात को छुराबाजी होती है, लउ़कियों का करैक्टर खराब होता है और वे भागती है। अगर हमने सरकार को बदनाम करने का सर्टिफिकेट लेना है वह दूसरी बात है लेकिन अच्छे काम की सराहना जरूर होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौ. लाल सिंह टाईम थोड़ा है।

चौ. लाल सिंहः मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक ही चलूंगा लेकिन मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब ने तो मुझे टाईम नहीं दिया, आपकी मेहरबानी से ही मुझे टाईम मिला है।

श्री अध्यक्ष: मैंने तो आते ही आपको टाईम दिया।

चे. लाल सिह: इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो स्पीकर साहब, मैं इस मामले में सरकार को बहुत ज्यादा मुबारिकबाद देता हूं कि इसने सिनेमा के ऊपर टैक्स लगाया है। मैं इसकी ताईद करते हुए यह सुझाव भी देता हूं कि यह टैक्स और लगाया चाहिए।

Mr. Speaker: Motion moved-

In the proposed section 3(1) of the principal Act, after the words 'not exceeding one hundred and tewnty-five per cent of the amount of payment for admission", insert the words "except for lower stall or class".

Mr. Speaker: Question is-

In the proposed section 3(1) of the principal Act, after the words 'not exceeding one hundred and tewnty-five per cent of the amount of payment for admission", insert the words "except for lower stall or class".

The motion was lost.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

18.38 बजे

The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 18th October, 1977.